

सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान राज्य के कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा
प्रतिवेदन
वर्ष 2021-22

विवरण सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
(i) प्रस्तावना	I
(ii) समग्र दृष्टि	II
(iii) भाग प्रथम - परिचय	1
(iv) भाग द्वितीय- कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ	4
(v) भाग तृतीय - कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ	9
(vi) भाग चतुर्थ - सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सुरक्षा से संबंधित पाई गई कमियाँ	30

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के लेखों का संकलन सम्बन्धी कार्य किए जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का है, उनकी ओर से राजस्थान के लेखों के संकलन कार्य के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर उत्तरदायी है। राज्य के समस्त कोषालय अपने ऑनलाईन मासिक लेखे, समस्त लेन देनों के आवश्यक चालानों व वाऊचरों सहित (सॉफ्ट प्रति में) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हैं। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा समस्त कोषालयों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता रहा है। कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य अंग है तथा वे शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान करने के साथ ही शासकीय खर्चों पर नियंत्रण रखने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। कोषालयों/ उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर प्रति वर्ष इस कार्यालय द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के इस वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में राजस्थान में कार्यरत कोषालयों की उन महत्वपूर्ण कमियों का सारांशीकरण किया गया है जो इस कार्यालय में लेखों के संकलन के दौरान व स्थानीय निरीक्षणों के दौरान जानकारी में आयी थी। कोषालयों के निरीक्षण के दौरान जो कमियाँ परिलक्षित हुई थीं, उन्हें सम्बंधित जिला कलेक्टरों, कोषाधिकारियों, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के ध्यान में ला दिया गया है। विगत वर्षों के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताओं/ त्रुटियों का तुलनात्मक विवरण विभिन्न चार्ट में दर्शाया गया है।

कोषालयों की दक्षतापूर्ण कार्य प्रणाली राज्य के उपयुक्त वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इस प्रकाशन का उद्देश्य कोषालयों की कार्य प्रणाली में सुधार और इसके परिणामस्वरूप राज्य के वित्तीय प्रशासन की सहायता करना है। मैं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को, जिन्होंने इस प्रक्रिया में योगदान दिया है, धन्यवाद देती हूँ।

दिनांक: 14-07-2022



(अर्चना गुर्जर)

महालेखाकार (लेखा एवं हक.)

राजस्थान, जयपुर

समग्र - दृष्टि

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	कोषागार की भूमिका	1
1.2	संगठनात्मक सेट अप	1
1.3	कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	2
1.4	कम्प्यूटरीकरण	3
2.1	मासिक लेखों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण	4
2.2	कोषालयों से अप्राप्त वाउचर्स	5
2.3	अन्य राज्यों के पेंशनर्स के पक्ष में जारी उपादान / पेंशन सारांशीकरण मूल्य प्राधिकार पत्रों पर किये गये भुगतान के टी.वी. नंबर व दिनांक सूचित करने का अभाव	5
2.4	मासिक लेखों में अशुद्धियां	6
2.5	लेखा शीर्ष 8782-102" लोक निर्माण प्रेषण" एवं लेखा शीर्ष 8782-103 " वन लेखा प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों का विवरण	6
2.6	लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा" (राज्य) में बकाया रहे अंतर	7
2.7	आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 12.46 करोड़	7
2.8	निजी निक्षेप खातों के लिए महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस- माईनस मीमों के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अन्तर राशि ₹ 2.85 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर राशि ₹ 752.79 करोड़ के निराकरण का अभाव	8
3.3.1	उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि में से प्रधाधिकृति में दर्शाई गई कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 48.28 लाख	10
3.3.2	मूल वेतन को पेंशन मानकर सिविल पेंशन के पेटे अधिक भुगतान ₹ 2.95 लाख	11
3.3.3	पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) में दर्शाई गई कटौती राशि की वसूली का अभाव ₹ 0.86 लाख	11
3.3.4	पेंशन की रूपांतरित राशि भुगतान के बाद घटी हुई दर के स्थान पर मूल दर पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 22.41 लाख	11
3.3.5	सिविल पेंशन एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं / कम कटौती करना राशि ₹ 7.06 लाख	12

3.3.6	उपादान भुगतान प्राधिकृतियों की वैधता अवधि समाप्त हो जाने (कालातीत हो जाने) के उपरांत भुगतान किया जाना	12
3.4	व्यपगत जमाएं	13
3.4.2	महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित व्यपगत शेषों की सूची में रिफण्ड की गई राशि को शामिल करना ₹ 14.88 लाख	13
3.4.3	महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित व्यपगत शेषों की सूची अपूर्ण तैयार करने से पूर्ण राशि शामिल नहीं करना ₹ 2.07 करोड़	14
3.5	निजी निक्षेप खाते एवं अन्य जमा खाते	14
3.5.1	निजी निक्षेप खाता धारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना	14
3.5.2	कोषालय द्वारा संधारित निजी निक्षेप खातों के शेषों एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे धनात्मक अन्तर ₹ 463.25 लाख व ऋणात्मक अन्तर ₹ 144.37 लाख	15
3.5.3	निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद किये जाने का अभाव	15
3.5.4	नेशनल पेंशन स्कीम के लिये खोले गये निजी निक्षेप खातों में जमा राशि को ट्रस्टी बैंक में जमा करवाकर रिकार्ड कीपिंग एजेंसी नेशनल सिक्युरिटी डिपॉटरी लिमिटेड (NSDL) को डाटा प्रेषित करने का अभाव ₹ 45.38 करोड़	16
3.5.5.1	भारतीय जीवन बीमा निगम के निजी निक्षेप खाता संख्या 471 से राशियों का आहरण कर संबंधित कार्मिकों के खातों में जमा कराने का अभाव ₹ 19.33 करोड़	17
3.5.5.2	निजी निक्षेप खाता संख्या 471 से भारतीय जीवन बीमा निगम को दोहरा भुगतान राशि ₹ 33.16 लाख	18
3.6.1	अनुपयोगी / कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 60.84 लाख	18
3.6.2	बिना सुरक्षित कक्ष के मुद्रांक भण्डार व विक्रय का कार्य करना	19
3.7	दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	19
3.7.1	भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 44.95 करोड़	19
3.7.2	श्री लियाकत हुसैन अंसारी जी.पी.एफ. खाता संख्या 573377 को स्वीकृत भवन ऋण की प्राप्त 29 किश्तों की राशि ₹ 88653/- के लिये बैंक द्वारा मना किया जाना एवं कार्मिक से बकाया राशि की वसूली कर अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने का अभाव	20
3.7.3	दिनांक 31.03.2004 के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक एवं एस.बी.बी.जे. बैंक (वर्तमान एस.बी.आई) से स्वीकृत कराये गये भवन ऋणों की राशि ऋणी	21

	कार्मिकों के बैंक खातों में जमा कराने का अभाव ₹ 217.46 लाख	
3.7.4	अनुदानित भवन ऋण नियमों में क्रियान्वयन प्रणाली का असफल होना	22
3.7.5	दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहद पुस्तिका के संधारण का अभाव	24
3.7.6	अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण के अभाव में बकाया रहना	24
3.8	अन्य अनियमितताएं	25
3.8.1	सोने व चांदी के आईटमों के निस्तारण का अभाव	25
3.8.2	नवसृजित स्वतंत्र उप कोष पेंशन जयपुर द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के फलस्वरूप पदस्थापित उप कोषाधिकारी के वेतन भत्तों एवं भवन किराया पर किया व्यय निष्फल रहना ₹ 41.82 लाख	25
3.8.3.1	सुरक्षित कक्ष की मरम्मत कराने का अभाव	26
3.8.3.2	सुरक्षित कक्ष के सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अभाव	26
3.8.4	राजकीय प्राप्ति के चैकों को राजकोष में जमा कराने का अभाव ₹ 11.69 लाख	26
3.8.5	जिला मिन्टरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड (डीएमएफटी) के निजी निक्षेप खाता में जमा राशियों को खनन प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों पर व्यय नहीं करना राशि ₹ 830.17 करोड़ एवं निर्धारित आनुपातिक व्यय सीमा का ध्यान नहीं रखना	27
3.8.6	रोकड़िये से प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव	28
4.1	सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा से संबंधित अनियमिततायें/ कमियां	30
4.2	कोषालयों के कार्य के निष्पादन हेतु विकसित मोड्यूल्स में जनरेट होने वाली विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स में पाई गई कमियां	31
4.2.1	आई.एफ.एम.एस. पर एल.टी.ए. मोड्यूल का निरर्थक संधारण	31
4.2.2	पे-मैनेजर पर संधारित लोन डिडक्सन रिपोर्ट का अपूर्ण होना	31
4.2.3	जारी किये मुद्रांकों के चालानों को डी-फेस किये जाने का अभाव	31
4.2.4	मुद्रांक की ऑनलाईन स्टॉक इन हैण्ड रिपोर्ट एवं ऑफलाईन संधारित रजिस्ट्रों के मध्य मुद्रांकों की मात्रा में अन्तर प्रकट होना	32
4.2.5	OSIS पोर्टल पर मुद्रांक भण्डार व विक्रय के लेखों के संधारण का अभाव	32
4.2.6	आहरण संवितरण अधिकारियों की सूचियां अद्यतन का अभाव	33
4.2.7	राजकोष की पी.डी. अकाउन्ट मास्टर डेटा रिपोर्ट में सही स्थिति प्रदर्शित नहीं होना	34
4.2.8	आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाता संख्या 479 से अधिक राशि का आहरण अनुमत करने के कारण ऋणात्मक शेष होना ₹ 11.41 लाख	34
4.3	हस्तानांतरण की प्रतीक्षा में प्राप्ति (आर.ए.टी.) में रखी गई राशियों का समय पर निस्तारण नहीं करना ₹ 219.75 लाख	35

4.4	राजस्थान राज्य जी.एस.टी. लेखांकन पोर्टल पर प्रकट हुए अंतरों का निराकरण न होना	35
4.5	बैंक की वेबसाईट पर चालान आईडेन्टीफिकेशन नम्बर डुप्लीकेट जनरेट होना	36
4.6	राजकीय प्राप्तियों की राशि ₹ 117.61 लाख को बैंक द्वारा सरकारी खाते में विलम्ब से जमा कराने उपरांत देय दण्डनीय ब्याज राशि की गणना एवं वसूली का अभाव	36

कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2021-22

भाग-1

1. परिचय

1.1 कोषागार की भूमिका

राजस्थान राज्य के समस्त कोषालय, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत हैं। समीक्षा वर्ष 2021-22 के दौरान 41 कोषालय (खजाना) एवं 253 उप कोषालय (उप खजाना) राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत रहे, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -1 में दर्शाया गया है, जिनमें कुल 26,345 आहरण-संवितरण अधिकारियों के प्राप्ति एवं भुगतान सम्बन्धी लेन-देन हेतु राजकीय लेखे खुले हुए थे। राजस्थान के 04 जिला मुख्यालयों (अजमेर, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर) पर कार्यरत मुख्य कोषालयों के अलावा 07 अतिरिक्त कोषालय कार्यरत हैं जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -2 में दर्शाया गया है। इनमें से 41 कोषालयों एवं 138 उप कोषालयों तथा निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय का वर्ष 2021-22 में निरीक्षण किये जाने के लक्ष्य रखे गये थे, लेकिन कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाये गये लॉकडाउन की पालना हेतु समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को मध्यनजर रखते हुए उक्त वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर उपरोक्त के स्थान पर केवल 33 कोषालयों एवं 109 उप कोषालयों के ही संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, जिसके विरुद्ध सभी 33 कोषालयों एवं 109 के स्थान पर 112 उप कोषालयों के निरीक्षण के लक्ष्यों का अर्जन किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या-3 में दर्शाया गया है।

1.2 संगठनात्मक सेट अप :-


राजस्थान राज्य में निदेशालय, कोष एवं लेखा, वित्त विभाग के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। निदेशालय द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी कोषालयों (ई-कोषालय, जयपुर व भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली सहित) एवं उप कोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण रखना, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन करना, वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना इत्यादि प्रमुख कार्य किये जाते हैं।

प्रत्येक कोषाधिकारी कोषालय के संचालन के लिए कलक्टर के साथ संयुक्त रूप से रोकड़, मुद्रांक आदि और अन्य राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है साथ ही कोषाधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वह

अन्य कार्यालयों / विभागों से आहरण व संवितरण अधिकारी की पदीय हैसियत में व्यवहार करने तथा निदेशक, कोष एवं लेखा के प्रति कोष के लेखों को नियमों में वर्णित और समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कठोरता पूर्वक संधारित कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने तथा समस्त प्रारम्भिक अभिलेखों वाउचर्स की शुद्धता व कोषालय में होने वाले सारे संव्यवहारों की निरंतरता के लिए उत्तरदायी होता है।

प्रायः प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर सभी निहित शक्तियों के साथ एक उप कोषालय होता है। उप कोषालय राजस्थान लेखा सेवा के अधीनस्थ सहायक लेखाधिकारी के प्रभार में होता है। उप कोषाधिकारी कर्त्तव्यों, उचित आचरण और नियमों की पालना के लिए कोषाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। उप कोषाधिकारी उप कोषालय से संबंधित उन समस्त कर्त्तव्यों के लिए उत्तरदायी होता है जो कि कोषाधिकारी द्वारा कोषालय संचालन के लिए अपेक्षित है।

निदेशालय का संगठनात्मक सेट अप निम्न प्रकार है:-



1.3 कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या


1.3.1 राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों व उप कोषालयों में कुल स्वीकृत 2,552 पदों के विरुद्ध वर्ष 2021-22 के दौरान केवल 1,698 पदों (85 ग्रुप "घ" सम्मिलित है) पर ही कर्मचारी / अधिकारी कार्यरत रहे ।

1.3.2 इन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों में से 1,539 को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में प्रशिक्षण प्राप्त था एवं 74 अप्रशिक्षित रहते हुए भी कोषालयों / उप कोषालयों में कार्य कर रहे थे। शेष 85 ग्रुप "घ" श्रेणी के कर्मचारी होने के कारण उनके लिये एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं था।

कोषालयों / उप कोषालयों में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पदों, कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या एवं रिक्त पदों की संख्या तथा उनके कम्प्यूटर में प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या -4 में दर्शाया गया है तथा एक नजर में स्थिति की जानकारी नीचे चार्ट संख्या 1 में प्रदर्शित है :-

(चार्ट संख्या 1)

कोषालयों व उप कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की कम्प्यूटर में प्रशिक्षण की स्थिति एक नजर में



1.4 कम्प्यूटरीकरण

राजस्थान राज्य के अन्तर्गत राजकीय लेन-देन के निष्पादन हेतु कार्यरत परिशिष्ट संख्या -1 में वर्णित सभी 41 कोषालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यरत 253 उप कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत ऑनलाईन लेन-देन प्रक्रिया का निष्पादन कर सभी 41 कोषालयों के द्वारा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के अन्तर्गत संधारित वाउचर लेवल कम्पाइलेशन (VLC) में ऑनलाईन लेखे प्रस्तुत किये जा रहे हैं। विभिन्न कोषाधिकारियों के अधीनस्थ कार्यरत उप कोषाधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले लेन-देनों के दैनिक लेखे संबंधित कोषाधिकारी के कार्यालय को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपना कर कोषालय के मासिक लेखे की प्रथम एवं द्वितीय सूची में सम्मिलित किये जाते हैं ।

भाग- 2

2. कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ


2.1 मासिक लेखों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 209 में वर्णित प्रावधानानुसार कोषालयों द्वारा मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इस कार्यालय के केन्द्रीय खजाना अनुभाग (सी.टी.एस.) मेन्युअल के अनुसार राज्य के कोषालयों द्वारा मासिक लेखे माह में दो बार प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। माह की 1 से 10 तारीख तक के लेन-देनों की प्रथम अनुसूची एवं माह की 11 से अंतिम कार्य दिवस तक के लेन-देनों की द्वितीय अनुसूची क्रमशः उसी माह की 13 से 17 तारीख तक एवं आगामी माह की 5 से 8 तारीख तक प्रेषित करनी होती है। मासिक लेखों के विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण लेखा-संकलन कार्य में विलम्ब की संभावना रहती है।

इस कार्यालय में वर्ष 2021-22 में कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य के सभी 41 कोषालयों के द्वारा विभिन्न माहों के मासिक लेखों की 106 प्रथम एवं 56 द्वितीय अनुसूचियों (कुल 162 अनुसूचियों) को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या -5 में दर्शाया गया है। इस संबंध में विगत पांच वर्षों की स्थिति की जानकारी एक नजर में नीचे चार्ट संख्या-2 में प्रदर्शित है।

(चार्ट संख्या - 2)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विगत पाँच वर्षों का तुलनात्मक विवरण



प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे समस्त कोषाधिकारियों को, मासिक लेखों की दोनों अनुसूचियों को इस कार्यालय में प्रतिमाह निर्धारित समय पर भिजवाने हेतु निर्देशित करें।

2.2 कोषालयों से अप्राप्त वाउचर्स

वर्ष 2021 - 22 में कोई भी वाउचर अप्राप्त वाउचर की श्रेणी में लम्बित नहीं था।

2.3 अन्य राज्यों के पेंशनर्स के पक्ष में जारी उपादान / पेंशन सारांशीकरण मूल्य प्राधिकार पत्रों पर किये गये भुगतान के टी.वी. नंबर व दिनांक सूचित करने का अभाव

राजस्थान राज्य स्थित लगभग सभी कोषालयों के द्वारा अन्य राज्यों के पेंशनरों के लिए इस कार्यालय के पेंशन प्राधिकृति अनुभाग द्वारा जारी किये जाने वाले उपादान / पेंशन सारांशीकरण मूल्य प्राधिकार पत्रों के अनुसार संबंधित पेंशनर को भुगतान किया जाता है किंतु 22 कोषाधिकारियों द्वारा 163 उपादान अधिकृतियों तथा 104 सारांशीकरण अधिकृतियों के भुगतान के टी.वी. नंबर व दिनांक इस कार्यालय को सूचित नहीं किये गये, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	उपादान अधिकृतियों की संख्या	टी.वी. नम्बर व दिनांक तक लंबित रहने की अवधि	सारांशीकरण अधिकृतियों की संख्या	टी.वी. नम्बर व दिनांक तक लंबित रहने की अवधि
1	अलवर	34	06/2005 से 06/2021	14	04/2011 से 06/2021
2	बांसवाड़ा	01	05/2012	01	03/2011
3	ब्यावर	02	01/2014 से 04/2017	02	01/2014 से 04/2017
4	बाड़मेर	01	11/2018	01	11/2018
5	भरतपुर	07	07/2013 से 01/2022	04	12/2009 से 10/2015
6	भीलवाड़ा	02	06/2011 से 11/2021	02	06/2011 से 11/2021
7	दौसा	02	03/2020 से 02/2022	02	03/2020 से 02/2022
8	चूरू	06	04/2019 से 12/2021	07	08/2017 से 09/2021
9	धौलपुर	01	07/2018	0	0
10	श्रीगंगानगर	04	04/2019 से 09/2021	01	08/2020
11	जालौर	0	0	01	08/2019
12	हनुमानगढ़	01	02/2022	0	0
13	झुंजरपुर	01	04/2014	05	03/2010 से 04/2014
14	जयपुर (पेंशन)	20	09/2006 से 11/2021	10	06/2017 से 12/2020
15	झुन्झुनू	08	08/2014 से 11/2021	02	02/2016 से 11/2021
16	जोधपुर (ग्रामीण)	17	07/2008 से 10/2017	16	01/2010 से 07/2020

क्र.सं.	कोषालय का नाम	उपादान अधिकृतियों की संख्या	टी.वी. नम्बर व दिनांक तक लंबित रहने की अवधि	सारांशीकरण अधिकृतियों की संख्या	टी.वी. नम्बर व दिनांक तक लंबित रहने की अवधि
17	कोटा	02	04/2013 से 06/2013	0	0
18	राजसमंद	37	09/2006 से 07/2020	18	01/2010 से 07/2020
19	नागौर	07	02/2014 से 09/2021	07	11/2013 से 09/2021
20	सीकर	01	02/2022	02	08/2020 से 01/2021
21	जैसलमेर	03	05/2017 से 06/2018	02	05/2017 से 11/2017
22	उदयपुर (ग्रामीण)	06	01/2018 से 10/2021	07	01/2018 से 10/2021
	योग	163		104	

उपरोक्त टी.वी. नंबर एवं दिनांक के अभाव में इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि इन अधिकृतियों का भुगतान हुआ है या नहीं।

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि अन्य राज्यों के पेंशनरों को किये गये भुगतानों के कोष वाउचर संख्या व दिनांक का विवरण इस कार्यालय को भिजवाने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करें।

2.4 मासिक लेखों में अशुद्धियां

वर्ष 2021-22 के दौरान कोषालयों द्वारा किये गये गलत वर्गीकरण को सही शीर्ष में वर्गीकृत करने हेतु कुल 574 हिसाब शोधन पत्र (टी.वाई.65) प्राप्त हुए, जिनका विवरण [परिशिष्ट संख्या -6](#) में दर्शाया गया है। प्राप्त सभी हिसाब शोधन पत्रों के आधार पर लेखों में वांछित संशोधन कर दिया गया था।

2.5 [लेखा शीर्ष 8782-102" लोक निर्माण प्रेषण" एवं लेखा शीर्ष 8782-103 " वन लेखा प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों का विवरण](#)

2.5.1 [लेखाशीर्ष 8782-102" लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव](#)

मुख्य लेखा शीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के अन्तर्गत विभिन्न खण्डीय कार्यालयों के लेखों में सम्मिलित किये गये चालानों एवं चैकों में से 545 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा लेखा शीर्ष 8782-102-01 के अन्तर्गत धनात्मक राशि ₹ 170.49 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 157.16 करोड़ के चालान तथा लेखा शीर्ष 8782-102-02 के अन्तर्गत धनात्मक राशि ₹ 222.42 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 170.55 करोड़ के चैक माह 3

/ 2022 के लेखे संवरण होने तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए जिनका कोषालयवार विवरण [परिशिष्ट संख्या -7](#) में दर्शाया गया है।

प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि संबंधित कोषाधिकारियों को, खण्डीय कार्यालयों से सम्पर्क कर बकाया चैक्स व चालानों का समायोजन यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देशित करें।

2.5.2 लेखा शीर्ष 8782-103 “ वन लेखा प्रेषण” के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव

मुख्य लेखा शीर्ष 8782-103 “वन लेखा प्रेषण” के अन्तर्गत विभिन्न खण्डीय कार्यालयों के लेखों में सम्मिलित किये गये गये चालानों एवं चैकों में से लेखा शीर्ष 8782-103-01 के अन्तर्गत 68 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा धनात्मक राशि ₹ 3.39 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 13.32 करोड़ के चालान तथा लेखा शीर्ष 8782-103-02 के अन्तर्गत 53 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा धनात्मक राशि ₹ 0.98 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 0.97 करोड़ के चैक माह 3/ 2022 के लेखे संवरण होने तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए जिनका कोषालयवार विवरण परिशिष्ट संख्या -8 में दर्शाया गया है।

प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि संबंधित कोषाधिकारियों को, बकाया चैक्स व चालानों का समायोजन यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देशित करें ।

2.6 लेखा शीर्ष “8675- रिजर्व बैंक जमा” (राज्य) में बकाया रहे अंतर

लेखा शीर्ष “8675- रिजर्व बैंक जमा (राज्य लेन-देन)” के अन्तर्ग सरकारी लेन देन करने वाली एजेंसी बैंकों से संबंधित सभी अंतरों के भारतीय रिजर्व बैंक से समायोजन प्राप्त हो जाने के कारण माह 03/2022 तक के लेखों में अब कोई अंतर बकाया नहीं है।

2.7 आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 12.46 करोड़

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग-1 के नियम 220 में वर्णित विभागों, कार्यालयों द्वारा नियम 219(iii)(a) के परिशिष्ट “ए” में वर्णित अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय सीमा में कार्य हेतु संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों (ए.सी. बिल) द्वारा धन राशि का आहरण किया जा सकता है जिसके विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल (डी.सी. बिल) सामान्यतः एक माह, परन्तु किसी भी मामले में तीन माह से अधिक नहीं, की अवधि में कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर देने चाहिए । प्रत्येक माह की 10 तारीख के पश्चात् आहरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम ए.सी. बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये कि पिछले माह में उठाये गये ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल अमुक तारीख को कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल प्रेषित किए जाने का रिकार्ड कोषालयों द्वारा भी यह देखने के लिए रखा जाता है कि पिछले माह के ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल प्रेषित कर दिए गए हैं अथवा नहीं । कोषालयों के निरीक्षण के दौरान तथा इस कार्यालय (टी.एम. अनुभाग) द्वारा प्रतिमाह की जाने वाली निगरानी के अनुसार पाया गया कि 09 कोषालयों से संबंधित विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा माह सितम्बर 2021 तक आहरित किये गये 20 ए.सी. बिलों की राशि ₹ 12,45,97,376/- के डी.सी. बिल माह जुलाई 2022 तक इस कार्यालय को आवश्यक समायोजनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिनका नियंत्रक अधिकारीवार एवं

मुख्य शीर्षवार विवरण [परिशिष्ट संख्या -9](#) में दर्शाया गया है, इनकी वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	संख्या	राशि ₹
1	2017 - 18 एवं पूर्व के	8	39889960
2	2018 - 19	0	0
3	2019 - 20	0	0
4	2020 - 21	3	83400000
5	2021 - 22 (सितम्बर 2021 तक)	9	1307416
योग		20	124597376

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे लम्बे समय से बकाया चल रहे ए.सी. बिलों की पहचान करने व उनके समायोजन हेतु डी.सी. बिल शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर पर सीधी निगरानी की व्यवस्था करवाएं।

2.8 [निजी निक्षेप खातों के लिए महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस- माईनस मीमों के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अन्तर राशि ₹ 2.85 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर राशि ₹ 752.79 करोड़ के निराकरण का अभाव](#)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा निजी निक्षेप खातों की संधारित वृहद पुस्तिका व कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस-माईनस मीमों में दर्शाये गये आंकड़ों के मध्य माह मार्च 2022 तक के लेखों की समाप्ति के बाद 39 कोषालयों के 168 निजी निक्षेप खातों के अन्तर्गत राशि ₹ 2,84,83,397.58 के (+) धनात्मक एवं राशि ₹ 7,52,79,24,755.86 के (-) ऋणात्मक अंतर प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालयवार व खातावार विवरण [परिशिष्ट संख्या -10](#) में दर्शाया गया है। संबंधित कोषाधिकारियों के द्वारा महालेखाकार कार्यालय की पुस्तकों के शेषों से अंक मिलान नहीं किये जाने के कारण अन्तरों का निराकरण नहीं किया जा सका।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर , कोषालयों को निर्देश जारी करें कि वे अपने प्रतिनिधि को आवश्यक अभिलेखों सहित इस कार्यालय में प्रत्येक माह अंक मिलान हेतु भिजवायें जिससे अंतरों का निराकरण हो सके ।

भाग- 3

3. कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ

3.1 वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए कोषालय एवं उप कोषालय

समीक्षा वर्ष 2021-22 के दौरान परिशिष्ट संख्या -3 में वर्णित राजस्थान राज्य के 33 कोषालयों तथा 112 उप कोषालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पायी गई मुख्य त्रुटियों/ कमियों का विवरण आगामी पैराओं में दर्शाया गया है।

3.2 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन, आक्षेप तथा विलम्ब से प्राप्त अनुपालना

3.2.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और आक्षेप :-

दिनांक 31 मार्च 2022 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

विवरण	निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप
प्रारम्भिक शेष (1.04.2021) वर्ष 2010-11 से बकाया	170	872
नये सम्मिलित (वर्ष 2021-22) (केवल कोषालय)	24*	418
योग	194	1290
निपटान / निस्तारण (वर्ष 2021-22)	32	420
अन्तिम शेष (31.03.2022)	162	870

(* निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को वर्ष 2021-22 के निरीक्षण प्लान में सम्मिलित नहीं रखा गया)

उपरोक्त बकाया 162 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 870 आक्षेपों में से 35 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 70 आक्षेप वर्ष 2010 -11 से 2015 -16 तक की अवधि से लम्बित हैं।

3.2.2 प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त न होना / विलम्ब से प्राप्त होना :-

वित्त (आर.एण्ड ए.आई.) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या एफ.5(27)/आर.एण्ड ए.आई./79 दिनांक 10.6.80 के द्वारा सभी कोषाधिकारियों को दिये गये निर्देशानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन की पावती, तिथि से दो माह की अवधि में, प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर को प्राप्त हो जाना चाहिए।

समीक्षा वर्ष के दौरान अनुमोदित प्लान के अनुसार कुल 41 में से 33 कोषालयों का निरीक्षण कराया गया था जिनमें से केवल 01 (एक) कोषालय (जयपुर शहर) के द्वारा ही समय पर प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं 18 (अठारह) कोषालयों (अलवर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर ग्रामीण, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, भुगतान एवं लेखाधिकारी नई दिल्ली व ई-कोषालय, जयपुर) द्वारा माह जुलाई, 2022 तक प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा 14 (चौदह) कोषालयों (बारां, बांसवाड़ा, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर सचिवालय, जयपुर पेंशन, जयपुर ग्रामीण, जैसलमेर, करौली व प्रतापगढ़) के द्वारा 02 दिन से 4 माह 15 दिन के विलम्ब से प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या -11 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सभी कोषाधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना सहित बकाया आक्षेपों की ठोस पालना समय पर भिजवाएं ।

3.3 सिविल पेंशन


3.3.1 उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि में से प्रधाधिकृति में दर्शाई गई कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 48.28 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 190 (2) के अनुसार उपादान भुगतान आदेश की सकल राशि में दर्शायी गयी कटौती की वसूली करने के बाद ही उपादान की शुद्ध राशि का भुगतान किया जाना चाहिये ।

उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान आदेशों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राशि ₹ 48,28,181/- की 71 पेंशनरों की उपादान राशि से कटौती कर उपादान भुगतान आदेशों में उल्लेखित राजकोष की मद में जमा की जानी थी, परन्तु 10 कोषालयों एवं 30 उप कोषालयों द्वारा निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं उसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपरोक्त पेंशनरों को जारी उपादान भुगतान आदेशों (अधिकृतियों) में कटौती योग्य दर्शायी गयी राशि की बिना वसूली किए, शुद्ध राशि की बजाय पूर्ण (सकल) उपादान राशि का भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या-12](#) में दर्शाया गया है । एक नजर में जानकारी [चार्ट संख्या-3](#) में दर्शायी गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे मामले की संख्या वर्ष 2017 -18 से प्रतिवर्ष बढ़ रही है।

(चार्ट संख्या 3)

उपादान भुगतान आदेशों में दर्शायी गयी कटौती की वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान के विगत पाँच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े



अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, समस्त कोषाधिकारियों को, उपादान भुगतान आदेश में दर्शायी गई विभागीय कटौती की राशि को उपादान राशि के भुगतान के लिए तैयार किये जाने वाले बिल से ही वसूली कर शुद्ध राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश जारी करवाएं।

3.3.2 मूल वेतन को पेंशन मानकर सिविल पेंशन के पेटे अधिक भुगतान ₹ 2.95 लाख

निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी पी.पी.ओ. संख्या 1135574 (आर) धारक श्री गिरधारी लाल के लिये दिनांक 18.11.2020 को जारी किया गया था। जिसमें मूल पेंशन ₹ 17,150/- स्पष्ट रूप से दर्शाई गई थी। किंतु उप कोषाधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर ग्रामीण) के द्वारा मूल वेतन ₹ 34,300/- को मूल पेंशन मानकर राशि ₹ 5,69,883/- का अनियमित अधिक भुगतान कर दिया गया जिसमें से चालान द्वारा राशि ₹ 2,75,000/- की वसूली कर लिये जाने के उपरांत शेष राशि ₹ 2,94,883/- की वसूली और की जाना बकाया थी।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि इस संबंध में कोषाधिकारी जयपुर (ग्रामीण) के माध्यम से उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर संबंधित पेंशनर को राजकोष से किये गये अधिक भुगतान की शेष रही राशि की वसूली हेतु पालना सुनिश्चित करवाएं।

3.3.3 पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) में दर्शाई गई कटौती राशि की वसूली का अभाव राशि ₹ 0.86 लाख

कोषालय धौलपुर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमती ममता अजहर के लिये जारी किये गये पी.पी.ओ. संख्या 8101030 (आर) के अन्तर्गत राशि ₹ 86,193 /- की वसूली दर्शाई गई थी, किंतु कोषाधिकारी धौलपुर के द्वारा पेंशनर को भुगतान की गई पेंशन एरियर की राशि ₹ 6,79,090/- में से उक्त राशि की वसूली नहीं की गई।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि पेंशन एरियर से पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) में दर्शाई गई कटौती की राशि की संबंधित पेंशनर से वसूली हेतु कोषाधिकारी धौलपुर को निर्देश जारी करवाएं।

3.3.4 पेंशन की रूपांतरित राशि के भुगतान के बाद घटी हुई दर के स्थान पर मूल दर से पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 22.41 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपांतरण) नियम 1996 के नियम 6 (1)(iii)(क) के अनुसार यदि पेंशनर किसी कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है, रूपांतरण के कारण पेंशन की राशि में कमी, पेंशन की रूपांतरित राशि प्राप्त करने की तारीख से या निदेशक, पेंशन व पेंशनर्स कल्याण विभाग के द्वारा पेंशन की रूपांतरित राशि के भुगतान हेतु ऑथोरिटी जारी करने के बाद तीन माह की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, लागू होगी।

कोषालयों / उप कोषालयों के अन्तर्गत पेंशन रूपांतरण आदेश (सी.पी.ओ.) की अधिकृतियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पेंशन रूपांतरण आदेश (सी.पी.ओ.) की अधिकृति जारी से

तीन माह बाद की तिथि अथवा पेंशन रूपांतरण आदेश (सी.पी.ओ.) की अधिकृति के जरिये स्वीकृत की गई राशि के भुगतान की तिथि, इन दोनों में से जो भी पहले हो, की तिथि से घटी हुई दर से पेंशन भुगतान करने के स्थान पर मूल पेंशन दर (अधिक दर) से भुगतान किये जाने के कारण 10 कोषालयों तथा 43 उप कोषालयों द्वारा 149 पेंशनरों को देय राशि के अतिरिक्त राशि ₹ 22,41,419/- का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण [परिशिष्ट संख्या -13](#) में दर्शाया गया है।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त परिशिष्ट में वर्णित प्रकरणों में संबंधित पेंशनरों से वसूली कार्रवाई निष्पादन के साथ-साथ राज्य के समस्त कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों को नियमानुसार नियत तिथि के पश्चात् घटी दर से पेंशन राशि का भुगतान करने पर पूर्ण ध्यान दिये जाने के निर्देश जारी करवाएं।

3.3.5 [सिविल पेंशन एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं / कम कटौती करना राशि ₹ 7.06 लाख](#)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 एवं चैप्टर 5.1 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की पेंशन भुगतान राशि मय एरियर के आयकर छूट सीमा से अधिक होती है तो एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर (T.D.S.) एवं आयकर राशि पर शिक्षा प्रभार की कटौती की जानी चाहिये अथवा सम्बन्धित पेंशनर से आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर में छूट बाबत आवश्यक बचत प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये या चैप्टर VII के सेक्शन 89 के अनुसार 10E प्रपत्र प्राप्त करने चाहियें।

पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की अधिकृतियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 01 कोषालय एवं 11 उप कोषालयों द्वारा 12 पेंशनरों को पेंशन एरियर राशि के किये गये भुगतान में से आयकर व शिक्षा प्रभार पेटे राशि ₹ 7,06,337/- की कटौती नहीं / कम कटौती की गई अथवा आयकर में छूट के लिये आवश्यक बचत प्रमाण पत्र एवं सेक्शन 89 के अनुसार 10E प्रपत्र भी प्राप्त नहीं किये गये, जिसका पूर्ण विवरण [परिशिष्ट संख्या -14](#) में दर्शाया गया है।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर समस्त कोषाधिकारियों को पेंशन एरियर राशि के भुगतान के समय आयकर अधिनियमों के अनुसार आयकर में छूट प्राप्ति योग्य दस्तावेज प्राप्त करने अथवा आयकर राशि की वसूली करने के निर्देश जारी करवाएं।

3.3.6 [उपादान भुगतान प्राधिकृतियों की वैधता अवधि समाप्त हो जाने \(कालातीत हो जाने\) के उपरांत भुगतान किया जाना](#)

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 190(4) एवं निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा जारी उपादान भुगतान अधिकृतियों के अन्तर्गत वर्णित बिन्दु संख्या 7 के अनुसार उपादान भुगतान आदेश जारी होने की तिथि से 12 माह की अवधि तक ही वैध रहता है।

कोषालय बाइमेर के द्वारा श्री तेजाराम पी.पी.ओ. संख्या 1089138 (आर) एवं कोषालय धौलपुर के द्वारा कु. प्रियंका कसाना पी.पी.ओ. संख्या 2009082 (आर) को जारी क्रमशः पेंशन भुगतान आदेश संख्या 3139639 (आर) व 3147757 (आर) की अधिकृतियों के पेटे वैधता अवधि समाप्त हो जाने (कालातीत हो जाने) के उपरांत बिना नवीनीकरण के स्वीकृत राशियों का भुगतान किया गया था।

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर कालातीत उपादान भुगतान आदेशों को सक्षम स्तर से पुनर्वैध करवाने के लिये संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.4 व्यपगत जमायें

3.4.1 व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग प्रथम के नियम 265 के अनुसार राशि ₹ 100/- तक की जमाएं जो कि एक पूर्ण लेखा वर्ष में अदावी रहने पर या अन्य जमाएं या अन्य शेष जिसमें छात्रों द्वारा जमा कराई गई कौशल राशि सम्मिलित करते हुए तीन पूर्ण लेखा वर्षों में अदावी रहने पर प्रत्येक मार्च लेखे की समाप्ति पर व्यपगत मानी जायेगी और उसे कोषाधिकारी द्वारा उचित खाते के राजस्व में जमा कर दिया जायेगा।

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 114 के अनुसार प्रारूप टी.वाई.-7 में व्यपगत जमाओं की विवरण पंजिका, टी.वाई.-8 में जमाओं की प्राप्ति की एक्सट्रेक्ट पंजिका, टी.वाई.-9 में जमाओं के पुनर्भुगतान के शिड्यूल की एक्ट्रेक्ट पंजिका एवं टी.वाई.-10 में वित्तगत जमाओं की प्राप्ति व जमा की पंजिका का संधारण किया जाना चाहिये।

राजस्थान के कोषालयों के मासिक लेखों में लेखा शीर्ष 8443-00-101- रेवन्यु डिपोजिट, 8443-00-103- सिव्युरिटी डिपोजिट एवं 8443-00-104- सिविल कोर्ट डिपोजिट के अन्तर्गत अदावी रही जमा राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह के लेखे बंद हो जाने के बाद व्यपगत योग्य राशियों की प्रत्येक कोषाधिकारी द्वारा सूची तैयार कर महालेखाकार (लेखा व हक.) के कार्यालय (डी.डी.अनुभाग) को प्रेषित की जानी चाहिये एवं महालेखाकार कार्यालय की अनुमति उपरांत अदावी शेष की राशियों को उचित "लेखा शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएं, 101-अदावाकृत जमाएं, 28-अन्य जमाएं" के अन्तर्गत हस्तांतरण किया जाना चाहिये । किन्तु कोषाधिकारी बांसवाडा, चूरु, झुंजरपुर, धौलपुर, जोधपुर ग्रामीण, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद व उदयपुर (ग्रामीण) के द्वारा उपरोक्तानुसार अदावी शेषों की सूचियां तैयार कर महालेखाकार (लेखा व हक.) के कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त कोषाधिकारियों की सूची तैयार कर अदावी शेषों को नियमानुसार व्यपगत किये जाने की कार्रवाई करने हेतु प्रभावी निर्देश जारी करवाएं।

3.4.2 महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित व्यपगत शेषों की सूची में रिफण्ड की गई राशि को शामिल करना ₹ 14.88 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 115 के अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जमाओं का रिफण्ड किया जाता है।

कोषालय उदयपुर (शहर) के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लेखा शीर्ष 8443-00-103 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 149 मर्दों की कुल राशि ₹ 52,64,823/- जमा की गई थी, जिसमें से 22 मर्दों की राशि ₹ 6,11,527/- तीन वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही रिफण्ड कर दी गई थी, किन्तु कोषालय स्तर पर तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गई व्यपगत शेषों की सूची में उक्त रिफण्ड की जा चुकी राशियों को सम्मिलित किया गया था।

इसी प्रकार कोषालय बारां के द्वारा राशि ₹ 6,06,586/-, भरतपुर के द्वारा राशि ₹ 1,51,953/- व जालौर के द्वारा राशि ₹ 52,230/- को रिफण्ड रिफण्ड कर दिये जाने के उपरांत व्यपगत शेषों को की सूची में सम्मिलित कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया गया।

कोषालय सिरोही के द्वारा व्यपगत सूची में राशि ₹ 11,932/- के स्थान पर राशि ₹ 19,932/- लिखने से ₹ 8000/- अधिक सम्मिलित किये गये एवं कोषालय टॉक द्वारा तैयार की गई सूची में सम्मिलित की गई राशि ₹ 57,327/- को कोषालय द्वारा संधारित लेखों से सत्यापन नहीं किया जा सका।

इस प्रकार उपरोक्त सभी 06 कोषालयों के द्वारा कुल राशि ₹ 14,87,623/- को रिफण्ड करने (राजकोष में जमा नहीं रहने) के पश्चात भी व्यपगत शेषों की सूची में अनुचित रूप से सम्मिलित किया गया था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि उपर्युक्त कोषाधिकारियों को व्यपगत शेषों की संशोधित सूचियां तैयार कर महालेखाकार (लेखा व हक.) के कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश जारी करवाएं।

3.4.3 [महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित व्यपगत शेषों की सूची अपूर्ण तैयार करने से पूर्ण राशि शामिल नहीं करना ₹ 2.07 करोड़](#)

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 114 के अनुसार प्रारूप टी.वाई.-7 में व्यपगत जमाओं की विवरण पंजिका, टी.वाई.-8 में जमाओं की प्राप्ति की एकसट्रेक्ट पंजिका, टी.वाई.-9 में जमाओं के पुनर्भुगतान के शिड्यूल की एकट्रेक्ट पंजिका एवं टी.वाई.-10 में वित्तगत जमाओं की प्राप्ति व जमा की पंजिका का परिपूर्ण संधारण कर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग प्रथम के नियम 265 की अनुपालना में तैयार की जाने वाली सूची में समस्त अदावी बकाया शेषों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

कोषालय बारां द्वारा राशि ₹ 1,17,20,235/- , हनुमानगढ़ द्वारा राशि ₹ 85,61,937/-, जालौर के द्वारा राशि ₹ 3,34,058/- एवं सिरोही के द्वारा राशि ₹ 73,000/- को व्यपगत योग्य होने के उपरांत व्यपगत शेषों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया एवं महालेखाकार कार्यालय को अपूर्ण सूची तैयार कर प्रेषित की गई।

इस प्रकार उपरोक्त 04 कोषालयों के द्वारा कुल राशि ₹ 2,06,89,230/- को व्यपगत योग्य होने के उपरांत महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित व्यपगत शेषों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि उपर्युक्त कोषाधिकारियों को व्यपगत शेषों की परिपूर्ण सूचियां संशोधित रूप से तैयार कर महालेखाकार (लेखा व हक.) के कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश जारी करवाएं।

3.5 [निजी निक्षेप खाते एवं अन्य जमा खाते](#)

3.5.1 [निजी निक्षेप खाता धारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना](#)

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 31 मार्च को निजी निक्षेप खाते में शेष रही राशि का सहमति प्रमाण पत्र प्रत्येक निजी निक्षेप खाता के प्रशासक (खाताधारक) से प्राप्त करना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 21 कोषाधिकारियों द्वारा लेखा शीर्ष 8443-00-106-00 के अन्तर्गत 170 निजी निक्षेप खाता धारकों से शेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए जिनका विवरण [परिशिष्ट संख्या -15](#) में दर्शाया गया है।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर निजी निक्षेप खातों के 31 मार्च को प्राप्त अंतिम शेष के आधार पर संबंधित खाता धारक संस्था से अन्तर की जानकारी के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल माह में प्राप्त किये जाने वाले सहमति प्रमाण पत्रों पर किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

3.5.2 [कोषालय द्वारा संधारित निजी निक्षेप खातों के शेषों एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे धनात्मक अन्तर ₹ 463.25 लाख व ऋणात्मक अन्तर ₹ 144.37 लाख](#)

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों के शेषों के मिलान के लिए खाता धारकों से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये तथा अंतर की स्थिति में यथा शीघ्र अंक मिलान कर निराकरण किया जाना चाहिये।

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निजी निक्षेप खातों व संस्था की पासबुक के दिनांक 31.03.2021 तक के आंकड़ों के मध्य 10 कोषालयों के 34 खातों के अन्तर्गत राशि ₹ 4,63,24,800.49 के (+) धनात्मक एवं राशि ₹ 1,44,37,296.00 के (-) ऋणात्मक अंतर प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालयवार व खातावार विवरण [परिशिष्ट संख्या -16](#) में दर्शाया गया है। इनमें से दीर्घ अंतर राशियां अति. जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, छोटीसादड़ी (प्रतापगढ़) के खाता संख्या 3447 में ₹ 310.27 लाख, उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांकड़ा (जैसलमेर) के खाता संख्या 4436 में ₹ 118.08 लाख , मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चौहटन (बाड़मेर) के खाता संख्या 3340 में ₹ 59.46 लाख एवं पंचायत समिति दुदू के खाता संख्या 6017 में ₹ 50.70 लाख विद्यमान है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर निजी निक्षेप खातों के शेष एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे अंतरों के शीघ्र निराकरण के लिए समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

3.5.3 [निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद किये जाने का अभाव](#)

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 98 के अनुसार प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषाधिकारी द्वारा संधारित सभी निजी निक्षेप खातों की समीक्षा की जानी चाहिये तथा जिन खातों में गत पांच वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है के संबंध में खाता धारकों से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए वित्त (मार्गोपाय अनुभाग) विभाग के पत्रांक प.88/विमा/88/पार्ट/30.07.2002 के अनुसार बंद करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

इस कार्यालय द्वारा संधारित वृहद पुस्तिकाओं के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 को पांच वित्तीय वर्ष (वर्ष 2017-18 से 2021-22) पूर्ण हो जाने के उपरांत 26 कोषाधिकारियों के द्वारा 52 अप्रचलित/ निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों (अवशेष राशि ₹ 16,29,51,063.69) को उपरोक्तानुसार बंद करने की कार्यवाही नहीं की गई , जिनका विवरण [परिशिष्ट संख्या -17](#) में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर अप्रचलित / निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को नियमानुसार बंद करने के लिए राज्य के समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.5.4 नेशनल पेंशन स्कीम के लिये खोले गये निजी निक्षेप खाते में जमा राशि को ट्रस्टी बैंक में जमा करवाकर रिकार्ड कीपिंग एजेंसी नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को डाटा प्रेषित करने का अभाव ₹ 45.38 करोड़

राजस्थान सरकार , राज्य बीमा एवं प्रावदायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी नवीन पेंशन अंशदायी योजना (NPS) /भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2004 से लागू की गई नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की कार्य प्रणाली (दिशानिर्देशिका) में दर्शाई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला अधिकारी के द्वारा कोषालय में संधारित निजी निक्षेप खाते में जमा राशि का विवरण नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को प्रस्तुत करते हुए राजकीय कर्मियों के मासिक वेतन से प्राप्त अंशदान की राशि को प्रतिमाह ट्रस्टी बैंक के खाते में जमा कराया जाना चाहिये।

राजकीय कर्मियों के मासिक वेतन से 10 कोषालयों के द्वारा नवीन पेंशन योजना के तहत प्राप्त की गई अंशदान की राशि ₹ 45,37,76,811/- को निजी निक्षेप खातों में जमा करने के उपरांत आहरण कर उक्त राशि ट्रस्टी बैंक के खाते में जमा कराने व विवरण नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को प्रस्तुत करने की कार्यवाही नहीं की गई थी। जिसका कोषालयवार एवं खातावार विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	लेखा शीर्ष का विवरण	निजी निक्षेप खाता की संख्या	शेष राशि की दिनांक	निजी निक्षेप खाता में जमा राशि ₹ (पूर्णांक रुपये में)
1	बांसवाड़ा	8011-00-106-03-01	470	30.04.2018	92986804
2	झूंगरपुर	8443-00-106-00-00	479	30.06.2020	270023271
3	जयपुर (ग्रामीण)	8443-00-106-00-00	479	30.06.2021	26264424
4	जयपुर सचिवालय	8443-00-106-00-00	479	13.07.2021	4284069
5	झालावाड़	8443-00-106-00-00	479	30.09.2021	6556907
6	झुन्झुनू	8443-00-106-00-00	479	14.03.2022	41760
7	कोटा	8443-00-106-00-00	479	30.11.2021	3000
8	सवाई माधोपुर	8011-00-106-03-01	470	30.11.2021	659890
		8443-00-106-00-00	479	30.11.2021	5650890
9	सिरोही	8443-00-106-00-00	479	31.12.2021	47294823
10	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	8443-00-106-00-00	479	31.03.2021	10973
योग ₹					453776811

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर नवीन पेंशन अंशदायी योजना के तहत उपर्युक्त निजी निक्षेप खातों में जमा की गई राशि को ट्रस्टी बैंक के अधिकृत खाते में जमा कराने/ उपलब्ध शेषों का नियमानुसार निस्तारण कराने एवं ट्रस्टी बैंक के खाते में जमा कराई

जाने वाली राशि का विवरण नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को प्रेषित करने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करें।

3.5.5.1 भारतीय जीवन बीमा निगम के निजी निक्षेप खाता संख्या 471 से राशियों का आहरण कर संबंधित कर्मिकों के खातों में जमा कराने का अभाव ₹ 19.33 करोड़

भारतीय जीवन बीमा निगम के लिये राज्य के प्रत्येक कोषालय द्वारा निजी निक्षेप खाता संख्या 471 खोला गया है तथा कर्मिकों के मासिक वेतन से प्राप्त होने वाली प्रिमियम की राशि को उक्त खाता में जमा करने व प्रतिमाह राशि खाता से एकमुश्त आहरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थानीय कार्यालय को प्रेषित करने की कार्रवाई की जाती है और भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा कोषालय से प्राप्त राशि को पॉलिसी धारक कर्मिकवार खोले गये खातों में जमा कर ली जाती है।

निजी निक्षेप खाता संख्या 471 की आय-व्यय समीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य के 15 कोषालयों के द्वारा पॉलिसी धारक कर्मिकों के मासिक वेतन से प्रिमियम के रूप में कटौती कर निजी निक्षेप खाता संख्या 471 में जमा की गई राशि ₹ 19,32,72,007/- को एकमुश्त आहरित कर भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मिकवार खोले गये खातों में प्रिमियम राशि निर्धारित समय में जमा नहीं की जा सकी। यदि लेखों के कम्प्यूटराईजेशन के समय बिना अंकमिलान के खातों में अनावश्यक शेष दर्शाया गया हो तो उसका एन.आई.सी. के सक्षम स्तर पर अंकमिलान कर माह जुलाई 2022 तक निस्तारण नहीं किया गया। निजी निक्षेप खाता में दर्शाये गये जमा शेषों की राशि का कोषालयवार विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	निजी निक्षेप खाता संख्या 471 में दर्शाये गये अंतिम शेष की दिनांक	अंतिम शेष राशि ₹ (पूर्णांक रूपये)
1	बारां	30.11.2021	17110486
2	बूंदी	22.11.2021	10620234
3	भरतपुर	29.11.2021	10965621
4	चूरू	29.12.2021	433775
5	डूंगरपुर	30.06.2021	747987
6	धौलपुर	31.10.2021	4828645
7	हनुमानगढ़	31.01.2022	17568587
8	झालावाड़	22.10.2021	45780443
9	झुन्झुनू	14.03.2022	25529560
10	करौली	30.11.2021	2708021
11	कोटा	30.11.2021	24864783
12	प्रतापगढ़	31.08.2021	11479062
13	राजसमंद	31.01.2022	14157688
14	सवाई माधोपुर	30.11.2021	6449803
15	टोंक	31.01.2022	27312
योग			193272007

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर पॉलिसि धारक कार्मिकों के प्रिमियम की राशि स्थानीय भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित कराने अथवा लेखाओं के कम्प्यूटराईजेशन के समय यदि अनावश्यक दर्शाये गये आंकड़े हों तो उनका अंकमिलान के माध्यम से विसंगतियों का निराकरण कराने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करें।

3.5.5.2 निजी निक्षेप खाता संख्या 471 से भारतीय जीवन बीमा निगम को दोहरा भुगतान राशि ₹ 33.16 लाख

भारतीय जीवन बीमा निगम के लिये भुगतान एवं लेखाधिकारी नई दिल्ली के द्वारा संधारित निजी निक्षेप खाता संख्या 471 नियमित रूप से संधारित किया गया जिसमें माह दिसम्बर 2020 के दौरान पॉलिसी धारक राजकीय कार्मिकों के वेतन से प्रिमियम के रूप में राशि ₹ 33,15,853/- जमा की गई थी। उक्त राशि का हस्तांतरण भारतीय जीवन बीमा निगम को दिनांक 22.01.2021 को कर दिया गया, किन्तु दिनांक 05.03.2021 को हस्तांतरण की गई राशि ₹ 61,27,278/- में माह दिसम्बर 2020 की उपरोक्त राशि ₹33,15,583/- को पुनः सम्मिलित कर लिये जाने के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को कोषालय द्वारा दोहरा भुगतान कर दिया गया।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को लेख है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को किये गये दोहरे भुगतान की राशि ₹3315583/- की वसूली हेतु भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली निर्देशित करें।

3.6 मुद्रांक

3.6.1 अनुपयोगी / कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 60.84 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 246 के अनुसार कम पाये गये / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण हेतु रिपोर्ट तैयार करवाकर संबंधित कोषाधिकारी द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर से उनके निस्तारण की कार्रवाई कराई जानी चाहिये ।

मुद्रांक संबंधी अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान 08 कोषालयों व 05 उप कोषालयों में राशि ₹ 60,84,153/- के कम प्राप्त / कटे-फटे / मिसप्रिंट / अप्रचलित / अनुपयोगी मुद्रांक पाये गये थे, जिनकी संबंधित कोषाधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट तैयार करवाकर महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर से निस्तारण की कार्रवाई माह जुलाई 2022 तक नहीं कराई गई। निस्तारण योग्य मुद्रांकों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	कटे-फटे/ अनुपयोगी/ मिसप्रिंट/ कम प्राप्त मुद्रांकों का मूल्य राशि ₹	मुद्रांक की स्थिति जिसके कारण विक्रय नहीं किया जा सकता
1	अलवर	तिजारा	13712	अप्रचलित /अनुपयोगी
		अलवर	45882	अप्रचलित /अनुपयोगी
2	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	21100	अप्रचलित , कटे / फटे एवं मिसप्रिंट

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	कटे-फटे/ अनुपयोगी/ मिसप्रिंट/ कम प्राप्त मुद्रांकों का मूल्य राशि ₹	मुद्रांक की स्थिति जिसके कारण विक्रय नहीं किया जा सकता
3	इंगरपुर	इंगरपुर	1000	दोहरे नम्बर अंकित होना एवं मिसप्रिंट होना
4	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	1502500	कटे / फटे एवं मिसप्रिंट व भिन्न क्रमांक
5	जयपुर शहर	जयपुर शहर	1310523	अप्रचलित
6	कोटा	कोटा	293140	अप्रचलित
		पीपल्दा	43284	बाढ़ के पानी से खराब
7	प्रतापगढ़	धरियावद	12600	मिसप्रिंट
		अरनोद	5000	मिसप्रिंट
8	सिरोही	आबूरोड़	2640	अप्रचलित /अनुपयोगी
		सिरोही	2389573	अप्रचलित अनुपयोगी
9	उदयपुर शहर	उदयपुर शहर	443199	अप्रचलित,कटे/ फटे एवं मिसप्रिंट
योग			6084153	

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि मुद्रांक भण्डार में कम प्राप्त / कटे-फटे / मिसप्रिंट / अप्रचलित / अनुपयोगी रखे गये मुद्रांकों के नियमानुसार सक्षम स्तर से निस्तारण कराने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.6.2 बिना सुरक्षित कक्ष के मुद्रांक भण्डार व विक्रय का कार्य करना

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 235 के अनुसार मुद्रांक भण्डार का रख-रखाव सुरक्षित कक्ष के डबल लॉक में किया जाना चाहिये।

उप कोषालय नादौती (करौली) के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्वयं का कार्यालय भवन न होने के कारण उप कोषालय के पास सुरक्षित कक्ष उपलब्ध नहीं था, किंतु कोषाधिकारी करौली से प्राप्त मुद्रांकों का भण्डारण व विक्रय की सेवा बिना सुरक्षा उपायों के ही संचालित की जा रही थी।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि मुद्रांकों के भण्डारण एवं विक्रय की सेवा के संचालन के लिए राज्य सरकार के सक्षम स्तर से उप कोष नादौती को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाएं।

3.7 दीर्घकालीन ऋण / अग्रिम

3.7.1 भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 44.95 करोड़

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2004 से पूर्व के गृह निर्माण हेतु स्वीकृत ऋण के लिये राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में एस.बी.आई.) के मध्य दिनांक 17.03.2004 को हुए करार एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्रांक दिनांक 24.04.2004

के अनुसार कटौतियां जमा कराने हेतु मद 8443-106 में निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति जारी की गई। कोषाधिकारियों के स्तर पर उक्त मद में खाता संख्या - 473 खोला जाने तथा प्राप्त कटौतियों की राशि को इस खाते में जमा कर डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) शाखा शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। कोषाधिकारियों से प्राप्त राशि के विवरण से बैंक शाखा शासन सचिवालय के द्वारा ऋणी कार्मिक के व्यक्तिगत खाते में खतौनी की जानी थी।

एस.बी.बी.जे. शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा एक सीमा के बाद ऋणी कार्मिकों के भवन ऋण के लेखा-जोखा को दर्शाने वाले निर्धारित 20 कॉलम प्रपत्र वापिस कर दिये एवं जिन कर्मचारियों के 20 कॉलम प्रपत्र वापिस किये गये उनके कोर बैंकिंग सोल्यूसन (CBS) के अन्तर्गत खाते नहीं खोले गये तथा 38 कोषालयों के अन्तर्गत उन नॉन कोर बैंकिंग सोल्यूसन खाताधारकों की कटौती की राशि ₹ 44,95,01,464/- भवन ऋण / अग्रिम से संबंधित बजट लेखा शीर्ष 7610 के स्थान पर उक्त निजी निक्षेप खाता संख्या 473 में जमा किये जाने के कारण राजकोष को पुनर्भरण नहीं किया गया। उक्त राशि का विवरण परिशिष्ट संख्या -18 में दर्शाया गया है।

प्रकरण में बैंक के साथ बैठक आयोजित कर राज्य सरकार के सक्षम स्तर वित्त (मार्गोपाय) विभाग से इस संबंध में प्रभावी व सकारात्मक कदम नहीं उठाये जाने के कारण पी.डी. खाता के अन्तर्गत जमा राशि में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से समस्त कोषालयों के स्तर पर निजी निक्षेप खाता संख्या- 473 में जमा राशि को भवन ऋण / अग्रिम से संबंधित बजट लेखा शीर्ष 7610 में नियमानुसार हस्तांतरण की कार्रवाई कर राजकोष का पुनर्भरण करवाएं।

3.7.2 श्री लियाकत हुसैन अंसारी जी.पी.एफ. खाता संख्या 573377 को स्वीकृत भवन ऋण की प्राप्त 29 किशतों की राशि ₹ 88653/- के लिये बैंक द्वारा मना किया जाना एवं कार्मिक से बकाया राशि की वसूली कर अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने का अभाव

जिला कलक्टर कोटा के द्वारा स्वीकृति क्रमांक: भनिअ/99-2000/566 दिनांक 08.06.1999 के द्वारा श्री लियाकत हुसैन अंसारी जी.पी.एफ. खाता संख्या 573377 को कुल राशि ₹ 2.45 लाख का भवन ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसके विरुद्ध माह जून 2004 से अक्टूबर 2006 तक की अवधि की ₹ 3,057/- की दर से कटौती कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान एस.बी.आई.) शाखा शासन सचिवालय, जयपुर को भेजी जाती रही। किंतु बैंक द्वारा उनके पत्रांक 589 दिनांक 01.10.2021 के माध्यम से उक्त कार्मिक का बैंक के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया। कार्मिक की दिनांक 31.12.2022 सेवा निवृत्ति दिनांक है तथा बकाया का चुकारा करने एवं अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये दिनांक 16.11.2017 से आवेदन कर रखा है। प्रकरण में त्वरित निस्तारण अपेक्षित है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि कोषाधिकारी कोटा एवं भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सचिवालय, जयपुर के मध्य समन्वय स्थापित करवाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण कराने की व्यवस्था करवाएं।

3.7.3 दिनांक 31.03.2004 के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक एवं एस.बी.बी.जे. बैंक (वर्तमान एस.बी.आई) से स्वीकृत कराये गये भवन ऋणों की राशि ऋणी कार्मिकों के बैंक खातों में जमा कराने का अभाव ₹ 217.46 लाख

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2004 के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक से भवन निर्माण ऋण स्वीकृत कराने एवं ऋणी कार्मिकों के मासिक वेतन से बैंक द्वारा निर्धारित किश्तों की कटौती कर कोषालय स्तर पर लेखा शीर्ष 8443-00-106-00-00 में खोले गये निजी निक्षेप खाता संख्या 475 एवं एस.बी.बी.जे. बैंक से स्वीकृत कराये गये भवन ऋणों को खाता संख्या 474 में जमा करने तथा इन दोनों निजी निक्षेप खातों से प्रतिमाह राशियों का आहरण कर सम्बद्ध बैंक में ऋणी कार्मिकवार खोले गये बैंक खातों में जमा कराने की व्यवस्था की गई थी।

निजी निक्षेप खाता संख्या 475 व 474 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 14 कोषालयों के द्वारा राशि ₹ 85,47,058/- का खाता संख्या 475 से आहरण कर एच.डी.एफ.सी. बैंक को एवं 06 कोषालयों के द्वारा राशि ₹ 1,31,99,074/- का खाता संख्या 474 से आहरण कर एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) बैंक को (दोनों बैंकों को देय कुल राशि ₹ 2,17,46,132/-) उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप इन बैंकों के अन्तर्गत ऋणी कार्मिकवार खोले गये ऋण खातों में जमा नहीं कराया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

एच.डी.एफ.सी. बैंक खाता संख्या 475

क्र.सं.	कोषालय का नाम	अंतिम शेष की दिनांक	राशि ₹ (पूर्णांक)
1	बूंदी	31.10.2021	124145
2	भरतपुर	30.11.2021	372446
3	चित्तौड़गढ़	31.07.2021	275405
4	चूरू	30.11.2021	194744
5	झुंजरपुर	30.06.2021	1097883
6	झालावाड़	30.09.2021	157423
7	झुन्झुनू	10.03.2022	383104
8	प्रतापगढ़	31.08.2021	721489
9	पाली	15.03.2022	148816
10	राजसमंद	31.12.2021	4358036
11	सिरोही	31.12.2021	44800
12	टोंक	31.01.2022	54156
13	उदयपुर (शहर)	14.08.2018	5321
14	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	31.03.2021	609290
योग			8547058

एस.बी.बी.जे. बैंक खाता संख्या 474

क्र.सं.	कोषालय का नाम	अंतिम शेष की दिनांक	राशि ₹ (पूर्णांक)
1	चूरू	30.11.2021	433775
2	जालौर	31.12.2021	11708
3	झुन्झुनू	07.03.2022	24772
4	राजसमंद	31.12.2021	378827
5	सवाई माधोपुर	30.11.2021	12336406
6	सिरोही	31.12.2021	13586
योग			13199074

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि उपर्युक्त निजी निक्षेप खातों में जमा राशियों को आहरित कर ऋणी कार्मिकों के संबंधित बैंक खातों में जमा कराने हेतु कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.7.4 अनुदानित भवन ऋण नियमों में क्रियान्वयन प्रणाली का असफल होना

राज्य कर्मचारियों को अनुदानित भवन ऋण स्वीकृति के नियमों का नियमन आदेश क्रमांक-11(1)/एफ.डी.(ग्रुप-2)/ 93 आर.एस.आर. 8/ 93 जयपुर दिनांक 03.03.1993 के अन्तर्गत ऋण स्वीकृता अधिकारी (जिला कलक्टर), आहरण व संवितरण अधिकारी एवं कोषाधिकारी के कर्त्तव्यों की क्रियान्वयन प्रणाली दर्शाई गई है।

जिला कलक्टर जयपुर द्वारा स्वीकृत भवन ऋणों में से आहरण व संवितरण अधिकारी व कोषाधिकारी जयपुर (शहर) द्वारा संधारित निम्नलिखित कर्मचारियों / अधिकारियों के दीर्घकालीन ऋणों के लेखों में अनियमितताएं पाई गई:-

3.7.4.1 आहरण संवितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत उप महानिरीक्षक, पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर तृतीय द्वारा श्री श्योकरण दुसाद, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार के लिये अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तैयार करते समय भवन निर्माण ऋण की स्वीकृति एवं भुगतान की गई ऋण राशि तथा मासिक किश्तों का इन्द्राज नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप ऋणी कार्मिक का स्थानान्तरण होने पर संबंधित कार्यालयों के द्वारा भी कटौती नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त कोषाधिकारी जयपुर (शहर) के स्तर पर भी दीर्घकालीन ऋणों के लेखाओं के संधारण से संबंधित नियमों की अनुपालना में कई तरह की चूक की गई जैसे :- लेख के संधारण के ब्रांडशीटों में कार्मिक द्वारा आहरित भवन अग्रिम की स्वीकृति संख्या, आहरित राशि व उसकी कोष वाउचर संख्या व दिनांक, ब्याज की दर, किश्तों की संख्या, इत्यादि का अंकन नहीं किया गया एवं कार्मिक की कटौतियां बन्द हो जाने पर संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी को सूचित नहीं किया गया। कोषाधिकारी द्वारा आवंटित स्थाई लेखा संख्या की सूचना परिशिष्ट-2 में संबंधित ऋणी कार्मिक व आहरण संवितरण अधिकारी व स्वीकृता अधिकारी को को भेजने हेतु पत्रों की प्रतियां तैयार नहीं की गई। ब्रांडशीट में शीर्ष वार प्रविष्टियों के बाद कुल कटौतियों के योग को सत्यापित नहीं किया गया एवं कार्मिक द्वारा नकद जमा कराने पर पृथक से ब्रांडशीट का संधारण नहीं किया गया। ब्रांडशीटों का मासिक योग लगाकर महालेखाकार

कार्यालय को प्रेषित मासिक लेखों के मुख्य लेखा शीर्ष 7610 से सत्यापन नहीं किये जाने के फलस्वरूप लुप्त कटौतियां ज्ञात नहीं की गई व समस्त ऋणियों की नाम वार निजी पत्रावलियों का संधारण नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान हुई कटौतियों का योग, प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया मूलधन व ब्याज की गणना का इन्द्राज नहीं किया गया तथा वर्ष के दौरान लुप्त कटौतियों की सूचना खाता धारक ऋणी को प्रेषित नहीं की गई।

3.7.4.2 श्री श्योकरण दुसाद, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार का प्रकरण ध्यान में लाये जाने पर ही वित्त विभाग द्वारा 24 प्रतिशत ब्याज लगान के आदेश जारी किये गये जबकि निरीक्षण के दौरान इसी प्रवृत्ति के निम्नलिखित प्रकरण और पाये गये थे :-

क्र.सं.	ऋणी कार्मिक का नाम	स्वीकृति की संख्या व दिनांक	किश्त का विवरण	ऋण की राशि ₹
1	श्री दयालशरण सक्सैना सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावदायी निधि विभाग	147/ 17.01.1996	प्रथम किश्त	35200
2	श्री गिरिधारी लाल सेवानिवृत्त कान्सटेबल कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर	951/ 25.05.1994	प्रथम किश्त	17200
		4388/ 17.02.1995	द्वितीय किश्त	8600
		4244/ 29.09.1995	तृतीय किश्त	17200
3	श्री भंवर सिंह सेवानिवृत्त उप निरीक्षक कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अजमेर	2445/ 27.07.200	प्रथम किश्त	100000
4	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जल सेवक, देवास्थान विभाग	टी.वी. संख्या 88 / 31.03.2001	प्रथम किश्त	95000
5	श्री सुरेश कुमार भट्ट सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक, कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर	1081/ 03.01.1995	प्रथम किश्त	17820
		1081/ 03.01.1995	द्वितीय किश्त	8910
		199/01.10.1995	तृतीय किश्त	17820
6	श्री मोहन सिंह भाटी वरिष्ठ लिपिक अति. कलैक्टर, मुद्रांक, जयपुर	12151-56 /29.09.1999	प्रथम किश्त	69000

कोषाधिकारी जयपुर (शहर) के द्वारा उपरोक्त सभी छः प्रकरणों के निस्तारण में ब्याज दर 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत (समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित दरें) का उपयोग किया गया था। अतः कोषाधिकारी के स्तर पर अदेयता प्रमाण पत्र जारी करते समय सभी कार्मिकों के लिये एक समान लागू करने की बजाय असमान ब्याज दरे लागू की गई थी। हालांकि श्री श्योकरण दुसाद, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार के प्रकरण के बाद उपरोक्त सभी छः प्रकरणों में 24 प्रतिशत ब्याज लगाकर पत्र जारी किये गये किंतु उसके विरुद्ध की गई वसूली का सत्यापन नहीं कराया गया।

अतः अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि उपरोक्त अनियमितताओं/ कमियों की अनुपालना के लिये कोषाधिकारी जयपुर (शहर) को निर्देशित करें।

3.7.5 दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहद् पुस्तिका के संधारण का अभाव

राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रदान किये गये दीर्घकालीन ऋण (वाहन व भवन ऋण) से संबंधित लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 5.7 के अनुसार वृहद् पुस्तिका का संधारण किया जाना चाहिये तथा बिंदु 5.12 के अनुसार ब्रॉडशीट में मासिक योग लगाकर उसका मिलान कोषालय लेखा से करना चाहिये।

दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कोष कार्यालय अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर (शहर), जयपुर (पेंशन), जयपुर (सचिवालय), जैसलमेर, झुन्झुनू, करौली, जोधपुर(ग्रामीण), प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर शहर, के द्वारा राजकीय कर्मचारियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के लेखों के रख-रखाव के लिए वृहद् पुस्तिका का परिपूर्ण संधारण नहीं किया गया था एवं न ही ब्रॉडशीटों का मासिक योग लगाकर कोषालय लेखों से मिलान किया गया था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सभी कोषाधिकारियों को कोषालयों के स्तर पर दीर्घकालीन ऋणों की वृहद् पुस्तिकाओं का संधारण पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित करें।

3.7.6 अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण के अभाव में बकाया रहना

दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित विभिन्न ऋणी कार्मिक जिनकी किश्तों का चुकारा हो गया एवं उनके द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित कोषालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिनका कोषालयवार विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	बकाया की तिथि	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	ऋण का प्रकार
1	बांसवाड़ा	29.07.2021	29	भवन ऋण
			04	वाहन ऋण
2	चित्तौड़गढ़	24.08.2021	100	भवन ऋण
			27	वाहन ऋण
3	डूंगरपुर	30.06.2021	15	भवन ऋण
			02	वाहन ऋण
4	जयपुर (ग्रामीण)	30.06.2021	27	भवन ऋण
			33	वाहन ऋण
5	जयपुर (शहर)	30.06.2021	16	भवन ऋण
			14	वाहन ऋण
6	झुन्झुनू	22.03.2022	55	भवन ऋण
			45	वाहन ऋण
7	करौली	30.11.2021	16	भवन ऋण
			07	वाहन ऋण
8	प्रतापगढ़	30.07.2021	17	भवन ऋण
			10	वाहन ऋण

किंतु उपरोक्त कोषालयों के द्वारा दीर्घकालीन ऋणों की लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 9.3 के अनुसार अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निस्तारण की कार्रवाई नहीं की गई।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर इन दीर्घकालीन ऋणों की लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 9.3 की अनुपालना हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.8 अन्य अनियमिततायें

3.8.1 सोने व चांदी के आईटमों के निस्तारण का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 120 के अनुसार कोषालय जयपुर (शहर) को बहुमूल्य एवं कीमती सामानों के रख-रखाव हेतु रिजर्व कोषागार घोषित किया गया है तथा जब्त किये गये या अन्य प्रकार से प्राप्त सोने, चांदी, हीरे इत्यादि सामान जो कि सामान्य एवं आपराधिक मामलों में न्यायालय के निर्णय से राजकीय सम्पत्ति घोषित होने पर उन्हें रिजर्व कोषागार में जमा कराया जाता है तथा इस सम्पत्ति की प्राप्ति, सुरक्षा एवं निस्तारण के लिये वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक:एफ.2/1/ वित्त/जी.एफ. एण्ड आर./ 2000 दिनांक 20.02.2004 द्वारा पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे।

कोषालय जयपुर (शहर) द्वारा संधारित बहुमूल्य सामग्री की पंजिकाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया था कि रिजर्व कोषागार के अन्तर्गत 28,615.047 ग्राम सोना एवं 9,43,033.028 ग्राम चांदी के जेवरात गहने एवं पुरा-कला महत्व की पुरातत्व विभाग को हस्तांतरण योग्य सामग्री जमा थी, किंतु उसका माह जुलाई 2022 तक कोई निस्तारण नहीं किया गया था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि राज्य सरकार के सक्षम स्तर से राज्य के रिजर्व कोषागार में रखी गई बहुमूल्य / सामग्री के निस्तारण के लिये नियमानुसार व्यवस्था करवाएं।

3.8.2 नवसृजित स्वतंत्र उप कोष पेंशन जयपुर द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के फलस्वरूप पदस्थापित उप कोषाधिकारी के वेतन भत्तों एवं भवन किराया पर किया व्यय निष्फल रहना ₹ 41.82 लाख

निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 30.04.2018 के द्वारा बजट घोषण वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या 146 के अनुसार नवसृजित स्वतंत्र उप कोष पेंशन जयपुर की स्थापना की गई थी। जिसके लिये पदस्थापित किये गये श्री नरपत सिंह, उप कोषाधिकारी को दिनांक 25.06.2018 से 30.06.2021 तक की अवधि के दौरान वेतन भत्तों के रूप में ₹ 3941840/- का भुगतान किया गया था एवं श्रीमती चन्दा पारीक, भवन मालिक को भवन किराया के पेटे दिनांक 28.02.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के दौरान ₹ 240535/- का भुगतान किया गया था। इस प्रकार नवसृजित स्वतंत्र उप कोष द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के फलस्वरूप राजकोष से कुल ₹ 4182375/- का व्यय निष्फल रहा।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि नवसृजित उप कोषालय पेंशन का संचालन करवाने की व्यवस्था हेतु संबंधित कोषाधिकारी को निर्देश जारी करें।

3.8.3.1 सुरक्षित कक्ष की मरम्मत कराने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली के नियम 116 की टिप्पणी संख्या 2 के अनुसार उप कोषालय के प्रकरण में सुरक्षित कक्ष के लिये सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष सावर्जनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से एवं पांच वर्ष में एक बार अधिशाषी अभियंता से एक बार प्राप्त किया जाना चाहिये।

उप कोषालय कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) द्वारा सुरक्षित कक्ष की सुरक्षा हेतु संधारित पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कुशलगढ़ के द्वारा उप कोष कुशलगढ़ के सुरक्षित कक्ष के निरीक्षण उपरांत उनके पत्रांक 88 दिनांक 11.06.2020 द्वारा अवगत कराया गया था कि सुरक्षित कक्ष की फर्स में सेटलमेंट है एवं मरम्मत की आवश्यकता है। जिसकी अनुपालना में उप कोषाधिकारी कुशलगढ़ के द्वारा उनके पत्र क्रमांक: उप कोष / 2021/ 61 दिनांक 01.07.2021 व 16 दिनांक 13.06.2020 के द्वारा कोषाधिकारी बांसवाड़ा से बजट आवंटन की मांग की गई। किंतु सक्षम स्तर से सुरक्षित कक्ष की मरम्मत करवाकर अनुपालना से माह जुलाई 2022 तक अवगत नहीं कराया गया।

इसी प्रकार उप कोषालय नदबई व नगर (भरतपुर) के सुरक्षित कक्षों को भी संबंधित अधिकारियों के द्वारा असुरक्षित करार दिये जाने के बावजूद उपयोग में लिया जा रहा था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि कोषाधिकारी बांसवाड़ा एवं भरतपुर के अधीनस्त उपरोक्त सुरक्षित कक्षों की मरम्मत कराने हेतु निर्देशित करें।

3.8.3.2 सुरक्षित कक्ष का सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली के नियम 116 की टिप्पणी संख्या 2 की अनुपालना में उप कोषालय अंता (बारां), उप कोषालय सराड़ा (अजमेर), उप कोषालय कुम्हेर एवं पहाड़ी (भरतपुर), उप कोषालय पिड़ावा एवं अकलेरा (झालावाड़) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग से सुरक्षा प्रमाण प्राप्त नहीं किया गया।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम स्तर से नियमानुसार सुरक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये संबंधित कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों निर्देशित करें।

3.8.4 राजकीय प्राप्ति के चैकों को राजकोष में जमा कराने का अभाव ₹ 11.69 लाख

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग-प्रथम के नियम 5 व 6 के अनुसार सरकार की बकाया के रूप में अन्य प्रकार से सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त धन राशि को अविलम्ब सरकारी लेखों में जमा कराया जाना चाहिये।

रोकड़ संबंधी अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कोषालयों / उप कोषालयों के अन्तर्गत राजकीय प्राप्तियों के चैकों को राजकोष में जमा नहीं कराया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

3.8.4 .1 कोषालय बाड़मेर व अधीनस्थ उप कोषालय रामसर एवं शिव के द्वारा क्रमशः ₹ 2,74,485/-, 13,000/- व 16,000/- (कुल राशि ₹ 3,03,485/-) को राजकोष में जमा नहीं कराया गया

जिसके फलस्वरूप उक्त सभी चैक अवधि पार (कालातीत) हो गये, जिन्हे नवीनीकरण (पुनर्वैधीकरण) करवाकर राजकोष में जमा कराने की कार्रवाई अपेक्षित है।

3.8.4.2 उप कोषाधिकारी झालरापाटन (झालावाड़) द्वारा दिनांक 08.06.2020 को विभिन्न बैंकों को पत्र जारी कर राशि ₹ 1,34,550/- के चैकों को नवीनीकरण हेतु प्रेषित किये गये थे किंतु उक्त सभी चैक पुनर्वैध करवाकर राजकोष में जमा नहीं करवाये गये।

3.8.4.3 प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , बालेसर (जोधपुर ग्रामीण) के द्वारा चैक संख्या 364381 राशि ₹ 3,00,000/- को जी.आर.एन. (चालान) के माध्यम से दिनांक 28.02.2018 को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा बालेसर में प्रस्तुत किया गया किंतु बैंक द्वारा उक्त चैक को राजकोष में जमा (समाशोधन) नहीं दिया गया।

इसी प्रकार उप कोषालय बसेड़ी (धौलपुर) के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा बसेड़ी द्वारा 25 बैंकर चैक राशि ₹ 1,45,750/- दिनांक 05.07.2021 से 14.10.2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत किये गये थे, किंतु बैंक द्वारा इन चैकों को राजकोष में जमा (समाशोधन) नहीं दिया गया।

3.8.4.4 उप कोषालय कुम्भलगढ़ के द्वारा राजकोष लेखा शीर्ष 2235 में जमा हेतु प्राप्त 11 बैंकर चैक / डी.डी. की कुल राशि ₹ 2,84,750/- को एर्जेसी बैंक शाखा में प्रस्तुत कर जमा नहीं कराया गया था।

इस प्रकार उपरोक्त पैरा 3.8.4.1 से 3.8.4.4 में वर्णित सभी 07 उप कोषालयों के द्वारा कुल राशि ₹ 11,68,535/- को राजकोष के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि कोषालय / उप कोषालय में प्राप्त अथवा बैंक को प्रस्तुत किये जा चुके सभी कालातीत चैक / डी.डी. को राजकोष के संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के लिये संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.8.5 जिला मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड (डीएमएफटी) के निजी निक्षेप खाता में जमा राशियों को खनन प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों पर व्यय नहीं करना राशि ₹ 830.17 करोड़ एवं निर्धारित आनुपातिक व्यय सीमा का ध्यान नहीं रखना

जिला मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट निधि नियम 2016 एवं राजस्थान जिला मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट निधि संशोधन नियम 2018 के अनुसार प्रत्येक खनिज लाईसेंस प्राप्तकर्ता से रायल्टी के अतिरिक्त, खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 की द्वितीय अनुसूची की शर्तों के अनुसार 12 जनवरी 2015 के बाद मंजूर की गई खनिज लीज पर रायल्टी की 10 प्रतिशत राशि राजस्थान जिला मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट निधि (RDFMT) के अन्तर्गत जमा कराई जानी चाहिये एवं उक्त राशि को जिले में स्थित खनिज प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों के कल्याण व लाभ के कार्यों पर निम्नानुसार व्यय किये जाना चाहिये:-

क्र.सं.	कार्यों का विवरण	व्यय की जाने वाली राशि का विवरण
1	पेय जल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण	60 प्रतिशत राशि व्यय की जानी

	कार्य, माईन्स वर्कर (खनिज मजदूर) के कल्याण एवं स्वास्थ्य सुधार के कार्य, शिक्षा, महिला एवं बच्चों का कल्याण, वृद्ध एवं अपंग व्यक्तियों का कल्याण, विकलांग/ अपंग व्यक्तियों के कल्याण, कौशल विकास, सेनिटेशन इत्यादि कार्य।	चाहिये
2	भौतिक अवसंरचना कार्य, सिंचाई, उर्जा एवं जल संरक्षण कार्य व अन्य कार्य जिससे पर्यावरणीय विकास हो इत्यादि।	40 प्रतिशत राशि व्यय की जानी चाहिये

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों के द्वारा जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट निधि (RDFMT) के निजी निक्षेप खातों में जमा कराई राशि ₹ 8,30,17,44,696/- को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप खनन प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों के कल्याण व लाभ के कार्यों पर व्यय नहीं किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	लेखा शीर्ष	खाता संख्या	अंतिम शेष की दिनांक	राशि ₹
1	धौलपुर	8443-00-106-03-01	6232	31.10.2021	7192606
		8342-00-120-65-00	7049	31.10.2021	353800000
2	श्रीगंगानगर	8443-00-106-03-01	6261	11.10.2021	59952485
		8342-00-120-65-00	7052	11.10.2021	251454000
3	करौली	8443-00-106-03-01	6243	31.11.2021	89420902
		8342-00-120-65-00	7034	31.11.2021	470000000
4	कोटा	8443-00-106-03-01	6250	31.11.2021	45225215
		8342-00-120-65-00	7039	31.11.2021	425682737
5	राजसमंद	8443-00-106-03-01	6234	31.12.2021	1283462654
		8342-00-120-65-00	7029	31.12.2021	5189145000
6	सवाई माधोपुर	8443-00-106-03-01	6252	31.11.2021	6409097
		8342-00-120-65-00	7041	31.11.2021	120000000
योग					8301744696

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर का ध्यानाकर्षण कर लेख है कि "जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट निधि" के समस्त निजी निक्षेप खातों में जमा राशियों का दिशा-निर्देशिका के अनुरूप जन कल्याणकारी कार्यों पर राज्य सरकार के सक्षम स्तर से उपयोग सुनिश्चित करवाएं।

3.8.6 रोकड़िये से प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 63 एवं सामान्य एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 313 के अनुसार कोषालयों एवं उप कोषालयों में कार्यरत भण्डारपाल / रोकड़िये से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये।

कोषालयों/ उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपकोषालय राजगढ़ (अलवर), उप कोषालय कामां एव पहाड़ी (भरतपुर), उप कोषालय सुजानगढ़ एवं बीदासर (चूरू), उप कोषालय घड़साना, करणपुर, पदमपुर, व सादुलशहर (श्रीगंगानगर), उप कोषालय बागोड़ा (जालौर), उप कोषालय बावड़ी, औंसियां, बाप, (जोधपुर ग्रामीण), उप कोषालय गंगधार, अकलेरा एवं झालरापाटन (झालावाड़), कोषालय पाली तथा उप कोषालय सुमेरपुर व देसूरी (पाली), उप कोषालय भीम व कुम्भलगढ़ (राजसमंद), उप कोषालय गोगुन्दा एवं खैरवाड़ा (उदयपुर ग्रामीण), भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली , के द्वारा रोकड़िये से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर कोष / उप कोष में भण्डार पंजिका, मुद्रांक पंजिका एवं कैशबुक संधारणकर्ता से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

भाग-4

4.1 सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा से संबंधित अनियमिततायें/ कमियां

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निरीक्षण किये गये लगभग सभी कोषालयों (अलवर, बारां, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बूंदी, भरतपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर शहर, जयपुर (ग्रामीण), जयपुर पेंशन, जयपुर सचिवालय, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, झुन्झुनू, करौली, कोटा, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली, ई-कोषालय, जयपुर) एवं इनके अधीनस्थ उप कोषालयों के अन्तर्गत सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा संबंधी जांच में पाई गई मुख्य अनियमितताओं का विवरण निम्नलिखित है:-

- 4.1.1 सूचना सुरक्षा नियमावली उपलब्ध नहीं होना पाई गई।
- 4.1.2 उपयोगकर्ता / प्रचालकों के लिए बायोमेट्रिक लॉगिन का प्रावधान न होना।
- 4.1.3 सिस्टम द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट / सूचनाओं आदि पर डिजिटल हस्ताक्षर का अभाव।
- 4.1.4 सभी कार्यस्थल हार्डवेयर एवं सहायक उपकरणों को विशेष पहचान कोड / नम्बर अंकित नहीं करना।
- 4.1.5 कार्यस्थल / सर्वर आदि में वायरसरोधी (Anti Virus) नवीनतम वर्जन स्थापित नहीं करना।
- 4.1.6 एप्लीकेशन द्वारा अंतिम लॉगिन (सफल/असफल एवं समय) कोषालय स्तर पर नहीं दर्शाया जाना।
- 4.1.7 कोषालय स्तर पर ऑडिट ट्रेल एवं लॉग उपलब्ध नहीं होना।
- 4.1.8 पे-मैनेजर पर लॉगिन करते समय कैप्चा का केस सेंसेटिव नहीं होना और गलत पासवर्ड के लिये अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होना।
- 4.1.9 सिस्टम जनरेट की गई कुछ रिपोर्ट्स / सूचनाओं आदि पर समय व दिनांक दर्ज होता है किंतु कई रिपोर्ट्स / सूचनाओं पर समय व दिनांक दर्ज अभाव पाया जाना।
- 4.1.10 ई-कोषालय से संबंधित सिस्टम द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट/ सूचनाओं (ई-स्कॉल/ स्कॉल, ई-डी.एम.एस./डी.एम.एस. (45-ए) आदि पर डिजिटल हस्ताक्षर का अभाव पाया गया।
- 4.1.11 मेकर चेकर के नियंत्रण की अवधारणा की अनुपालना नहीं की जाती है।
- 4.1.12 गोपनीय रूप में पासवर्ड / अन्य कुन्जी डाटा विषयवस्तु संचित नहीं की जाती है।
- 4.1.13 कोषागार कार्मिकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले डेस्कटॉप, लेपटॉप में यूएसबी पोर्ट को निष्क्रिय की प्रणाली नहीं अपनाई गई।
- 4.1.14 प्रयुक्त किये जा रहे सॉफ्टवेयर बिना लाईसेंस के बताये गये। सॉफ्टवेयर बिना लाईसेंस के उपयोग करना वैधानिक अनियमितता है।

4.1.15 कोषागार स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार की गई सूचनाओं / डाटा के बैकअप की पॉलिसी का अभाव पाया गया।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि वे एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा से संबंधित उपर्युक्त ऑनलाईन कमियों की अनुपालना हेतु संबंधित को निर्देशित करें।

4.2 कोषालयों के कार्यों के निष्पादन हेतु विकसित मोड्यूल्स में जनरेट होने वाली विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स में पाई गई कमियां

4.2.1 आई.एफ.एम.एस. पर एल.टी.ए. मोड्यूल का निरर्थक संधारण

आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत मोड्यूल एन.आई.सी. के द्वारा एल.टी.ए मोड्यूल विकसित किया गया है।

कोषालय जयपुर (सचिवालय) के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एल.टी.ए मोड्यूल के अन्तर्गत राजकीय कार्मिकवार लोन के विवरण माह जून 2014 के पश्चात की कटौतियों से अपूर्ण रूप से दर्शाया गया था एवं इससे पूर्व की कटौतियों के विवरण को ऑनलाईन दर्शाने के लिये मोड्यूल में कोई व्यवस्था नहीं की गई व उक्त कटौतियों का ऑफलाईन ही संधारण किया गया था। मोड्यूल में किसी ऋणी कार्मिक द्वारा कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया, उसमें से कितनी राशि वेतन व चालान से जमा की गई और कितना मूल ऋण बकाया रहा एवं उस पर ब्याज पेटे कितनी राशि बकाया रही इत्यादि एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का कार्य नहीं किया जा रहा था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित एल.टी.ए. मोड्यूल को कोषालय जयपुर (सचिवालय) के साथ-साथ राज्य के सभी कोषालयों में पूर्णरूप से ऑनलाईन क्रियान्वित करने हेतु निर्देशित करें।

4.2.2 पे-मैनेजर पर संधारित लोन डिडक्सन रिपोर्ट का अपूर्ण होना

कोषालय चूरू एवं अधीनस्थ उप कोषालय सुजानगढ़, बीदासर व रतनगढ़ एवं कोषालय सिरोही से संबंधित पे-मैनेजर पर संधारित लोन डिडक्सन रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान पर पाया गया कि लोन डिडक्सन रिपोर्ट का आईकन तो उपलब्ध करा दिया गया है परन्तु इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिये कोई आईकन उपलब्ध नहीं था। जिसके फलस्वरूप राजकीय कार्मिकों के मासिक वेतन से दीर्घावधि ऋणों के विरुद्ध एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक), एच.डी.एफ.सी. बैंक में जमा कराने योग्य राशियों जानकारी उपलब्ध नहीं की जा सकती।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से राजकीय कार्मिकों के मासिक वेतन से दीर्घावधि ऋणों के विरुद्ध जमा कराने योग्य राशियों की ऑनलाईन जानकारी प्रदर्शित करवाएं।

4.2.3 जारी किये मुद्रांकों के चालानों को डी-फेस किये जाने का अभाव

राजस्थान सरकार, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के पत्र क्रमांक: एफ.5(थ-75)/डीटीए/आईएफएमएस/ 17907-18156 दिनांक 10.09.2013 के अनुसार कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा जमा ई-चालानों को डिफेस किया जाना चाहिये।

उप कोषालय कुम्हेर व पहाड़ी (भरतपुर) के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उप कोष कुम्हेर के द्वारा 08 चालानों (04 चालान माह मार्च 2020 व 04 चालान माह मार्च 2021) तथा पहाड़ी के द्वारा 05 चालानों (02 चालान माह मार्च 2020 व 03 चालान माह मार्च 2021) को डिफेस नहीं किया गया । जिससे चालानों के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि सभी कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों को मुद्रांक जारी हो जाने के बाद चालानों को डिफेस करने की पूर्ण पालना हेतु निर्देशित करें।

4.2.4 मुद्रांक की ऑनलाईन स्टॉक इन हैण्ड रिपोर्ट एवं ऑफलाईन संधारित रजिस्ट्रों के मध्य मुद्रांकों की मात्रा में अन्तर प्रकट होना

आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत विकसित किये मुद्रांक मॉड्यूल में सभी प्रकार के मुद्रांकों का ऑनलाईन लेखा संधारित किया जाता है तथा वर्तमान में राज्य के कोषालयों / उप कोषालयों के अन्तर्गत उक्त मुद्रांक लेखों का संधारण ऑफलाईन भी यथावत रूप से किया जाता है।

मुद्रांक मॉड्यूल एवं ऑफलाईन संधारित पंजिकाओं (मुद्रांक कैशबुकों) की समीक्षा के दौरान पाया गया कि ऑनलाईन स्टॉक इन हैण्ड रिपोर्ट एवं ऑफलाईन पंजिकाओं के अन्तर्गत कोषालय डूंगरपुर व उप कोषालय सीमलवाड़ा के द्वारा मुद्रांकों की मात्रा के शेष एक समान नहीं दर्शाये जा रहे थे। जिनका अंकमिलान कर अंतरों का दुरस्तीकरण करने की कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित मुद्रांक मॉड्यूल की स्टॉक इन हैण्ड रिपोर्ट में दर्शाये गये मुद्रांकों के ऑनलाईन शेषों को ऑफलाईन संधारित पंजिकाओं के शेषों से प्रत्येक संवर्ग के मुद्रांकवार मिलान करवाकर पालना सुनिश्चित कराई जावे।

4.2.5 OSIS पोर्टल पर मुद्रांक भण्डार व विक्रय के लेखों के संधारण का अभाव

राजस्थान सरकार द्वारा आई.एफ.एम.एस. प्रणाली लागू करने के दौरान दिनांक 27.08.2012 से मुद्रांकों के भण्डार व विक्रय के लेखों का संधारण करने के लिये OSIS पोर्टल (मॉड्यूल) प्रारम्भ किया गया था।

उप कोषालय टोड़ाभीम (करौली) के द्वारा अभी तक OSIS पोर्टल (मॉड्यूल) पर मुद्रांकों के भण्डार व विक्रय के लेखों का संधारण करने लिये कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया एवं मुद्रांक लेखों का ऑफलाईन ही संधारण किया जा रहा था।

उप कोषालय रामगढ़ (अलवर) के द्वारा OSIS पोर्टल (मॉड्यूल) पर मुद्रांकों के भण्डार व विक्रय के लेखों का ऑनलाईन संधारण तो किया जा रहा था, किन्तु इसमें उपलब्ध डेटा व ऑफलाईन संधारित रजिस्ट्रों के डेटा से मिलान नहीं करने के कारण अंतर उत्पन्न हो रहे थे।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित मुद्रांक मॉड्यूल को पूर्ण व उचित रूप से क्रियान्वित करने के लिये संबंधित उप कोषाधिकारियों / कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

4.2.6 आहरण संवितरण अधिकारियों की सूचियां अद्यतन का अभाव

आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत पे-मैनेजर व राजकोष मोड्यूल में कोषालय / उप कोषालय के अधीनस्थ आने वाले आहरण संवितरण अधिकारियों की सूची उपलब्ध रहती है। जिससे राजकीय दायित्वों के भुगतान के समय संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षरों का सत्यापन किया जाता है।

कोषालयों/ उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पे-मैनेजर व राजकोष मोड्यूल पर उपलब्ध आहरण-संवितरण अधिकारियों की सूचियों को अद्यतन नहीं करने के कारण एक ही आहरण-संवितरण अधिकारी को एक से अधिक बार दर्शाया गया था जिसके फलस्वरूप पे-मैनेजर व राजकोष के दोनों मोड्यूलों पर एक समान संख्या प्रदर्शित होने की बजाय भिन्न-भिन्न संख्या प्रदर्शित हो रही थी। आहरण संवितरण अधिकारियों की सूची में संबंधित अधिकारी के दर्शाये जाने वाले डी.डी.ओ. कोड, पदासीन व्यक्ति का नाम, मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर इत्यादि के कॉलमों में प्रविष्टियों के इन्द्राज की बजाय रिक्त प्रदर्शित हो रहे थे। निरीक्षण के दौरान आक्षेपित कोषालयों / उप कोषालयों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय	आक्षेपित कोषालय / उप कोषालय का नाम
1	अलवर	कोषालय अलवर व उप कोषालय राजगढ़, तिजारा
2	बारां	उप कोषालय छबड़ा
3	बूंदी	कोषालय बूंदी एवं उप कोषालय नैनवा व तालेड़ा
4	भरतपुर	कोषालय भरतपुर एवं उप कोषालय रूपवास
5	चित्तौड़गढ़	उप कोषालय भूपालसागर
6	चूरू	कोषालय चूरू एवं उप कोषालय सुजानगढ़, बीदासर, रतनगढ़
7	श्रीगंगानगर	कोषालय श्रीगंगानगर
8	हनुमानगढ़	कोषालय हनुमानगढ़
9	जयपुर (ग्रामीण)	कोषालय जयपुर (ग्रामीण) एवं उप कोषालय चाकसू, जमवारामगढ़ व फागी
10	जयपुर (सचिवालय)	कोषालय जयपुर (सचिवालय)
11	जालौर	कोषालय जालौर
12	जोधपुर ग्रामीण	उप कोषालय पीपाइसिटी, बावड़ी, औंसियां, बालेसर व लूणी
13	झुन्झुनू	उप कोषालय सूरजगढ़
14	करौली	उप कोषालय टोडाभीम, नादौती, मासलपुर व मण्डरायल
15	कोटा	उप कोषालय पीपल्दा
16	राजसमंद	कोषालय राजसमंद एवं उप कोषालय भीम व कुम्भलगढ़
17	सिरोही	उप कोषालय आबूरोड़, पिण्डवाड़ा एवं कोषालय सिरोही

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से राज्य के सभी कोषालयों / उप कोषालयों के आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची को अद्यतन कराने हेतु निर्देशित करें।

4.2.7 राजकोष की पी.डी. अकाउन्ट मास्टर डाटा रिपोर्ट में सही स्थिति प्रदर्शित नहीं होना

राजकोष पर संधारित पी.डी. अकाउन्ट मास्टर डाटा रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कोषालय चूरु से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार 201 निजी निक्षेप खाते संधारित होना प्रदर्शित किये जा रहे थे जबकि प्लस-माईनस मीमो (धन-ऋण जापन) के अनुसार केवल 172 निजी निक्षेप खाते ही संधारित थे।

इसी प्रकार उक्त रिपोर्ट में कई निजी निक्षेप खातों से संबंधित विवरणों में वित्त विभाग की स्वीकृति संख्या व दिनांक, कोषालय की स्वीकृति संख्या व दिनांक, प्रथम नियंत्रण अधिकारी के नाम एवं द्वितीय नियंत्रण अधिकारी के नाम इत्यादि कॉलमों की पूर्ति नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूप निजी निजी खातों के कंप्यूटराईजेशन का औचित्य अपूर्ण था।

कोषालय अलवर, बारां, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, पाली, सिरोही इत्यादि में भी उक्त प्रकार की डाटा में असमानता पाई गई ।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से राज्य के सभी कोषालयों से संबंधित पी.डी. अकाउन्ट मास्टर डाटा रिपोर्ट में प्रदर्शित शेषों को प्लस-माईनस मीमो (धन-ऋण जापन) में दर्शाये गये शेषों से मिलान कराने हेतु निर्देशित करें।

4.2.8 आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाता संख्या 479 से अधिक राशि का आहरण अनुमत करने के कारण ऋणात्मक शेष होना ₹ 11.41 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 97 के अनुसार कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि निजी निक्षेप खाता में जमा राशि से अधिक का आहरण नहीं हो।

कोषालय हनुमानगढ़ के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नवीन पेंशन अंशदायी योजना के लिये लेखा शीर्ष 8443-00-106-00-00 में खोले निजी निक्षेप खाता संख्या 479 के अन्तर्गत दिनांक 03.01.2022 को जमा राशि "शून्य" रहीं व दिनांक 06.01.2022 को राशि ₹ 9,08,02,214/- का आहरण एन.आई.सी. के द्वारा विकसित किये सिस्टम द्वारा अनुमत कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त खाते में ऋणात्मक शेष उत्पन्न हो गया था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि निजी निक्षेप खाता के ऑनलाईन शेष से अधिक राशि का आहरण नहीं करने के लिए सुदृढ़ चैक व्यवस्था लागू करने हेतु एन.आई.सी. को निर्देशित करें।

4.3 हस्तानांतरण की प्रतीक्षा में प्राप्त (आर.ए.टी.) में रखी गई राशियों का समय पर निस्तारण नहीं करना ₹ 219.75 लाख

वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार, के परिपत्र क्रमांक: एफ.12(5) एफ.डी./ टैक्स/ 2017-59 दिनांक 30.06.2017 में जी.एस.टी. लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त प्रक्रिया के बिंदु संख्या 9 (3) के अनुसार ऐसे CIN की राशियां जो कि आरबीआई-ई कुबेर पोर्टल के ई-स्कॉल में शामिल हो कर प्राप्त हो गई है परंतु जिनका चालान विवरण जी.एस.टी. पोर्टल से प्राप्त नहीं हो पाता है, उन्हें हस्तानांतरण की प्रतीक्षा में प्राप्त (आर.ए.टी.) मद 0006-00-500-01-00 में रखी जाती है। ई-कोषालय द्वारा ऐसी राशियों को MOE जारी कर निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। बिंदु संख्या 9(9) के अनुसार प्रत्येक माह की समाप्ति पर आर.ए.टी. में रखी गई राशियों का MOE प्रक्रिया द्वारा मासिक लेखे प्रस्तुत करने से पूर्व निस्तारण किया जाना चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) प्रति माह आर.ए.टी. में रखी गई राशियों का मासिक लेखे प्रस्तुत करने से पूर्व निस्तारण करने हेतु उत्तरदायी है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि माह 03/2021 से 01/2022 की अवधि की 1046 मदों (CIN) की राशि ₹ 2,19,74,793/- का निस्तारण वित्तीय वर्ष के लेखे बंद होने तक नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप उन राशियों को राज्य सरकार के लेखों में संबंधित प्राप्त शीर्ष में लेखांकन नहीं किया जा सका।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सक्षम स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर आर.ए.टी. में रखी गई उक्त राशियों का निस्तारण हेतु ई- कोषाधिकारी को निर्देशित करें।

4.4 राजस्थान राज्य जी.एस.टी. लेखांकन पोर्टल पर प्रकट हुए अंतरों का निराकरण न होना

वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार, के परिपत्र क्रमांक: एफ.12(5) एफ.डी./ टैक्स/ 2017-59 दिनांक 30.06.2017 में जी.एस.टी. लेखांकन प्रक्रिया के बिंदु संख्या 3 (ए) के अनुसार आर.बी.आई. स्कॉल एवं जी.एस.टी.एन. पोर्टल से उपलब्ध जी.एस.टी. चालानों के अनुसार प्रमाणीकृत डाटा के जी.एस.टी. राशि का मासिक लेखा ई-कोषालय द्वारा महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय को प्रेषित किया जाता है।

महालेखाकार कार्यालय में मासिक लेखे के संकलन के पश्चात एस.जी.एस.टी. राशि राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हो जाती है। आर.बी.आई. स्कॉल एवं जी.एस.टी.एन. पोर्टल से उपलब्ध जी.एस.टी. चालानों की राशि में मिसमैच होने पर उक्त परिपत्र के अनुसार कार्यवाही कर अंतरों का यथाशीघ्र निराकरण किया जाता है।

ई-कोषालय की RSGAS पॉर्टल पर प्रदर्शित डेटा के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 01.06.2022 से 31.01.2022 की अवधि के दौरान मिस मैच विथ जीएसटीएन में 112 मिस मैच मदों का निस्तारण नहीं किया गया था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सक्षम स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर आर.ए.टी. में रखी गई उक्त अंतरों राशियों का निस्तारण कराने हेतु ई-कोषाधिकारी को निर्देशित करें।

4.5 बैंक की वेबसाइट पर चालान आईडेन्टीफिकेशन नम्बर डुप्लीकेट जनरेट होना

राजस्थान सरकार के वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के पत्र क्रमांक: एफ5(थ-75) डीटीए / आईएफएमएस दिनांक 01.11.2012 के बिंदु संख्या 2(बी) के अनुसार बैंक की वेबसाइट पर प्रत्येक ऑनलाईन भुगतान के लिए एक युनिक आईडेन्टीफिकेशन नंबर यथा चालान आईडेन्टीफिकेशन नम्बर (CIN) यूनिक जनरेट होता है।

ई- कोषालय के माह 03/2021 से 02/2022 लेखों निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित बैंकों के 1378 ऑनलाईन चालान व 04 मैन्युअल चालानों के डुप्लीकेट चालान आईडेन्टीफिकेशन नम्बर (CIN) जनरेट किये गये:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	ऑनलाईन जी.आर.एन. की संख्या	मैन्युअल जी.आर.एन. की संख्या
1	आई.डी.बी. आई. बैंक	02	0
2	पंजाब नेशनल बैंक	0	04
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	1324	0
4	बैंक ऑफ इण्डिया	52	0
		1378	04

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर बैंक स्तर से जनित डुप्लीकेट चालान आईडेन्टीफिकेशन नंबर (CIN) की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं।

4.6 राजकीय प्राप्तियों की राशि ₹ 117.61 लाख को बैंक द्वारा सरकारी खाते में विलम्ब से जमा कराने के उपरांत देय दण्डनीय ब्याज राशि की गणना एवं वसूली का अभाव

राजस्थान सरकार के वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ-5(थ-75) डी.टी.ए./ आई.एफ.एम.एस./ 341-940 दिनांक 17.04.2017 के बिन्दु संख्या 6 व 7 के अनुसार जमाकर्ता द्वारा बैंक में राजकीय राशि जमा कराने पर एजेंसी बैंक द्वारा जमाकर्ता को साईबर प्राप्ति रसीद उपलब्ध करवायेगा व एक प्रति ई-ग्रास के माध्यम से

कोषाधिकारी, ई-कोषालय, जयपुर को उपलब्ध करवायेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. RBI/2007/291-DGBA.GAD.NO.H-14061/ 31.04.2008/ 2006-07 दिनांक 21.03.2007 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार बैंकों द्वारा शासकीय प्राप्तियों को विलम्ब से शासकीय खातों में जमा करवाने पर बैंक दर + 2 प्रतिशत की वार्षिक दर से दण्डनीय ब्याज की वसूली की जानी चाहिये।

ई-कोषालय, जयपुर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न बैंकों द्वारा राजकीय राशि को सरकारी खाते में विलंब से जमा कराया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	मदों की संख्या	विलम्ब से जमा कराई गई राशि ₹
1	भारतीय स्टेट बैंक	258	11723349
2	भारतीय स्टेट बैंक ई-पे	06	3924
3	पंजाब नेशनल बैंक	03	32710
4	पंजाब नेशनल बैंक गेट वे	02	610
	योग ₹	269	11760593


अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर राजकीय खाते में विलंब से जमा कराई गई राशियों पर दण्डनीय ब्याज राशि की गणना व वसूली की कार्रवाई हेतु ई-कोषाधिकारी को निर्देशित करें।

निष्कर्ष:-


विगत पांच वर्षों के दौरान बकाया रहे कोष निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का विवरण [चार्ट संख्या - 4](#) में तथा वर्ष 2021-22 में पाये गये मुख्य आक्षेपों का विवरण [चार्ट संख्या - 5](#) में दर्शाया गया है। बकाया आक्षेपों एवं सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सुरक्षा से संबंधित पाई गई कमियों एवं कोषालयों के कार्यों के निष्पादन हेतु एन.आई.सी. द्वारा आई.एफ.एम.एस. लागू करने के लिये विकसित किये गये विभिन्न प्रकार के मोड्यूल्स में जनरेट होने वाली रिपोर्ट्स में एक ही डाटा को भिन्न-भिन्न प्रदर्शित किया जाता है जिसमें समानता कायम करने की शीघ्र अनुपालना एवं भविष्य में आक्षेपों / कमियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक सुधार अपेक्षित हैं।

(चार्ट संख्या 4)

वित्तीय वर्ष के अंत में विगत पाँच वर्षों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का तुलनात्मक विवरण



कोषालयों में वर्ष 2021-22 के दौरान पाये गये मुख्य आक्षेप एक नजर में



परिशिष्ट संख्या - 1

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 व 1.4)

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
1.	अजमेर	अजमेर	1. केकड़ी	10
			2. किशनगढ़	
			3. सरवाड़	
			4. नसीराबाद	
			5. पीसांगन	
			6. भिनाय	
			7. अजमेर (पेंशन)	
			8. पुष्कर	
			9. रुपनगढ़	
			10. अरांई	
2.	अजमेर	ब्यावर	11. मसूदा	1
3.	अलवर	अलवर	12. बहरोड़	14
			13. किशनगढ़बास	
			14. लक्ष्मणगढ़	
			15. राजगढ़	
			16. थानागाजी	
			17. बानसूर	
			18. मुण्डावर	
			19. तिजारा	
			20. रामगढ़	
			21. कठूमर	
			22. कोटकासिम	
			23. अलवर (पेंशन)	
			24. रेणी	
			25. नीमराणा	
4.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	26. बागीदौरा	6
			27. कुशलगढ़	
			28. गढी (परतापुर)	
			29. घाटोल	
			30. आनंदपुरी	
			31. सज्जनगढ़	
5.	बाडमेर	बाडमेर	32. चौहटन	10
			33. सिवाना	
			34. शिव	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			35. गुढामलानी	
			36. बायतु	
			37. रामसर	
			38. पचपदरा	
			39. धोरीमन्ना	
			40. सिणधरी	
			41. सेइवा	
6.	भरतपुर	भरतपुर	42. बयाना	11
			43. डीग	
			44. नदबई	
			45. भरतपुर (पेंशन)	
			46. कामां	
			47. नगर	
			48. रुपवास	
			49. वैर	
			50. कुम्हेर	
			51. पहाड़ी	
			52. भुसावर	
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	53. हुरड़ा	11
			54. सहाड़ा (मु. गंगापुर)	
			55. माण्डल	
			56. माण्डलगढ़	
			57. शाहपुरा	
			58. आसीन्द	
			59. जहाजपुर	
			60. कोटड़ी	
			61. बनेड़ा	
			62. रायपुर	
			63. बिजौलिया	
8.	बीकानेर	बीकानेर	64. कोलायत	8
			65. लूणकरणसर	
			66. खाजूवाला	
			67. नोखा	
			68. बीकानेर (पेंशन)	
			69. पूगल	
			70. श्रीडूंगरगढ	
			71. छत्तरगढ	
9.	बूंदी	बूंदी	72. हिण्डोली	5
			73. नैनवा	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			74. केशोरायपाटन	
			75. इन्द्रगढ	
			76. तालेडा	
10.	बारां	बारां	77. छबड़ा	7
			78. शाहबाद	
			79. अटरु	
			80. छीपाबड़ौद	
			81. किशनगंज	
			82. मांगरोल	
			83. अन्ता	
11.	चित्तौड़गढ	चित्तौड़गढ	84. बेगूं	10
			85. निम्बाहेड़ा	
			86. कपासन	
			87. भदेसर	
			88. गंगरार	
			89. राशमी	
			90. रावतभाटा	
			91. बड़ीसादड़ी	
			92. डूंगला	
			93. भूपालसागर	
12.	चूरु	चूरु	94. रतनगढ	6
			95. सादुलपुर(मु.राजगढ)	
			96. सरदारशहर	
			97. तारानगर	
			98. सुजानगढ	
			99. बीदासर	
13.	दौसा	दौसा	100. बसवा	4
			101. लालसोट	
			102. सिकराय	
			103. महवा	
14.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	104. आसपुर	4
			105. सागवाड़ा	
			106. सीमलवाड़ा	
			107. बिच्छीवाड़ा	
15.	धौलपुर	धौलपुर	108. बाड़ी	4
			109. राजाखेड़ा	
			110. बसेड़ी	
			111. सेपऊ	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
16.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	112. अनूपगढ़	8
			113. श्रीकरणपुर	
			114. रायसिंहनगर	
			115. सूरतगढ़	
			116. पदमपुर	
			117. श्रीविजयनगर	
			118. सार्दुलशहर	
			119. घड़साना	
17.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	120. नोहर	6
			121. संगरिया	
			122. भादरा	
			123. रावतसर	
			124. पीलीबंगा	
			125. टिब्बी	
18.	जयपुर	जयपुर (शहर)	126. राजस्थान विधानसभा	1
19.	जयपुर	जयपुर (ग्रामीण)	127. आमेर	15
			128. चौमूं	
			129. चाकसू	
			130. कोटपूतली	
			131. मौजमाबाद	
			132. शाहपुरा	
			133. विराटनगर	
			134. जमवारामगढ़	
			135. फागी	
			136. सांभर	
			137. सांगानेर	
			138. बस्सी	
139. वृद्धावस्था (पेंशन) जयपुर				
140. दूदू				
141. किशनगढ़-रेनवाल				
20.	जयपुर	जयपुर (सचिवालय)	-	0
21.	जयपुर	पेंशन भुगतान अधिकारी, जयपुर	142. उप कोषालय (पेंशन)	1
22.	जैसलमेर	जैसलमेर	143. पोकरण	2
			144. फतेहगढ़	
23.	जालौर	जालौर	145. भीनमाल	8
			146. सांचोर	
			147. आहोर	
			148. रानीवाड़ा	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			149. बागौड़ा	
			150. सायला	
			151. जसवंतपुरा	
			152. चितलवाना	
24.	झालावाड़	झालावाड़	153. अकलेरा	7
			154. पचपहाड़	
			155. गंगधार	
			156. झालरापाटन	
			157. खानपुर	
			158. पिडावा	
			159. मनोहरथाना	
25.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	160. चिड़ावा	8
			161. खेतड़ी	
			162. उदयपुरवाटी	
			163. नवलगढ	
			164. झुन्झुनू (पेंशन)	
			165. बुहाना	
			166. मलसीसर	
			167. सूरजगढ़	
26.	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	-	0
27.	जोधपुर	जोधपुर (ग्रामीण)	168. बिलाड़ा	10
			169. औंसियां	
			170. शेरगढ	
			171. फलौदी	
			172. भोपालगढ	
			173. लूणी	
			174. बावडी	
			175. बाप	
			176. बालेसर	
			177. पीपाड़ (शहर)	
28.	कोटा	कोटा	178. दीगोद	5
			179. सांगोद	
			180. पीपल्दा	
			181. रामगंजमण्डी	
			182. कोटा (पेंशन)	
29.	नागौर	नागौर	183. डीडवाना	13

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			184. मेइता	
			185. नावां	
			186. मकराना	
			187. परबतसर	
			188. डेगाना	
			189. जायल	
			190. लाडनूं	
			191. खींवसर	
			192. नागौर (पेंशन)	
			193. रियाबडी	
			194. कुचामनसिटी	
			195. मुण्डवा	
30.	प्रतापगढ	प्रतापगढ	196. छोटीसादडी	4
			197. अरनोद	
			198. धरियावद	
			199. पीपलखूँट	
31.	पाली	पाली	200. बाली	9
			201. देसूरी	
			202. जैतारण	
			203. सोजत	
			204. खारची	
			205. रायपुर	
			206. रोहट	
			207. रानी	
			208. सुमेरपुर	
32.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	209. बामनवास	6
			210. गंगापुरसिटी	
			211. खण्डार	
			212. बौली	
			213. चौथ का बरवाडा	
			214. मलारनाडूंगर	
33.	करौली	करौली	215. हिण्डौन	6
			216. नादौती	
			217. टोडाभीम	
			218. सपोटरा	
			219. मण्डरायल	
			220. मासलपुर	
34.	सीकर	सीकर	221. दांतारामगढ	7
			222. फतेहपुर	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			223. लक्ष्मणगढ	
			224. नीमकाथाना	
			225. श्रीमाधोपुर	
			226. सीकर (पेंशन)	
			227. खण्डेला	
35.	सिरोही	सिरोही	228. आबूरोड	4
			229. पिण्डवाड़ा	
			230. रेवदर	
			231. शिवगंज	
36.	टोंक	टोंक	232. देवली	6
			233. मालपुरा	
			234. निवाई	
			235. टोडारायसिंह	
			236. उनियारा (अलीगढ)	
			237. पीपलू	
37.	उदयपुर	उदयपुर	-	0
38.	उदयपुर	उदयपुर (ग्रामीण)	238. खैरवाड़ा	10
			239. मावली	
			240. सलूम्बर	
			241. वल्लभनगर	
			242. झाड़ोल (फलासिया)	
			243. गोगुन्दा	
			244. सराड़ा	
			245. कोटड़ा	
			246. लसाड़िया	
			247. ऋषभदेव	
39.	राजसमंद	राजसमंद	248. कुम्भलगढ	6
			249. नाथद्वारा	
			250. आमेट	
			251. देवगढ	
			252. रेलमगरा	
			253. भीम	
40.	नई दिल्ली	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	-	0
41.	जयपुर	ई-कोषालय, जयपुर	-	0
योग				253

परिशिष्ट संख्या-2

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1)

राजस्थान राज्य के जिला मुख्यालयों पर कार्यरत कोषालयों के अतिरिक्त अन्य कोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	मुख्य कोषालय का नाम	क्र.सं.	अतिरिक्त कोषालय
1.	अजमेर	अजमेर	1	ब्यावर
2.	जयपुर	जयपुर (शहर)	2	जयपुर (सचिवालय)
			3	जयपुर (ग्रामीण)
			4	जयपुर (पीपीओ)
			5	ई-कोषालय
3	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	6	जोधपुर (ग्रामीण)
4	उदयपुर	उदयपुर	7	उदयपुर (ग्रामीण)

परिशिष्ट संख्या - 3

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 एवं 3.1)

वर्ष 2021-22 में निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
1	अलवर	-	-	01/2021 से 11/2021
		1	राजगढ़	07/2019 से 11/2021
		2	रामगढ़	07/2019 से 11/2021
		3	तिजारा	07/2019 से 11/2021
2	बाड़मेर	-	-	01/2020 से 07/2021
		4	पचपद्रा	01/2020 से 03/2021
		5	सिवाना	01/2020 से 03/2021
		6	गुड़ामालानी	01/2020 से 07/2021
		7	धौरीमन्ना	01/2020 से 07/2021
		8	चौहटन	01/2020 से 07/2021
		9	रामसर	02/2019 से 07/2021
		10	शिव	02/2019 से 07/2021
3	बारां	-	-	11/2019 से 11/2021
		11	अटरू	11/2019 से 11/2021
		12	छीपाबड़ौद	11/2019 से 11/2021
		13	छबड़ा	11/2018 से 11/2021
		14	शाहबाद	11/2018 से 11/2021
		15	अंता	11/2018 से 11/2021
4	बांसवाड़ा	-	-	04/2018 से 03/2021
		16	घाटोल	04/2018 से 03/2021
		17	आनन्दपुरी	प्रारम्भ से 03/2021

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि		
		18	सज्जनगढ़	प्रारम्भ से 03/2021		
		19	कुशलगढ़	04/2018 से 03/2021		
5	बूंदी	-	-	05/2019 से 10/2021		
		20	नैनवा	05/2019 से 10/2021		
		21	केशोराय पाटन	05/2018 से 10/2021		
		22	तालेड़ा	05/2018 से 10/2021		
		-	-	12/2019 से 08/2021		
6	भरतपुर	23	बयाना	11/2018 से 08/2021		
		24	कामां	11/2018 से 08/2021		
		25	कुम्हेर	11/2018 से 08/2021		
		26	नदबई	11/2018 से 08/2021		
		27	पहाड़ी	11/2018 से 08/2021		
		28	रूपवास	11/2018 से 08/2021		
		29	वैर	11/2018 से 08/2021		
		30	भुसावर	11/2018 से 08/2021		
		31	नगर	11/2018 से 08/2021		
		32	भरतपुर (पेंशन)	01/2018 से 08/2021		
		7	चित्तौड़गढ़	-	-	02/2020 से 06/2021
				33	गंगरार	01/2019 से 03/2021
34	बैंगू			01/2019 से 03/2021		
35	भदेसर			01/2019 से 06/2021		
36	डूंगला			01/2019 से 06/2021		
37	बड़ीसादड़ी			01/2019 से 06/2021		
38	राशिभ			01/2019 से 06/2021		
39	भूपाल सागर			01/2019 से 06/2021		
8	चूरू	-	-	05/2019 से 10/2021		
		40	सुजानगढ़	04/2018 से 10/2021		
		41	बीदासर	04/2018 से 10/2021		
		42	रतनगढ़	05/2019 से 10/2021		
		43	सरदारशहर	05/2019 से 10/2021		
9	डूंगरपुर	-	-	08/2019 से 06/2021		
		44	सागवाड़ा	08/2019 से 06/2021		
		45	सीमलवाड़ा	08/2019 से 06/2021		
10	धौलपुर	-	-	12/2019 से 10/2021		
		46	बसेड़ी	12/2018 से 10/2021		
		47	बाड़ी	12/2018 से 10/2021		
		48	राजाखेड़ा	12/2018 से 10/2021		
11	श्रीगंगानगर	-	-	04/2019 से 08/2021		
		49	सूरतगढ़	04/2019 से 08/2021		
		50	घड़साना	04/2017 से 08/2021		
		51	पदमपुर	04/2017 से 08/2021		
		52	श्रीकरणपुर	04/2017 से 08/2021		
		53	सादुलशहर	04/2017 से 08/2021		
12	हनुमानगढ़	-	-	11/2019 से 12/2021		

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
		54	टिब्बी	10/2017 से 12/2021
		55	संगरिया	10/2017 से 12/2021
		56	पीलीबंगा	10/2017 से 12/2021
13	जयपुर (शहर)	-	-	07/2020 से 05/2021
14	जयपुर (सचिवालय)	-	-	09/2020 से 06/2021
15	जयपुर (पेंशन)	-	-	07/2020 से 05/2021
16	जयपुर (ग्रामीण)	-	-	09/2020 से 06/2021
		57	चाकसू	04/2019 से 06/2021
		58	दूदू	04/2019 से 06/2021
		59	जमवारामगढ़	04/2019 से 06/2021
		60	फागी	04/2019 से 06/2021
		61	किशनगढ़ रेनवाल	04/2019 से 06/2021
17	जालौर	-	-	01/2020 से 10/2021
		62	सांचौर	01/2020 से 10/2021
		63	रानीवाड़ा	01/2018 से 10/2021
		64	बागौड़ा	01/2018 से 10/2021
		65	सायला	01/2018 से 10/2021
18	जैसलमेर	-	-	11/2019 से 03/2021
		66	पोकरण	10/2018 से 03/2021
		67	फतेहगढ़	11/2017 से 03/2021
19	जोधपुर (ग्रामीण)	-	-	02/2020 से 09/2021
		68	पीपाड़ सिटी	02/2019 से 09/2021
		69	बावड़ी	01/2019 से 09/2021
		70	औंसियां	02/2020 से 09/2021
		71	फलोदी	02/2020 से 09/2021
		72	बाप	01/2019 से 09/2021
		73	बालेसर	01/2019 से 09/2021
		74	लूणी	01/2019 से 09/2021
20	झालावाड़	-	-	10/2019 से 08/2021
		75	गंगधार	10/2018 से 08/2021
		76	पिड़ावा	10/2018 से 08/2021
		77	अकलेरा	10/2019 से 08/2021
		78	झालरापाटन	10/2019 से 08/2021
21	झुन्झुनू	-	-	03/2021 से 12/2021
		79	सूरजगढ़	03/2020 से 12/2021
		80	झुन्झुनू (पेंशन)	03/2020 से 12/2021
22	करौली	-	-	11/2019 से 11/2021
		81	टोड़ाभीम	11/2017 से 11/2021
		82	नादौती	10/2018 से 11/2021
		83	मासलपुर	10/2018 से 11/2021
		84	मण्डरायल	10/2018 से 11/2021
23	कोटा	-	-	01/2020 से 11/2021
		85	रामगंजमण्डी	01/2020 से 11/2021
		86	पीपल्दा	01/2020 से 11/2021

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
		87	कोटा (पेंशन)	01/2020 से 11/2021
24	पाली	-	-	02/2020 से 02/2022
		88	बाली	02/2020 से 01/2022
		89	रोहट	01/2019 से 02/2022
		90	सुमेरपुर	01/2019 से 01/2022
		91	रानी	01/2019 से 01/2022
		92	देसूरी	01/2019 से 01/2022
		93	रायपुर	01/2019 से 01/2022
25	प्रतापगढ़	-	-	02/2020 से 08/2021
		94	धरियावद	02/2019 से 08/2021
		95	छोटी सादड़ी	02/2019 से 08/2021
		96	अरनोद	02/2019 से 08/2021
		97	पीपलखूंट	02/2019 से 08/2021
26	राजसमंद	-	-	08/2019 से 12/2021
		98	कुम्भलगढ़	08/2019 से 12/2021
		99	भीम	07/2018 से 12/2021
		100	नाथद्वारा	07/2018 से 12/2021
27	सवाई माधोपुर	-	-	02/2021 से 11/2021
		101	गंगापुर सिटी	09/2019 से 11/2021
28	सिरोही	-	-	10/2019 से 11/2021
		102	आबूरोड़	10/2019 से 11/2021
		103	पिण्डवाड़ा	10/2019 से 11/2021
29	टोंक	-	-	12/2020 से 12/2021
		104	पीपलू	12/2019 से 12/2021
		105	उनियारा	12/2019 से 12/2021
30	उदयपुर (शहर)	-	-	12/2019 से 07/2021
31	उदयपुर (ग्रामीण)	-	-	08/2019 से 07/2021
		106	गौगुन्दा	08/2018 से 07/2021
		107	झाड़ौल	08/2018 से 07/2021
		108	खैरवाड़ा	08/2018 से 07/2021
		109	सलूमबर	08/2018 से 07/2021
		110	सराड़ा	08/2018 से 07/2021
		111	मावली	08/2018 से 07/2021
		112	वल्लभनगर	08/2018 से 07/2021
32	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	-	-	03/2020 से 08/2021
33	ई-कोषालय, जयपुर	-	-	03/2021 से 02/2022

परिशिष्ट संख्या - 4

(संदर्भ पैरा संख्या - 1.3)

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों / उप कोषालयों में कार्यरत कम्प्यूटर प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों संबंधी सूचना

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कोषालय / उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत व प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित में सम्मिलित नहीं किये गये च.श्रे.क. (गुप "घ") की संख्या
1.	अजमेर	101	57	57	0	05
2.	अलवर	119	68	62	06	08
3.	ब्यावर	36	25	25	0	02
4.	बाड़मेर	82	36	36	0	04
5.	बारां	67	27	27	0	05
6.	बांसवाड़ा	53	29	29	0	0
7.	बीकानेर	71	57	53	04	0
8.	बूंदी	59	37	37	0	04
9.	भरतपुर	73	42	36	06	02
10.	भीलवाड़ा	90	38	25	13	02
11.	चित्तौड़गढ़	69	40	40	0	0
12.	चूरू	56	45	45	0	0
13.	दौसा	55	42	42	0	02
14.	डूंगरपुर	53	24	24	0	06
15.	धौलपुर	34	15	15	0	0
16.	श्रीगंगानगर	68	52	51	01	0
17.	हनुमानगढ़	54	48	48	0	0
18.	जयपुर (शहर)	64	59	59	0	0
19.	जयपुर (ग्रामीण)	118	86	68	18	11
20.	जयपुर (सचिवालय)	42	33	33	0	04
21.	जयपुर (पेंशन)	42	39	37	02	0
22.	जैसलमेर	34	12	12	0	0
23.	जालौर	61	29	29	0	0
24.	जोधपुर (शहर)	42	38	38	0	0
25.	जोधपुर (ग्रामीण)	79	46	46	0	0
26.	झालावाड़	71	31	15	16	0
27.	झुन्झुनू	63	55	55	0	0
28.	करौली	63	38	37	01	03

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कोषालय / उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत व प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित में सम्मिलित नहीं किये गये च.श्रे.क. (ग्रुप "घ") की संख्या
29.	कोटा	61	42	42	0	0
30.	नागौर	99	67	62	05	06
31.	प्रतापगढ	53	16	16	0	06
32.	पाली	80	50	50	0	05
33.	राजसमंद	55	33	33	0	0
34.	सवाई माधोपुर	56	49	49	0	0
35.	सीकर	72	56	56	0	0
36.	सिरोही	46	22	22	0	0
37.	टोंक	54	45	43	02	02
38.	उदयपुर (शहर)	40	29	29	0	0
39.	उदयपुर (ग्रामीण)	92	36	36	0	08
40.	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	05	05	05	0	0
41.	ई-कोषालय जयपुर	20	15	15	0	0
योग		2552	1613	1539	74	85

नोट : - च.श्रे.क. ग्रुप "घ" के लिये कम्प्युटर प्रशिक्षण आवश्यक नहीं होने के कारण कार्यरत व अप्रशिक्षित में सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट संख्या - 5

(संदर्भ पैरा संख्या - 2.1)

मासिक लेखे विलम्ब से प्रेषित किये जाने वाले कोषालयों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	माह	मासिक लेखे की सूची प्रथम / द्वितीय	नियत तिथि	प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब के दिवस
1.	अजमेर	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		10/2021	द्वितीय	08.11.2021	09.11.2021	01
2.	अलवर	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		09/2021	प्रथम	17.09.2021	18.09.2021	01
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	12.01.2022	04
		01/2022	प्रथम	17.01.2022	19.01.2022	02
3.	ब्यावर	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01

क्र.सं.	कोषालय का नाम	माह	मासिक लेखे की सूची प्रथम / द्वितीय	नियत तिथि	प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब के दिवस
4.	बाड़मेर	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		10/2021	द्वितीय	08.11.2021	10.11.2021	02
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	11.01.2022	03
		01/2022	द्वितीय	08.02.2022	09.02.2022	01
		02/2022	प्रथम	17.02.2022	18.02.2022	01
5.	बारां	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
6.	बांसवाड़ा	07/2021	प्रथम	17.07.2021	21.07.2021	04
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	25.10.2021	08
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	12.01.2022	04
		01/2022	प्रथम	17.01.2022	18.01.2022	01
		02/2022	प्रथम	17.02.2022	23.02.2022	06
		02/2022	द्वितीय	08.03.2022	11.03.2022	03
		03/2022	प्रथम	17.03.2022	22.05.2022	05
7.	बीकानेर	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		10/2021	द्वितीय	08.11.2021	09.11.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	12.01.2022	04
		01/2022	प्रथम	17.01.2022	18.01.2022	01
		03/2022	द्वितीय	08.04.2022	11.04.2022	03
8.	बूंदी	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
			द्वितीय	08.08.2021	10.08.2021	02
		10/2021	द्वितीय	08.11.2021	11.11.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	11.01.2022	03
9.	भरतपुर	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	20.10.2021	03
		02/2022	द्वितीय	08.03.2022	09.03.2022	01
		03/2022	द्वितीय	08.04.2022	11.04.2022	03
10.	भीलवाड़ा	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
11.	चित्तौड़गढ़	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		02/2022	द्वितीय	08.03.2022	09.03.2022	01
12.	चूरू	08/2021	द्वितीय	08.09.2021	09.09.2021	01
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	10.01.2022	02
		01/2022	प्रथम	17.01.2022	18.01.2022	01
		01/2022	द्वितीय	08.02.2022	10.02.2022	02
		02/2022	प्रथम	17.02.2022	18.02.2022	01
13.	दौसा	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03

क्र.सं.	कोषालय का नाम	माह	मासिक लेखे की सूची प्रथम / द्वितीय	नियत तिथि	प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब के दिवस
			द्वितीय	08.08.2021	10.08.2021	02
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
14.	डूंगरपुर	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
			द्वितीय	08.08.2021	11.08.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	10.01.2022	02
		02/2022	प्रथम	17.02.2022	18.02.2022	01
		02/2022	द्वितीय	08.03.2022	09.03.2022	01
15.	धौलपुर	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	21.10.2021	04
		11/2021	प्रथम	17.11.2021	22.11.2021	05
		01/2022	द्वितीय	08.02.2022	09.02.2022	01
		03/2022	प्रथम	17.03.2022	21.03.2022	04
16.	श्रीगंगानगर	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		03/2022	प्रथम	17.03.2022	21.03.2022	04
17.	हनुमानगढ	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
18.	जयपुर (शहर)	05/2021	प्रथम	17.05.2021	18.05.2021	01
		07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
			द्वितीय	08.08.2021	10.08.2021	02
		03/2022	द्वितीय	08.04.2022	11.04.2022	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	20.10.2021	03
19.	जयपुर (ग्रामीण)	04/2021	प्रथम	17.04.2021	19.04.2021	02
		07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	10.01.2022	02
		01/2022	प्रथम	17.01.2022	19.01.2022	02
20.	जयपुर (सचिवालय)	04/2021	प्रथम	17.04.2021	19.04.2021	02
		07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		03/2022	द्वितीय	08.04.2022	11.04.2022	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	26.10.2021	09
21.	जयपुर (पेंशन)	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
22.	जैसलमेर	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	20.10.2021	03
		11/2021	द्वितीय	08.12.2021	09.12.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	11.01.2022	03
		01/2022	द्वितीय	08.02.2022	09.02.2022	01
		02/2022	प्रथम	17.02.2022	18.02.2022	01
		03/2022	प्रथम	17.03.2022	22.03.2022	05
23.	जालौर	04/2021	प्रथम	17.04.2021	18.04.2021	01

क्र.सं.	कोषालय का नाम	माह	मासिक लेखे की सूची प्रथम / द्वितीय	नियत तिथि	प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब के दिवस
		07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		10/2021	द्वितीय	08.11.2021	09.11.2021	01
		01/2022	द्वितीय	08.02.2022	09.02.2022	01
		02/2022	प्रथम	17.02.2022	23.02.2022	06
		02/2022	द्वितीय	08.03.2022	09.03.2022	01
24.	जोधपुर (शहर)	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
25.	जोधपुर (ग्रामीण)	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		05/2021	प्रथम	17.05.2021	18.05.2021	01
26.	झालावाड़	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	11.01.2022	03
27.	झुन्झुनू	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		01/2022	द्वितीय	08.02.2022	09.02.2022	01
28.	करीली	04/2021	प्रथम	17.04.2021	19.04.2021	02
		07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	25.10.2021	08
		10/2021	द्वितीय	08.11.2021	09.11.2021	01
		12/2021	प्रथम	17.12.2021	21.12.2021	04
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	12.01.2022	04
		01/2022	प्रथम	17.01.2022	19.01.2022	02
		03/2022	प्रथम	17.03.2022	21.03.2022	04
29.	कोटा	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		10/2021	द्वितीय	08.11.2021	09.11.2021	01
30.	नागौर	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	10.01.2022	02
31.	प्रतापगढ़	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	11.01.2022	03
		01/2022	प्रथम	17.01.2022	18.01.2022	01
32.	पाली	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	11.01.2022	03
33.	राजसमंद	04/2021	प्रथम	17.04.2021	19.04.2021	02
		07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		09/2021	द्वितीय	08.10.2021	14.10.2021	06
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01

क्र.सं.	कोषालय का नाम	माह	मासिक लेखे की सूची प्रथम / द्वितीय	नियत तिथि	प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब के दिवस
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	11.01.2022	03
		03/2022	प्रथम	17.03.2022	21.03.2022	04
34.	सवाई माधोपुर	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	प्रथम	17.12.2021	21.12.2021	04
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	11.01.2022	03
35.	सीकर	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		02/2022	प्रथम	17.02.2022	21.02.2022	04
36.	सिरोही	08/2021	प्रथम	17.08.2021	20.08.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
37.	टोंक	07/2021	प्रथम	17.07.2021	19.07.2021	02
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	10.01.2022	02
		02/2022	प्रथम	17.02.2022	23.02.2022	06
		02/2022	द्वितीय	08.03.2022	09.03.2022	01
38.	उदयपुर (शहर)	10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
39.	उदयपुर (ग्रामीण)	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		10/2021	द्वितीय	08.11.2021	11.11.2021	03
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	10.01.2022	02
		01/2022	प्रथम	17.01.2022	19.01.2022	02
40.	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	07/2021	प्रथम	17.07.2021	20.07.2021	03
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	18.10.2021	01
		10/2021	द्वितीय	08.11.2021	09.11.2021	01
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	10.01.2022	02
		03/2022	प्रथम	17.03.2022	21.03.2022	04
41.	ई- कोषालय जयपुर	04/2021	प्रथम	17.04.2021	20.04.2021	03
		09/2021	द्वितीय	08.10.2021	13.10.2021	05
		10/2021	प्रथम	17.10.2021	21.10.2021	04
		10/2021	द्वितीय	08.11.2021	11.11.2021	03
		12/2021	प्रथम	17.12.2021	22.12.2021	05
		12/2021	द्वितीय	08.01.2022	12.01.2022	04
		01/2022	प्रथम	17.01.2022	18.01.2022	01
		01/2022	द्वितीय	08.02.2022	09.02.2022	01
		02/2022	प्रथम	17.02.2022	21.02.2022	04
		02/2022	द्वितीय	08.03.2022	10.03.2022	02
		03/2022	प्रथम	17.03.2022	22.03.2022	05

परिशिष्ट संख्या - 6

(संदर्भ पैरा संख्या -2.4)

कोषालयों से प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या

क्र.सं.	कोषालय का नाम	प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या	क्र.सं.	कोषालय का नाम	प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या
1	अजमेर	44	22	जालौर	02
2	अलवर	0	23	जैसलमेर	0
3	ब्यावर	04	24	जोधपुर (शहर)	02
4	बाड़मेर	04	25	जोधपुर (ग्रामीण)	11
5	बांसवाड़ा	26	26	झालावाड़	01
6	बारां	0	27	झुन्झुनू	01
7	बून्दी	01	28	कोटा	14
8	बीकानेर	0	29	करौली	0
9	भरतपुर	0	30	नागौर	04
10	भीलवाड़ा	30	31	पाली	03
11	चित्तौड़गढ़	01	32	प्रतापगढ़	24
12	चूरु	0	33	राजसमन्द	51
13	दौसा	13	34	सवाई माधोपुर	15
14	धौलपुर	0	35	सिरोही	34
15	झुंजरपुर	0	36	सीकर	27
16	श्रीगंगानगर	01	37	टोंक	01
17	हनुमानगढ़	0	38	उदयपुर	05
18	जयपुर (सचिवालय)	13	39	उदयपुर (ग्रामीण)	0
19	जयपुर (शहर)	06	40	ई-कोषालय, जयपुर	219
20	जयपुर (ग्रामीण)	17	41	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	0
21	जयपुर (पेंशन)	0			
योग					574

परिशिष्ट संख्या - 7

(संदर्भ पैरा संख्या -2.5.1)

लेखा शीर्ष 8782-102 " लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स व चालानों का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-102-01 चालान राशि ₹		8782-102-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक	धनात्मक	ऋणात्मक
1	अजमेर	17	101555991.42	129806047.53	15710398.58	47102527.38
2	अलवर	13	30224098.46	11819793.58	26035074.71	5525384.48
3	बांसवाड़ा	18	29869945.16	29032636.65	19719281.27	4961521.36
4	बारां	15	7785904.00	21240100.88	26465089.54	10286954.25
5	बाड़मेर	16	43134848.30	34827505.15	32032617.80	13213986.67

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-102-01 चालान राशि ₹		8782-102-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक	धनात्मक	ऋणात्मक
6	ब्यावर	03	2387196.83	8167453.00	140509.00	300091.22
7	भरतपुर	13	12362938.00	8434865.86	67084851.39	823695.20
8	भीलवाड़ा	12	2348694.43	68109949.85	31565494.32	5980195.30
9	बीकानेर	38	133581463.70	166843246.05	58583397.74	36466846.70
10	बून्दी	11	4986676.70	962896.32	14305349.22	94275.00
11	चित्तौड़गढ़	10	46297124.03	9953226.38	195929655.00	223208922.16
12	चूरू	19	55488908.82	78083749.72	180394988.54	158191582.46
13	दौसा	07	4351042.17	18594758.44	27475132.41	4326049.15
14	धौलपुर	10	8150205.05	4946802.00	90509931.15	84767102.58
15	डूंगरपुर	09	15379671.71	16094270.21	8163417.71	1018506.74
16	श्री गंगानगर	25	49383822.57	41451228.90	13797111.55	24109153.04
17	हनुमानगढ़	22	2179804.72	17664921.41	23861363.22	28351685.01
18	जयपुर (शहर)	36	445064309.05	365717831.46	197750889.23	212970113.07
19	जयपुर (ग्रामीण)	11	15320799.02	12613539.00	21069102.96	35864034.99
20	जयपुर (सचिवालय)	01	0.00	154175.00	0	3057350.00
21	जैसलमेर	24	37321883.95	34322050.78	166824761.26	117601149.97
22	जालौर	13	30150401.10	15800888.31	32188342.59	38401824.27
23	झालावाड़	19	15074102.27	889440.00	278318354.78	246275929.52
24	झुन्झुनू	06	2909549.00	1030174.99	7209938.55	1279380.00
25	जोधपुर (शहर)	19	201684402.76	152720926.13	187528295.11	79144992.57
26	जोधपुर (ग्रामीण)	12	13128422.00	21239131.13	83553145.26	51564235.96
27	करौली	09	12172858.39	9792868.90	23326327.07	11427372.00
28	कोटा	23	85075926.91	80643911.24	35528711.44	26472732.06
29	नागौर	18	45488193.92	46974261.94	35391154.23	61794445.39
30	पाली	10	103546568.69	34615747.92	74018943.97	18388865.08
31	प्रतापगढ़	10	2749799.01	10108286.20	17052159.00	5760497.55
32	राजसमंद	10	19071155.00	32497795.27	92800878.23	63066365.60
33	सवाई माधोपुर	10	11372649.00	30266309.92	63889502.96	49290804.14
34	सीकर	09	3192212.31	9871787.93	4157928.64	8243947.76
35	सिरोही	06	16220199.28	7967432.75	1318281.03	646185.00
36	टोंक	18	19657125.00	16777561.36	52262530.10	8142260.01
37	उदयपुर (शहर)	14	69881246.32	17314862.37	6517938.88	1468295.00
38	उदयपुर	07	4089063.84	1075671.35	11699112.50	15926148.85

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-102-01 चालान राशि ₹		8782-102-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक	धनात्मक	ऋणात्मक
	(ग्रामीण)					
39	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	02	2264988.00	3124477.00	11238.00	2102.00
	योग	545	1704904190.89	1571552582.88	2224191198.94	1705517509.49

परिशिष्ट संख्या - 8

(संदर्भ पैरा संख्या -2.5.2)

लेखा शीर्ष 8782-103 " वन लेखा प्रेषण " के बकाया चैक्स व चालानों का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-103-01 चालान राशि ₹		खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-103-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक		धनात्मक	ऋणात्मक
1	अजमेर	1	1977027.79	0.00	1	0.00	382678.34
2	अलवर	3	274158.00	0.00	2	143464.00	0.00
3	बांसवाड़ा	2	14331.99	43933.00	1	32706.00	0.00
4	बारां	1	404488.97	0.00	1	0.00	2130091.01
5	बाड़मेर	1	9688931.36	0.00	1	48545.00	0.00
7	भरतपुर	2	994519.63	0.00	2	726268.00	0.00
8	भीलवाड़ा	2	0.00	1287011.76	1	0.00	85390.26
9	बीकानेर	5	1365889.24	75141.47	4	604829.38	640960.57
10	बून्दी	1	0.00	229587.19	1	152941.02	0.00
11	चित्तौड़गढ़	3	340691.24	1096513.00	2	257421.00	0.00
12	चूरु	1	0.00	391311.00	1	1594978.68	0.00
13	दौसा	1	445873.00	0.00	0	0.00	0.00
14	धौलपुर	1	0.00	1567863.50	1	0.00	184278.00
15	डूंगरपुर	1	0.00	369436.45	1	0.00	42444.70
16	श्री गंगानगर	2	5470727.09	0.00	1	374957.00	0.00
17	हनुमानगढ़	1	0.00	586294.26	1	27192.20	0.00
18	जयपुर (शहर)	5	3302545.00	11645504.53	5	1728315.00	2531579.00
19	जयपुर (ग्रामीण)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
20	जयपुर (सचिवालय)	1	0.00	78863.00	1	0.00	934254.00
21	जैसलमेर	3	46987.60	560207.00	2	0.00	19160.50
22	जालौर	1	321308.48	0.00	1	56383.48	0.00
23	झालावाड़	1	40460.80	0.00	1	491433.00	0.00

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-103-01 चालान राशि ₹		खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-103-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक		धनात्मक	ऋणात्मक
24	झुन्झुनू	1	0.00	57031.99	1	0.00	34224.85
25	जोधपुर (शहर)	2	322118.94	0.00	2	293018.94	0.00
26	जोधपुर (ग्रामीण)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
27	करौली	2	376103.64	5881.00	2	86080.00	0.00
28	कोटा	3	462736.00	2110393.92	3	995391.00	1807456.24
29	नागौर	1	0.00	13697.25	1	0.00	564.00
30	पाली	2	47600.00	1115951.00	1	0.00	20000.00
31	प्रतापगढ़	1	834359.00	0.00	1	115000.00	0.00
32	राजसमंद	3	4351249.00	539522.00	2	0.00	740636.00
33	सवाई माधोपुर	3	2111487.81	5761.00	2	162870.00	157916.00
34	सीकर	1	338883.00	0.00	0	0.00	0.00
35	सिरोही	3	232383.00	174577.63	2	244425.30	0.00
36	टोंक	2	138928.00	0.00	1	434183.00	0.00
37	उदयपुर (शहर)	5	0.00	111249715.15	4	1204308.37	0.00
38	उदयपुर (ग्रामीण)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
39	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
योग		68	33903788.58	133204197.1	53	9774710.37	9711633.47

परिशिष्ट संख्या - 9

(संदर्भ पैरा संख्या - 2.7)

आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा माह सितम्बर 2021 तक एवं इससे पूर्व आहरित किये गये ए.सी. बिलों के अप्राप्त बकाया डी.सी. बिलों का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	लेखा शीर्ष	नियंत्रण अधिकारी	वर्ष	माह	वाउचर संख्या	बिलों की संख्या	राशि ₹
1	अजमेर	2029	रजिस्ट्रार रेवन्यू बोर्ड, अजमेर	2007-08	03/2008	183	1	29217760
		2051	राजस्थान लोक सेवा आयोग	2021-22	09/2021	-	7	1200000
2	अलवर	2245	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, (सहायता बोर्ड), अलवर	2012-13	03/2013	813	1	10350000
3	श्रीगंगानगर	2204	नेशनल कैडेट कोर	2021-22	09/2021	-	2	107416
4	जयपुर (शहर)	4210	मेडिकल कॉलेज	2021-22	03/2021	-	3	83400000
5	जयपुर	2051	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ	2016-17	10/2016	299	1	200000

	(सचिवालय)		एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर						
6	बीकानेर	2202	प्राचार्य डाईट बीकानेर	1989-90	01/1990	356	1	30000	
7	जालौर	2202	सहायक निदेशक, डाईट, जालौर	1990-91	02/1991	83	1	30000	
8	राजसमंद	2202	वयस्क जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद	1996-97	03/1997	112	1	8500	
9	बांसवाड़ा	4202	जिला परिषद बांसवाड़ा	1992-93	06/1992	207	1	23700	
				1990-91	03/1991	12	1	30000	
							योग	20	124597376

परिशिष्ट संख्या- 10

(संदर्भ पैरा संख्या -2.8)

महालेखाकार व कोषालय की पुस्तकों के मध्य निजी निक्षेप खातों के शेष में अंतर का विवरण

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि	कोषालयों के अनुसार शेष राशि	धनात्मक अंतर राशि	ऋणात्मक अंतर राशि
1	अजमेर	398	Divisional Forest Officer	44089792.75	44583728.75	0	493936.00
		473	Repay .of H.B.A. Loans	3789617.00	4131920.00	0	342303.00
2	अलवर	23	Dy .DIR (ICDS)& project DIR Dist BAL VIK Alwar	0.00	0.36	0	0.36
		473	HBA LOANS (OLD 31.3.04)	14253709.00	14324383.00	0	70674.00
		5032	CHAIRMAN PUNCH NIRAYA SHULK	43643.00	41493.00	2150	0
		54	DY.COMMANDENT HOME GUARD	3200745.33	6397124.66	0	3196379.33
3	बांसवाड़ा	473	HBA OLD(31.3.04)	24171651.20	24095120.20	76531.00	0
		477	NEW MCA OBC	0.00	0.41	0	0.41
4	बारां	1254	PRI GOVT.GIRLS COLLEGE	5720588.00	5719924.00	664.00	0
		471	LIFE INSU. CORP. OF INDIA	16578794.83	16568893.83	9901.00	0
		473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	6944116.00	6974114.00	0	29998.00
5	बाड़मेर	3340	SR.DY.D.E.O,CUM.B LOCK EEO	12937496.00	18883816.00	0	5946320.00
		3400	COMDT.(S.P,)DY. G.R.P.C.	242832.00	239410.00	3422.00	0
		473	H.B.A.LOANS (OLD 31.3.04)	2132411.45	2369089.00	0	236677.55

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकर के अनुसार शेष राशि	कोषालयों के अनुसार शेष राशि	धनात्मक अंतर राशि	ऋणात्मक अंतर राशि
6	भरतपुर	2221	B.E.E.O WEIR	568835.37	13543869.37	0	12975034.00
		2243	DY.CHIEF.WILD LIFE WAREN	82470.99	46761.99	35709.00	0
		471	LIFE INSU.CORO.OF INDIA	11054200.58	11048859.58	5341.00	0
		473	H.B.A LOANS (OLD 31.3.04)	7510168.06	7761632.06	0	251464.00
7	भीलवाड़ा	3197	SUPDT.I.T.I. GULABPURA	512188.00	510117.00	2071.00	0
		473	H.B.A,LOANS (OLD 31.3.04)	23074350.18	23395076.18	0	320726.00
		475	H.B.A,H.D.F.C	791485.00	788838.00	2647.00	0
		710	POLICE SUPDIT.HOME DEFENCE TRAINING CENTER BHILWARA	1323958.00	1291102.00	32856.00	0
8	बीकानेर	3234	PROGECT DIRECTOR	68463.00	68097.00	366.00	0
		3297	PRL GOVT.LAW COLLEGE	4173305.00	3793305.00	380000.00	0
		3302	GRIHA RAXXA TRAINING CENTER	3016288.00	2741872.00	274416.00	0
		473	H.B.A,LOANS (OLD 31.3.04)	18568866.00	18722722.00	0	153856.00
		475	H.B.A,H.D.F.C,	1846317.00	1796624.00	49693.00	0
		5828	PRI.GOVT.COLLEGE LUNKARANSAR	3090858.60	3304831.60	0	213973.00
		5831	PRI.GOVT.COLLEGE	1016368.00	986368.00	30000.00	0
		718	SUPDT.CENTRAL .JAIL (PRI.WELFARE FUND)	1492534.34	1483672.34	8862.00	0
		762	A.DIST,EDU.OFFICE R/BLOCK A.EDU.OFFICE	53342151.82	53350651.82	0	8500.00
		764	SR DY.EDU.OFF/BLOCK PRIM.EDU.OFFICE KOLAYT	25019057.81	25045127.81	0	26070.00
		765	SR.DY.EDU.OFF/ BLOCK, PRIM. EDU.OFFICE Lunkaransar	38195324.00	38076824.00	118500.00	0
766	SR.DY.DEO/BLOCK EDU. OFFICE SRIDUNGARGARH	19229757.00	19248999.00	0	19242.00		
9	बूंदी	473	H.B.A LOANS (OLD31.3.04)	6683096.00	6780513.00	0	97417.00
10	चित्तौड़गढ़	473	H.B.A, LOANS	35607692.00	35909740.00	0	302048.00

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकर के अनुसार शेष राशि	कोषालयों के अनुसार शेष राशि	धनात्मक अंतर राशि	ऋणात्मक अंतर राशि
			(OLD 31.3.04)				
11	चूरू	2855	PRI GOVT.GIRLS COLLEGE RATANGARH	7180940.00	7168886.00	12054.00	0
		2866	I.T.I	1053750.00	1052250.00	1500.00	0
		2870	DY.CONSERVATOR FOREST (DFO)	39575.00	5058.00	34517.00	0
		2918	SR.DY.D.E.O BLOCK PRI.EDU OFFICER RATANGARH	86603448.00	86615646.00	0	12198.00
		2919	SR.DY.D.E.O/BLOCK PRI.EDU OFFICER SARDARSAHAR	43034978.24	42990538.24	44440.00	0
		2935	HOME GURAD TRANINIG CENTER	1598266.00	1594785.00	3481.00	0
		471	LIFE INSU.CORP.OF INDIA	10814603.80	10826485.80	0	11882.00
		473	H.B.A.LOANS (OLD 31.3.04)	13047295.30	13225394.30	0	178099.00
12	दौसा	3019	DEPUTY DIR. AGRICULTURE (EXT.)	12406043.00	12470787.00	0	64744.00
		3056	GOVT.COLLEGE LASOT	9734848.00	9698613.00	36235.00	0
		3063	SR.DY.D.E.O CUM B.E.E.C LALSOT	12380657.87	12384257.87	0	3600.00
		471	LIFE INSU.CORP.OF INDIA	18767904.37	18794745.37	0	26841.00
		473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	15639436.00	15517821.00	121615.00	0
		5914	GOVT.GIRLS COLLAGE LALSOT	2207384.00	2205584.00	1800.00	0
13	धौलपुर	471	LIFE INSU. CORP.OF INDIA	5091720.98	4790594.98	301126.00	0
		473	H.B.A.LOANS (OLD 31.3.04)	21082684.62	21087658.62	0	4974.00
		5847	GOVT.COLLEGE .BARI	769264.00	777114.00	0	7850.00
14	डूंगरपुर	2493	DY.CONSERVATOR FOREST (DFO) Dungarpur	6150782.57	6100782.57	50000.00	0
		471	LIFE INSU.CORP. Of INDIA	79728655.84	79978857.84	0	250202.00
		473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	32089067.07	31744539.07	344528.00	
		479	NEW PENSION SCHEME (NPS)	-38088893.00	231926839.00	0	270015732.00

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकर के अनुसार शेष राशि	कोषालयों के अनुसार शेष राशि	धनात्मक अंतर राशि	ऋणात्मक अंतर राशि
15	श्रीगंगानगर	2023	SUPDT.DISTRICT JAIL	5150278.00	5133068.00	17210.00	0
		2033	COMDT.HOME GUARD WELFARE FUND SGNR	7909057.00	7743597.00	165460.00	0
		2037	ADD.DY.D.E.O. CUM B.E.E.O	6267553.00	6627553.00	0	360000.00
		471	LIFE INSU.CORP.OF INDIA	22617242.50	22599268.50	17974.00	0
		473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	6466385.00	6488912.00	0	22527.00
		475	H.B.A.H.D.FC.	55299.00	55099.00	200.00	0
		5967	GOVT.COLLEGE. ANOOPGARH	2073510.00	2088510.00		15000.00
16	हनुमानगढ	471	LIFE.INSU.CORP. OF INDIA	17972171.00	17521690.00	450481.00	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04)	9600168.00	9667891.00	0	67723.00
		474	H.B.A. S.B.B.J.	122355.00	0.00	122355.00	0
17	जयपुर (शहर)	3484	CHAIRMAN KEDI KALYAN FUND CENTRAL JAIL	17581152.64	17162750.64	418402.00	0
		3490	COMMI. MORKMANS COMP.JCT	25581381.31	25039601.31	541780.00	0
		3634	REPAYMENT OF HOUSING LOAN UP TO 31.3.04	0.00	1028830.00	0	1028830.00
		3637	REPAYMENT OF H.B.A. FOR H.D.F.C	0.00	-5135725.00	5135725.00	0
		3638	REPAYMENT OF H.B.A. FOR S.B.B.J.	0.00	-269005.00	269005.00	0
		3680	ASST.COMM.II DEVSTHAN DEPTT	322358.00	320750.00	1608	0
		471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	51189149.18	50109989.00	1079160.18	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04)	7372699.80	7719276.00	0	346576.20
		474	H.B.A. S.B.B.J.	77069.00	16886.00	60183.00	0
		475	H.B.A. H.D.F.C.	1909310.00	478330.00	1430980.00	0
		543	COMMOISSIONER DEVASTHAN DEPTT.	1704424.64	1700134.64	4290.00	0
6123	D.E.O (ELM EDU)	316408959.00	316391151.00	17808.00	0		
18	जयपुर (पेंशन)	473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04)	5136046.00	6197553.00	0	1061507

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकर के अनुसार शेष राशि	कोषालयों के अनुसार शेष राशि	धनात्मक अंतर राशि	ऋणात्मक अंतर राशि
19	जयपुर (ग्रामीण)	471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	14922929.54	14929807.54	0	6878.00
		473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04	11038655.00	11262548.00	0	223893.00
		475	H.B.A. H.D.F.C	514833.00	500920.00	13913.00	0
		4905	S.D/D.E.O. CUM B.E.E.O. JAWARAMRARH	70377516.12	64226841.12	6150675.00	0
20	जयपुर (सचिवालय)	3784	M.D. TILAM SANGH	0.00	0.53	0	0.53
		3792	DIR.&PRO.DIR. URBAN PRVERTY	6647982937.00	6647977607.00	5330.00	0
		3799	M.D. RAJ. STAT HANDLOOM CO-OPERATIVE	0.00	0.63	0	0.63
		4013	RAJ.PROJ.DEV.FUN D JAIPUR	0.00	1.00	0	1.00
		471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	4639671.00	4650742.00	0	11071.00
		473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	8024168.00	8521101.00	0	496933.00
		474	H.B.A. S.B.B.J.	27483.00	27481.00	2.00	0
		5880	RAJ.GRAIN ROJGAR GAURANTEE PARISHAD	0.00	7212967000.00	0	7212967000.00
21	जैसलमेर	471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	13096448.40	13094619.40	1829.00	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	7689393.00	7779841.00		90448.00
22	जालौर	4413	DY.COMMANDANT HOME GUARD WELFARE	689090.00	687320.00	1770.00	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	1318125.00	1470788.00	0	152663.00
23	झालावाड़	4682	PRO.MANAGER SCHEDULE CASTE DEV.CORPORATION	5549809.00	5559809.00	0	10000.00
		4684	DIVISIONAL FOREST OFFICER	69341109.85	69331109.85	10000.00	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	16422734.57	16449554.57		26820.00
24	झुन्झुनू	471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	14675579.00	14507190.00	168389.00	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	15083910.00	15207430.00	0	123520.00
25	जोधपुर	4023	X.EN IRRIGATION DIVISION/WATER	1295978.00	1296651.00	0	673.00

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकर के अनुसार शेष राशि	कोषालयों के अनुसार शेष राशि	धनात्मक अंतर राशि	ऋणात्मक अंतर राशि
	(शहर)		RESO				
		4040	SUPDT.ASSO.GROUP OF HOSPITAL M.G.H.	317809.05	285359.05	32450.00	0
		4077	SUPTT.CENTRAL JAIL	7190796.36	7197834.36	0	7038
		4104	PROJ.DIR.MAHIL AND BAL VIKAS DEPTT.	0.00	0.83	0	0.83
		4144	X.EN. P.H.E.D.DISTT.DIVISION II.	-2335858.00	0.00	0	2335858.00
		471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	22311787.00	22315067.00	0	3280.00
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	5105614.40	5231786.40	0	126172.00
		5850	FINANCIAL COMP .AGRICULTUR UNI.	678094975.00	678088415.00	6560.00	0
26	जोधपुर (ग्रामीण)	4529	SR.DEPTY D.E.O. SHERGARH	16922398.83	16369150.83	553248.00	0
		471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	13263413.00	12448456.00	814957.00	
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	2479208.00	2528809.00	0	49601.00
27	करौली	4373	ADDL. D.E.O. CUM.B.E.E.O.	2748009.87	2748008.87	1.00	0
		4404	COMDNT.(S.P)&DY.COMDNT .HOMGARD	721412.00	721141.00	271.00	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	23638123.00	23641123.00	0	3000.00
28	कोटा	2317	ASSISTANT COMMISSIONER DEVSTHAN	8482058.00	8471426.00	10632.00	0
		2328	D.C.F. WILD ANNIMAL	2251063.10	2198657.70	52405.40	0
		2331	PRI.&CONTROLLER MEDICAL COLLEGE	545471279.00	545471182.00	97	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	4877076.92	5140097.92	0	263021.00
		474	H.B.A. S.B.B.J.	544.00	407.00	137.00	0
		5852	AGRICULTUR UNIVERSITY	132966598.00	132964948.00	1650	0
29	नागौर	2579	PRI.GOV.T.GIRLS COLLEGE	502730.00	577730.00	0	75000.00
		2598	EX.ENGINEER P.H.E.D. DEEDVANA	6948058.00	7396580.00	0	448522.00
		471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	30345325.36	30341698.36	3627	0

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकर के अनुसार शेष राशि	कोषालयों के अनुसार शेष राशि	धनात्मक अंतर राशि	ऋणात्मक अंतर राशि
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	2578576.78	2623148.78	0	44572.00
		475	H.B.A. H.D.F.C	294639.00	296027.00	0	1388.00
30	पाली	1842	SUPDT.I.T.I FALNA	324546.00	281546.00	43000.00	0
		1847	COMANDENT(S.P)& DY COMA.HOME GUARD T.C.	675758.00	670861.00	4897.00	0
		471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	13672568.00	13670273.00	2295.00	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	24418728.00	24531441.00	0	112713.00
31	प्रतापगढ़	471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	12336171.00	12379151.00	0	42980.00
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	5166660.00	5182921.00	0	16261.00
32	राजसमंद	3347	SAMADESTA&PLAT OON COMMANDER	913122.50	741165.50	171957.00	0
		4202	DY.CONSERVATOR OF FOREST	5129992.00	5140452.00	0	10460.00
		471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	15285012.00	14372156.00	912856.00	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	4499054.00	4102765.00	396289.00	0
		475	H.B.A. H.D.F.C	4384363.00	4358036.00	26327.00	0
		477	NEW M.C.A. O.B.C.	177908.00	0.00	177908.00	0
33	सवाई माधोपुर	5561	SR.DY DEO CUM B.E.E.O. AMET	8452897.13	8462987.13	0	10090.00
		1635	PROJ.DIR.DIST. FISHRIES DEV.AUTH	8772568.00	7385968.00	1386600.00	0
		1637	DY.DIR.TIGER PROJECT	5533277.00	5630744.00	0	97467.00
		471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	6720943.00	6774043.00	0	53100.00
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	3149159.00	3156779.00	0	7620.00
		474	H.B.A. S.B.B.J.	12553177.32	12557220.32	0	4043.00
34	सीकर	479	NEW PENSION SCHEME(NPS)	41000849.00	46651739.00	0	5650890.00
		1587	PROJ. MANAGER S.C.DEV.COOP.	8690047.00	8660047.00	30000.00	0
		471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	15550569.00	15543782.00	6787.00	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	6339964.00	6526891.00	0	186927.00
		5698	PRI.GOV.TECH.COLLEGE	14552059.46	14678559.46	0	126500.00

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकर के अनुसार शेष राशि	कोषालयों के अनुसार शेष राशि	धनात्मक अंतर राशि	ऋणात्मक अंतर राशि
		5881	GOVT.GIRLS COLLEGE	11636876.00	11820450.00	0	183574.00
		589	B.E.E.O.DHOD	212204.85	4883308.85	0	4671104.00
		590	B.E.E.O. FATEHPUR	27303133.00	22632029.00	4671104.00	0
35	सिरोही	471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	6586637.00	6621737.00	0	35100.00
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	6139252.00	5136579.00	1002673.00	0
		4745	DY.PROJ.OFFI.REG. T.A.D.ABU ROAD	1025225.00	1024568.00	657.00	0
		4804	MANAG.DIR.MADHAV NGE. SAHKARI BANK LIMITED	287244.00	240844.00	46400.00	0
		4809	PRO. DIR.DISTT.ZILA MAHILA VIKASH ABHIKARAN	0.00	0.02	0	0.02
36	टोंक	4226	DISTT.FOREST OFFICER(DFO)	21406339.22	21380137.22	26202.00	0
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	17230215.00	17457474.00	0	227259.00
37	उदयपुर (शहर)	1062	HOME GURAD TRAINING CENTER	2406587.00	2395845.00	10742.00	0
		471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	18143368.00	18166866.00	0	23498.00
		473	H.B.A. LOANS(OLD 31.3.04	16949085.00	17678780.00	0	729695.00
38	उदयपुर (ग्रामीण)	1061	PRI.GOV.T.COLLEGE KHERWADA.	28090723.60	28177783.60	0	87060.00
		473	REPAY OF H.B.A. LOANS	9777466.00	9758252.00	19214.00	0
		474	REC.OF H.B.A.LOAN-S.B.B.J.	2500.00	0.00	2500.00	0
		989	X.EN. IRRIGATION DIVISION SALUMBER	5198017.00	5201771.00	0	3754.00
39	भुगतान एवं लेखाधिकार, नई दिल्ली	471	LIFE.INSU.CORP.OF INDIA	1694825.00	1709228.00	0	14403.00
योग				10037477207.27	17536918565.55	28483397.58	7527924755.86

परिशिष्ट संख्या - 11

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.2.2)

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि से निर्धारित अवधि (2 माह) के बाद प्रथम अनुपालना रिपोर्ट विलम्ब से प्रेषित करने वाले / प्रेषित नहीं करने वाले वाले कोषालयों का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	नि.प्र. जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति के लिये नियत दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति की दिनांक	विलम्ब अवधि	
						माह	दिन
1	अलवर	01/2021 से 11/2021	16.03.2022	16.05.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
2	बाड़मेर	01/2020 से 07/2021	12.10.2021	12.12.2021	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
3	बारां	11/2019 से 11/2021	11.03.2022	11.05.2022	24.05.2022	0	14
4	बांसवाड़ा	04/2019 से 03/2021	19.08.2021	19.10.2021	02.02.2022	03	15
5	बूंदी	05/2019 से 10/2021	22.12.2021	22.02.2022	24.02.2022	0	03
6	भरतपुर	12/2019 से 08/2021	28.12.2021	28.02.2022	29.03.2022	1	0
7	चित्तौड़गढ़	02/2020 से 06/2021	21.09.2021	21.11.2021	25.01.2022	02	05
8	चूरू	05/2019 से 10/2021	25.01.2022	25.03.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
9	डूंगरपुर	08/2019 से 06/2021	08.09.2021	08.11.2021	22.03.2022	04	15
10	धौलपुर	12/2019 से 10/2021	20.12.2021	20.02.2022	20.06.2022	04	01
11	श्रीगंगानगर	04/2019 से 08/2021	18.11.2021	18.01.2022	05.05.2022	03	19
12	हनुमानगढ़	11/2019 से 12/2021	13.04.2022	13.06.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
13	जयपुर (शहर)	07/2020 से 08/2021	22.07.2021	22.09.2021	19.08.2021	0	0
14	जयपुर (सचिवालय)	09/2020 से 06/2021	11.08.2021	11.10.2021	25.10.2021	0	15
15	जयपुर (पेंशन)	07/2020 से 05/2021	29.07.2021	29.09.2021	25.10.2021	0	27
16	जयपुर (ग्रामीण)	09/2020 से 06/2021	02.09.2021	02.11.2021	03.02.2022	03	02
17	जालौर	01/2020 से 10/2021	04.02.2022	04.04.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

क्र. सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	नि.प्र. जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति के लिये नियत दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति की दिनांक	विलम्ब अवधि	
						माह	दिन
18	जैसलमेर	11/2019 से 03/2021	12.08.2021	12.10.2021	09.11.2021	0	29
19	जोधपुर (ग्रामीण)	02/2020 से 09/2021	21.12.2021	21.02.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
20	झालावाड़	10/2019 से 08/2021	25.11.2021	25.01.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
21	झुन्झुनू	03/2021 से 12/2021	13.04.2022	13.06.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
22	करौली	11/2019 से 11/2021	18.01.2022	18.03.2022	12.04.2022	0	26
23	कोटा	01/2020 से 11/2021	10.03.2022	10.05.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
24	पाली	02/2020 से 02/2022	21.04.2022	21.06.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
25	प्रतापगढ़	02/2020 से 08/2021	26.10.2021	26.12.2021	15.03.2022	02	21
26	राजसमंद	08/2019 से 12/2021	13.04.2022	13.06.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
27	सवाई माधोपुर	02/2021 से 11/2021	09.02.2022	09.04.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
28	सिरोही	10/2019 से 11/2021	21.02.2022	21.04.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
29	टांक	12/2020 से 12/2021	01.03.2022	01.05.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
30	उदयपुर (शहर)	12/2019 से 07/2021	28.09.2021	28.11.2021	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
31	उदयपुर (ग्रामीण)	08/2019 से 07/2021	07.10.2021	07.12.2021	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
32	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	03/2020 से 08/2021	20.10.2021	20.12.2021	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
33	ई-कोषालय, जयपुर	03/2021 से 02/2022	21.04.2022	21.06.2022	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
प्रथम अनुपालना निर्धारित समय में प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या						01	
प्रथम अनुपालना निर्धारित समय के बाद विलम्ब से प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या						14	
प्रथम अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने वाले कोषालयों की संख्या						18	
निरीक्षण कार्य स्थगित किये गये कोषालयों की संख्या						08	
योग						41	

परिशिष्ट संख्या - 12

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.1)

उपादान भुगतान आ देशों / एलपीसी में दर्शायी गई वसूलियों की कटौती नही करने से अधिक भुगतान का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
1	अलवर	राजगढ़	श्री गिराज प्रसाद शर्मा 1130474 (R)	3203150 (R)	54677	2215
2	बाड़मेर	बाड़मेर	श्रीमती पवन कुमारी 430844 (R)	3198686 (R)	10982	2210
		गुढ़ामालानी	विरधाराम मेघवाल 1128806 (R)	3200689 (R)	44834	2215
3	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	श्रीमती सलमा सितारा 1095119 (R)	3149402 (R)	3747	0210
			श्री कमल नाथ 1110577 (R)	3170264 (R)	29268	2406
			श्री रूपा मीना 1118947 (R)	3180620 (R)	66130	0202
			श्री निम्बा 1097117 (R)	3152865 (R)	10336	2701
		घाटोल	श्री मनी लाल बुनकर 1126023 (R)	3196587 (R)	15410	2053
		आनन्दपुरी	श्री छगन लाल पारगी 1116619 (R)	3177693 (R)	1872	0202
			श्री कमल किशोर पारगी 1122494 (R)	3190376 (R)	621078	2403
			श्री जमना लाल मासर 1119945 (R)	3185098 (R)	75040	0202
		सज्जनगढ़	श्री वलजी 1115607 (R)	3176450 (R)	31500	0210
		कुशलगढ़	श्री कालूराम 1080758 (R)	3122347 (R)	37193	2403
			श्री कालिया 1088413(R)	3138390 (R)	58545	0210
			श्रीमती नन्दु 1084066 (R)	3129075 (R)	81249	2210
4	भरतपुर	कामां	श्री अख्तर हुसैन 8100851 (R)	8302128 (R)	10680	0071

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
			श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा 1152442 (R)	3232366 (R)	24344	2700
			श्री नारायण 1096646 (R)	3152136 (R)	9660	2700
			श्री किशन 1089537 (R)	3140245 (R)	4432	2700
		रूपवास	श्री कमल सक्सैना 2014117 (R)	3162188 (R)	33495	2210
			श्रीमती सोनिया सक्सैना 2014117 (R)	3162187 (R)	33496	2210
			श्री प्रेम सिंह 1143586 (R)	3221304 (R)	141661	2055
			श्रीमती केला देवी 2017715 (R)	3211598 (R)	2860	2515
		वैर	श्री अमर सिंह 1124451 (R)	3193863 (R)	68930	0235
5	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	श्री भगवती लाल 1123828 (R)	3192955 (R)	572	2055
			श्रीमती मांगी बाई 2015404 (R)	3176441 (R)	14328	0701
6	चूरू	चूरू	श्री नन्द लाल शर्मा 1129957 (R)	3202273 (R)	35840	2071
7	झुंजरपुर	झुंजरपुर	श्री लाल सिंह चौहान 1140136 (R)	3216792 (R)	128392	2055
			श्री बाबूलाल खराड़ी 1124008 (R)	3193242 (R)	58015	2202
8	धौलपुर	धौलपुर	श्रीमती विमला देवी 2017539 (R)	3209798 (R)	170500	0055
			श्रीमती पूनम तौमर 8100795 (R) SF NPS	8301912 (R)	42270	0071
			श्री रिकु कुमार 8100834 (R) SF NPS	8302066 (R)	2388	0071
			श्रीमती ब्रज बाई 8100834 (R) SF NPS	8302065 (R)	2389	0071
			श्री मनीष मीना 8100834 (R)SF NPS	8302067 (R)	2388	0071
		बसेड़ी	श्री सोरन सिंह	3195804 (R)	54692	2210

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
			1125378 (R)			
			श्री जितेन्द्र तिवाड़ी 8100548 (R) SF NPS	8300869 (R)	3983	0071
			श्री श्रीनिवास तिवाड़ी 8100548 (R) SF NPS	8300868 (R)	3984	0071
		राजाखेड़ा	श्रीमती गुड्डी 8100826 (R) SF NPS	8302044 (R)	80340	0071
			श्री जितेन्द्र सिंह 8100826 (R) SF NPS	8302045 (R)	80340	0071
9	हनुमानगढ़	टिब्बी	श्री बगीचा सिंह 1120335(R)	3185533 (R)	38383	2405
		संगरिया	श्रीमती परमजीत कौर 800592 (R)	8301670(R)	109431	2202
		हनुमानगढ़	श्री कवंर सिंह 1119631 (R)	3181916 (R)	32754	2014
10	जोधपुर ग्रामीण	बालेसर	श्री मिश्राराम 1102636 (R)	3160340 (R)	77616 21500	2059 2071
11	झालावाड़	झालावाड़	श्रीमती मुन्ना बाई 8100630 (R) SFNPS	8301137 (R)	328440	0071
			श्री हेमन्त कुमार शर्मा 8100630 (R)	8301138(R)	164220	0071
			श्रीमती शान्ती बाई 2013270 (R) SF NPS	3151819 (R)	21322	2029
		पिड़ावा	श्रीमती रूपा बाई 8100495 (R)	8300770 (R)	225480	0071
12	झुन्झुनू	झुन्झुनू पेंशन	श्रीमती सुमित्रा 2018018 (R)	3214569 (R)	78743	2055
13	करौली	करौली	श्री राम बाबू 1153210 (R)	3233469 (R)	199302	0055
			श्रीमती शंकर बाई 2018540 (R)	3218313 (R)	181440	0055
			श्री ओम प्रकाश 1140164 (R)	3216820 (R)	164459	0055
		टोड़ा भीम	श्री हरि राम मीना 1125656 (R)	3196145 (R)	58333	2515
			श्री हर भजन मीना	8300594 (R)	5868	0071

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
			8100414 (R)SF			
			श्रीमती शोभा देवी 2012467 (R)	3141577 (R)	11060	0210
		नादौती	श्री किशोर सिंह 1087277 (R)	3136251 (R)	26278	2216
14	प्रतापगढ़	छोटीसादड़ी	श्रीमती संतोष 2013860 (R)	3158843 (R)	2160	8009
		पीपलखूंट	श्री शम्भु 1131948 (R)	3205355 (R)	74362	2210
15	पाली	रानी	श्री खीम पुरी 1127915 (R)	3199523 (R)	32289	2215
			श्रीमती तारा देवी भाटी 1126914 (R)	3197895 (R)	64428	2211
			श्री जोगा राम 1126984 (R)	3198046 (R)	145067	0055
		देसूरी	श्री सोहन लाल भाण्ड 1089147 (R)	3139653 (R)	45906	2406
		रायपुर	श्री अब्दुल सत्तार 1122990 (R)	3191507 (R)	59679	2236
16	राजसमंद	राजसमंद	श्रीमती गंगा बाई 1126428 (R)	3197230 (R)	21242	2210
		कुम्भलगढ़	श्रीमती नीरज कुवंर 2017957 (R)	3214128 (R)	120658	2406
		नाथद्वारा	श्रीमती छगन कुवंर 2011005 (R)	3112922 (R)	1213	2403
		भीम	श्री पारथ लाल भील 1080517 (R)	3121937 (R)	30783	2202
			श्री लक्ष्मण सिंह 1089047 (R)	3139514 (R)	962	0202
17	उदयपुर शहर	गोगुन्दा	श्रीमती गुलाब बाई 1073536 (R)	310654 (R)	16559	3054
		झाड़ौल	श्री राम सिंह 1129596 (R)	3201688 (R)	79639	2406
		सराड़ा	श्री गुलजामा खान 1112315 (R)	3172405 (R)	235835	2055
		वल्लभनगर	श्री भगवत सिंह 1119879 (R)	3185010 (R)	930	2055
योग					4828181	

परिशिष्ट संख्या - 13

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.4.)

रूपांतरित पेंशन के रूप में सिविल पेंशनरों को अधिक भुगतान

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
1	अलवर	राजगढ़	श्री रामसहाय कोली 1096654 (R)	4113823 (R) 25.04.2019	O.P. 31250 C.P. 10416 R.P. 20834	1024184/- 10.06.2021	01.10.2019	01.10.2019	01.10.2019 से 31.03.2021	187488
2	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	श्रीमती पुष्पा देवी मेहता 1093314 (आर)	4109331 (आर) 26.02.2019	O.P. 38950 C.P. 12983 R.P. 25967	1276592/- 27.06.2019	01.12.2019	26.05.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	26.05.2019 से 31.05.2019	2513
			श्री लोवरेंस बारिया 1102075(आर)	4120330 (आर) 11.07.2019	O.P. 33500 C.P. 11166 R.P. 22334	1097930/- 17.12.2019	01.12.2019	11.10.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	11.10.2019 से 30.11.2019	18730
			श्री डाला डामोर 1099592 (आर)	4117451 (आर) 07.06.2019	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 18.10.2019	01.05.2019	07.09.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	07.09.2019 से 30.09.2019	4493
			श्री नरपत सिंह 1110251 (आर)	4129791 (आर) 22.10.2019	O.P. 26950 C.P. 8983 R.P. 17967	883280/- 05.03.2020	01.10.2019	22.01.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	22.01.2020 से 29.02.2020	11881
			श्री हकरू मीना 1101056 (आर)	4118935 (आर) 25.06.2019	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 08.11.2019	01.08.2019	25.09.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	25.09.2019 से 31.10.2019	6940
			श्रीमती केसर 1104169 (आर)	4122772 (आर) 31.07.2019	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 18.12.2019	01.06.2019	31.10.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	31.10.2019 से 30.11.2019	5797
		घाटोल	श्री देवा चरपोटा 1117342 (आर)	4137698(आर) 17.02.2020	O.P. 16550 C.P. 5516	542377/- 20.11.2020	01.10.2019	17.5.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह	17.5.2020 से 31.10.2020	30249

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
					R.P. 11034			बाद		
			श्री रंगजी निनामा 1082665 (आर)	4093448 (आर) 21.09.2018	O.P. 36850 C.P. 12283 R.P. 24567	1207763/- 04.02.2019	01.10.2018	21.12.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	21.12.2018 से 31.01.2019	16441
			श्रीमती मंजुला पांड्या 1116192 (आर)	4136420 (आर) 29.01.2020	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 29.06.2020	01.03.2020	29.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	29.04.2020 से 31.05.2020	12675
			श्री भैरू लाल भांबी 1127585 (आर)	4148515 (आर) 06.08.2020	O.P. 25500 C.P. 8500 R.P. 17000	835788/- 21.12.2020	01.08.2020	06.11.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	06.11.2020 से 30.11.2020	7083
		आनन्दपुरी	श्री कालूराम डामोर 1100204 (आर)	4118163 (आर) 26.06.2019	O.P. 20500 C.P. 6833 R.P. 13667	671875/- 07.05.2020	01.01.2019	26.09.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	26.09.2019 से 30.04.2020	48969
		सज्जनगढ़	पारसिंह डामोर 1125241 (आर)	4146101 (आर) 14.07.2020	O.P. 34600 C.P. 11533 R.P. 23067	1134017/- 19.11.2020	01.04.2020	14.10.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	14.10.2020 से 31.10.2020	6696
		कुशलगढ़	श्री जयसिंह डोडियार 1091314 (आर)	4106710 (आर) 25.01.2019	O.P. 12134 C.P. 4044 R.P. 8090	397638/- 20.03.2020	01.09.2018	25.04.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	25.04.2019 से 31.01.2020	37205
			श्री कृष्ण नन्दन 1117686 (आर)	4138099(आर) 19.02.2020	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 25.08.2020	01.01.2020	19.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	19.05.2020 से 30.06.2020	17363
			श्री मल जी गरासिया 1070560 (आर)	4071431(आर) 26.03.2018	O.P. 11773 C.P. 3924 R.P. 7849	385839/- 19.11.2018	26.06.2018	26.06.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	26.06.2018 से 31.10.2018	16350
3	बूंदी	बूंदी	श्री दुर्गालाल 1092090 (आर)	4107689 (आर) 08.02.2019	O.P. 16000 C.P. 5333 R.P. 10667	524383/- 09.08.2019	01.02.2019	08.05.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	08.05.2019 से 31.07.2019	14795

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्री अशोक कुमार मीणा 1122712 (आर)	4143434 (आर) 24.06.2020	O.P. 24650 C.P. 8216 R.P. 16434	807863/- 24.11.2020	01.07.2019	24.09.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	24.09.2020 से 31.10.2020	10133
			श्री गोर्धन लाल 1119308 (आर)	4139905 (आर) 20.03.2020	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210 /- 07.12.2020	01.06.2020	20.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	20.06.2020 से30.11.2020	30139
			श्री राजेन्द्र कुमार लाखोटिया 1122043 (आर)	4142753 (आर) 11.06.2020	O.P. 44500 C.P. 14833 R.P. 29667	1458499/- 10.11.2020	01.07.2020	20.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	11.09.2020 से 30.09.2020	9889
			श्री रामदेव मेघवाल 1122487 (आर)	41433203 (आर) 16.06.2020	O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900	547463/- 19.10.2020	07.11.2019	16.09.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	16.09.2020 से 30.09.2020	2725
			श्रीमती लीला देवी गौतम 1114554 (आर)	4134579 (आर) 06.01.2020	O.P. 45200 C.P. 15066 R.P. 30134	1481410/- 11.05.2020	01.04.2020	06.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	06.04.2020 से 30.04.2020	12555
		नैनवा	श्री सत्य नारायण 1110757 (आर)	4130365 (आर) 30.10.2019	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 23.03.2020	01.08.2019	30.01.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	30.01.2020 से 29.02.2020	6156
			श्री रामनारायण नागर 1104264 (आर)	4122880 (आर) 04.08.2019	O.P. 15100 C.P. 5033 R.P. 10067	494885/- 13.02.2020	01.01.2019	04.11.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	04.11.2019 से 31.12.2019	9563
			श्री नाथु लाल वर्मा 1097264 (आर)	4114631(आर) 08.05.2019	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 11.09.2019	01.12.2018	08.08.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	08.08.2019 से 31.08.2019	9200
		केशोराय पाटन	श्रीमती अनिता पॉल 1135201 (आर)	4156363 (आर) 23.11.2020	O.P. 46550 C.P. 15516 R.P. 31034	1525657/- 22.06.2021	01.04.2021	01.04.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.04.2021 से 31.05.2021	31032

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्री रमेशचंद 1137200 (आर)	4158490 (आर) 22.12.2020	O.P. 16059 C.P. 5353 R.P. 10706	526350/- 11.05.2021	01.07.2020	22.03.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	22.03.2021 से 30.04.2021	7080
			श्री बाबुलाल 1106623 (आर)	4125613 (आर) 11.09.2019	O.P. 16000 C.P. 5333 R.P. 10667	524383/- 05.02.2020	01.07.2019	11.12.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	11.12.2019 से 31.12.2019	3613
			श्री हंसराज 1102601 (आर)	4120937 (आर) 22.07.2019	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 05.02.2020	01.06.2019	22.10.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	22.10.2019 से 31.12.2019	13044
			श्री गोर्धन पंवार 1117379 (आर)	4137737 (आर) 18.02.2020	O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900	535888/- 30.07.2020	01.07.2019	18.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	18.05.2020 से 30.06.2020	7911
4	चित्तौड़गढ़	डूंगला	श्रीमती काली बाई अहीर 1093865(R)	4110138 (R) 12.03.2019	O.P. 10203 C.P. 3401 R.P. 6802	334414/- 06.08.2019	01.04.2019	12.06.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	12.06.2019 से 31.07.2019	5555
			श्री नारायण सिंह 1103847 (R)	4122394 (R) 29.07.2019	O.P. 26950 C.P. 8983 R.P. 17967	883280/- 18.02.2019	01.04.2019	29.10.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	29.10.2019 से 30.11.2019	9852
		भदेसर	श्री मोहम्मद सलीम 1081490 (R)	4091728 (R) 29.08.2018	O.P. 35500 C.P. 11166 R.P. 22334	1097930/- 10.05.2019	01.10.2018	29.11.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	29.11.2018 से 30.04.2019	56574
5	चूरू	सुजानगढ़	श्री दुला राम जाट 1144938 (आर)	4166565 (R) 20.04.2021	O.P. 22400 C.P. 7466 R.P. 14934	734117/- 22.10.21	01.12.2020	20.07.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	20.07.2021 से 30.09.2021	17822
		रतनगढ़	श्री सवाई सिंह 1093296 (आर)	4109306 (R) 25.02.2019	O.P. 26950 C.P. 8983 R.P. 17967	883280 23.07.2019	01.03.2019	25.05.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	25.05.2019 से 30.06.2019	11011

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्रीमती विमला देवी 1092542 (आर)	4108253 (आर) 18.02.2019	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 16.09.2019	01.04.2019	18.05.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	18.05.2019 से 31.08.2019	19384
6	डूंगरपुर	सागवाड़ा	श्री भरत लाल मकवाना 1112861 (आर)	4132751 (आर) 05.12.2019	O.P. 26819 C.P. 8939 R.P. 17880	8789954/- 12.06.2020	01.02.2020	05.03.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	05.03.2020 से 30.04.2020	16725
		सीमलवाड़ा	श्रीमती एलिस जॉन 1119508 (आर)	4140119 (आर) 22.04.2020	O.P. 30650 C.P. 10216 R.P. 20434	1004519/- 29.04.2020	01.04.2020	29.04.2020 सी.पी.ओ. मूल्य के भुगतान की तिथि से	29.04.2020 से 30.04.2020	681
			श्री मोहन नाथ योगी 1119812 (आर)	4140445 (आर) 22.04.2020	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	605411/- 29.04.2020	02.04.2020	29.04.2020 सी.पी.ओ. मूल्य के भुगतान की तिथि से	29.04.2020 से 30.04.2020	386
			श्री नाथु सिंह 1057790 (आर)	4056468 (आर) (तिथि उपलब्ध नहीं) संशोधित 4128039 (आर) 26.09.2019	O.P. 6160 C.P. 2053 R.P. 4107 संशोधित O.P. 15850 C.P. 5283 R.P. 10567	519467/- (317600 + 201867) 30.09.2019	01.09.2017	01.10.2019 संशोधित सी.पी.ओ. जारी होने पर बैंक द्वारा कटौती नहीं की गई	01.10.2019 से 30.06.2021	67830
			श्री अरविन्द्र कुमार कोटेड़ 1069456 (आर)	4069586 (आर) (तिथि उपलब्ध नहीं) संशोधित 4073522 (आर) 16.04.2018	O.P. 10630 C.P. 3543 R.P. 7087 संशोधित O.P. 27750 C.P. 9250 R.P. 18500	909534/- (561158+ 348376) 15.03.2019	01.08.2017	16.07.2018 संशोधित सी.पी.ओ. जारी होने पर बैंक द्वारा कटौती नहीं की गई	16.07.2018 से 30.06.2021	202691
		डूंगरपूर	श्री महेश चन्द्र सेवक 1125692 (आर)	4146555(आर) 17.07.2020	O.P. 17350 C.P. 5783	568631/- 17.02.2021	01.10.2020	17.10.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह	17.10.2020 से 31.12.2020	14364

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
					R.P. 11567			बाद		
			श्री हाकर चंद ताबियाड़ 1133466 (आर)	4154593 (आर) 15.10.2020	O.P. 25725 C.P. 8575 R.P. 17150	843163/- 23.02.2021	01.01.2021	15.01.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	15.01.2021 से 31.01.2021	4702
			श्रीमती पार्वती राठौड़ 1093040 (आर)	4108969 (आर) 22.02.2019	O.P. 27914 C.P. 9304 R.P. 18610	914844/- 27.09.2019	01.08.2019	01.08.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद पेंशन प्रारम्भ होने पर	01.08.2019 से 31.08.2019	9304
			श्री प्रदीप कुमार शर्मा 1136198 (आर)	4157422 (आर) 27.11.2020	O.P. 46550 C.P. 15516 R.P. 31034	1525657/- 09.06.2021	01.04.2021	01.04.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद पेंशन प्रारम्भ होने पर	01.04.2021 से 31.05.2021	31032
			श्री दौलत सिंह सिसोदिया 1145834 (आर)	4167473 (आर) 17.05.2021	O.P. 14572 C.P. 4857 R.P. 9715	477579/-	01.06.2021	01.06.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.06.2021 से 17.06.2021	2752
			श्री सूरज मल लौहार 1109784 (आर)	4129247(आर) 11.10.2019	O.P. 35600 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 19.02.2020	01.01.2020	11.01.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	11.01.2020 से 31.01.2020	8050
			श्री शंकर लाल कटारा 1133925 (आर)	4155061 (आर) 21.10.2020	O.P. 34600 C.P. 11533 R.P. 23067	1134017/- 12.04.2021	01.03.2021	01.03.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद पेंशन प्रारम्भ होने पर	01.03.2021 से 31.03.2021	11533
7	धौलपुर	धौलपुर	श्री लाला राम जाटव 1127943 (R)	4148878 (R) 25.08.2020	O.P. 25400 C.P. 8466 R.P. 16934	832445/- 21.01.2021	01.08.2020	25.11.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	25.11.2020 से 31.12.2020	10159
		बाड़ी	श्री द्वारिका प्रसाद 1116614 (R)	4136880 (R) 12.02.2020	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 04.09.2020	01.03.2020	12.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	12.05.2020 से 31.05.2020	3623
			श्री डब्बू 1138826 (R)	4160174 (R) 22.01.2021	O.P. 17500 C.P. 5833 R.P. 11667	580057/- 28.06.2021	01.02.2020	22.04.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	22.04.2021 से 31.05.2021	7583

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
		बसेड़ी	श्री बृजेश कुमार शर्मा 1116401 (R)	4136640 (R) 05.02.2020	O.P. 13329 C.P. 4443 R.P. 8886	436871/- 31.07.2020	01.11.2019	05.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	05.05.2020 से 30.06.2020	8313
			श्री सोवरन सिंह 1117181 (R)	4137525 (R) 14.02.2020	O.P. 33600 C.P. 11200 R.P. 22400	1101274/- 26.10.2020	01.03.2020	14.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	14.05.2020 से 31.08.2020	40103
		राजाखेड़ा	श्री रामस्वरूप 1118732 (R)	4139257 (R) 16.03.2020	O.P. 13329 C.P. 4443 R.P. 8886	436871/- 04.12.2020	01.11.2019	16.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	16.06.2020 से 30.09.2020	15551
			श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव 1119505 (R)	4140116 (R) 29.04.2020	O.P. 13051 C.P. 4350 R.P. 8701	427727/- 31.08.2020	01.09.2019	29.07.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	29.07.2020 से 31.07.2020	421
8	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	श्री राम आग्या 1137819 (आर)	4159135 (आर) 23.12.2020	O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900	585052/- 16.03.2021	01.03.2021	16.03.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	16.03.2021 से 31.03.2021	3071
			श्रीमती अंगूरी देवी 1118145 (आर)	4138606 (आर) 27.02.2020	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 09.06.2020	01.09.2019	27.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	27.05.2020 से 31.05.2020	933
			श्री महावीर 1115197 (आर)	4135317(आर) 14.01.2020	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 22.07.2020	01.03.2020	14.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	14.04.2020 से 30.06.2020	14843
			श्री कन्हैया लाल 1095584 (आर)	4112450 (आर) 05.04.2019	O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900	535888/- 09.08.2019	01.01.2019	05.07.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	05.07.2019 से 31.07.2019	4747
			श्रीमती शान्ती खत्री 1095450 (आर)	4112287 (आर) 02.04.2019	O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900	535888/- 22.08.2019	01.07.2019	02.07.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	02.07.2019 से 31.07.2019	5274

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
		सादुलशहर	श्री कृष्ण लाल 1121614 (आर)	4142293 (आर) 04.06.2020	O.P. 52450 C.P. 17483 R.P. 34967	1719068/- 19.11.2020	01.10.2020	01.10.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद पेंशन प्रारम्भ होने पर	01.10.2020 से 31.10.2020	17483
			श्री किशोरी लाल 1105272 (आर)	4124062 (आर) 13.08.2019	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 07.01.2020	01.11.2019	13.11.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	13.11.2019 से 30.11.2019	7340
			श्री अच्छे लाल 1107612 (आर)	4126761 (आर) 13.09.2019	O.P. 18200 C.P. 6066 R.P. 12134	596458/- 19.03.2020	01.01.2020	01.10.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद पेंशन प्रारम्भ होने पर	01.01.2020 से 31.01.2020	6066
		पदमपुर	श्री दलजिन्दर सिंह बरार 1128362 (आर)	4149317 (आर) 18.08.2020	O.P. 26032 C.P. 8677 R.P. 17355	908378/- 19.03.2021	27.09.2019	18.11.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	18.11.2020 से 28.02.2021	29791
		श्रीकरनपुर	श्री सुखराज सिंह सिद्धु 1103473 (आर)	4121959 (आर) 23.07.2019	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1216498/- 25.10.2019	01.10.2019	23.10.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	23.10.2019 से 31.10.2019	3552
			श्रीमती उषा रानी 1109386 (आर)	4128802 (आर) 07.10.2019	O.P. 29750 C.P. 9916 R.P. 19834	975020/- 30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	30.10.2019 से 31.10.2019	640
			श्री बलविंदर सिंह 1115232 (आर)	4135354 (आर) 14.01.2020	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 11.05.2020	01.03.2020	14.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	14.04.2020 से 30.04.2020	6734
		घड़साना	श्री महावीर प्रसाद 1118242 (आर)	4138710 (आर) 28.02.2020	O.P. 8850 C.P. 2950 R.P. 5900	290068/- 23.02.2021	01.07.2018	28.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	28.05.2020 से 31.07.2020	6281
			श्री औंकार राम वर्मा 1079296 (आर)	4088234 (आर) 31.07.2018	O.P. 22650 C.P. 7550 R.P. 15100	742376/- 07.02.2019	01.01.2019	01.01.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद पेंशन प्रारम्भ होने पर	01.01.2019 से 31.01.2019	7550

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्रीमती मन्जु शर्मा 1143000 (आर)	4164539 (आर) 16.03.2021	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 06.08.2021	01.06.2021	16.06.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	16.06.2021 से 30.06.2021	5942
9	जोधपुर ग्रामीण	औंसियां	श्री हनुमान राम 1118811 (आर)	4139345 (आर) 12.03.2020	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 09.08.2020	01.02.2020	12.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	12.06.2020 से 31.07.2020	19981
			श्री काना राम 1114785 (आर)	4134834 (आर) 08.01.2020	O.P. 34700 C.P. 11566 R.P. 23134	1137262/- 24.07.2020	01.02.2020	08.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	08.04.2020 से 30.06.2020	31999
		जोधपुर ग्रामीण	श्री खम्मु राम 1118991 (आर)	4139542 (आर) 17.03.2020	O.P. 23050 C.P. 7683 R.P. 15367	755454/- 06.07.2020	01.04.2020	17.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	17.06.2020 से 30.06.2020	3585
			श्रीमती विजय लक्ष्मी 1117850 (आर)	4138287 (आर) 25.02.2020	O.P. 28600 C.P. 9533 R.P. 19067	937361/- 06.07.2020	01.03.2020	25.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	25.05.2020 से 30.06.2020	11686
			श्रीमती गुजरी 1121696 (आर)	4142378 (आर) 09.06.2020	O.P. 16249 C.P. 5416 R.P. 10833	532544/- 15.01.2020	01.02.2020	09.09.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	09.09.2020 से 30.09.2020	3972
10	जैसलमेर	पोकरण	श्री मानाराम 1113463 (आर)	4133407 (आर) 17.12.2019	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 22.07.2020	01.02.2020	17.03.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	17.03.2020 से 31.05.2020	14364
			श्री हबीब खान 1119537 (आर)	4140148 (आर) 26.03.2020	O.P. 14717 C.P. 4905 R.P. 9812	482299/- 22.07.2020	01.03.2020	26.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	26.06.2020 से 30.06.2020	817
			श्री अम्बाराम लीलर 1115667 (आर)	4135835 (आर) 24.01.2020	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 22.07.2020	01.06.2019	24.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	24.04.2020 से 31.05.2020	7132

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्री माल सिंह राजपूत 1116403 (आर)	4136642 (आर) 05.02.2020	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 22.07.2020	01.09.2019	05.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	05.05.2020 से 31.05.2020	4891
		फतेहगढ़	श्री सती दान 1118765 (आर)	4139291 (आर) 12.03.2020	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 30.07.2020	01.01.2020	12.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	12.06.2020 से 30.06.2020	7526
			श्री प्रेम सिंह 1115502 (आर)	4135658 (आर) 20.01.2020	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 21.08.2020	01.01.2019	20.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	20.04.2020 से 30.06.2020	13291
			श्री सुजान सिंह 1064415 (आर)	4063810 (आर) 20.11.2017	O.P. 7360 C.P. 2453 R.P. 4907	258095/- 26.04.2018	01.08.2017	20.02.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	20.02.2018 से 31.03.2018	3241
		जैसलमेर	श्री हरि वल्लभ ओझा 1114527 (आर)	4134550 (आर) 07.01.2020	O.P. 41300 C.P. 13766 R.P. 27534	1353583/- 01.06.2020	01.04.2020	07.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	07.04.2020 से 30.04.2020	11013
			श्री जुगल किशोर 1117977 (आर)	4138420 (आर) 03.03.2020	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 31.08.2020	01.04.2020	03.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	03.06.2020 से 31.07.2020	23650
			श्री घेवर राम शर्मा 1118108 (आर)	4138566 (आर) 28.02.2020	O.P. 22400 C.P. 7466 R.P. 14934	434117/- 31.08.2020	01.01.2020	28.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	28.05.2020 से 31.07.2020	15895
			श्री दाना राम 1130180 (आर)	4151201 (आर) 08.09.2020	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 02.02.2021	01.05.2020	08.12.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	08.12.2020 से 31.12.2020	4477
11	करौली	करौली	श्री रामा सिंह 1115648 (आर)	4135813 (आर) 28.01.2020	O.P. 27750 C.P. 9250 R.P. 18500	909534/- 24.06.2020	01.12.2019	28.04.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	28.04.2019 से 31.05.2020	10175

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्री राजेन्द्र प्रसाद जोरवाल 1118725 (आर)	4139251 (आर) 16.03.2020	O.P. 24969 C.P. 8383 R.P. 16646	818384/- 21.09.2020	01.04.2020	16.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	16.06.2020 से 31.08.2020	20958
12	कोटा	पेंशन कोटा	श्री नेमी चंद 1120767 (आर)	4141443 (आर) 29.05.2020	O.P. 20750 C.P. 6916 R.P. 13894	680036/- 26.10.2020	01.08.2020	29.08.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	29.08.2020 से 30.09.2020	6526
			श्री रमेश चंद 1113776 (आर)	4133748 (आर) 27.12.2019	O.P. 24050 C.P. 8016 R.P. 16034	788197/- 17.07.2020	01.10.2019	27.03.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	27.03.2020 से 30.06.2020	25341
			श्री बालू राम 1098493 (आर)	4116145 (आर) 24.05.2019	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 19.08.2020	01.10.2018	24.08.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	24.08.2019 से 31.07.2020	63225
		पीपलदा	श्री लट्टरी लाल 1117734 (आर)	4138151 (आर) 24.02.2020	O.P. 24050 C.P. 8016 R.P. 16034	788197/- 04.12.2020	01.08.2019	24.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	24.05.2020 से 30.11.2020	50165
		रामगंजमण्डी	श्री चौथमल शर्मा 1150106 (आर)	4171865 (आर) 26.07.2021	O.P. 35150 C.P. 11716 R.P. 23434	1152011/- 29.11.2021	01.11.2021	01.11.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद पेंशन प्रारम्भ होने पर	01.11.2021 से 30.11.2021	11716
13	पाली	पाली	श्री हर लाल गुंजल 1115282 (आर)	4135406 (आर) 15.09.2020	O.P. 33600 C.P. 11200 R.P. 22400	1101274/- 13.07.2020	01.03.2020	15.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	15.04.2020 से 31.05.2020	17173
			श्री केसर राम 1114901 (आर)	4134968 (आर) 10.01.2020	O.P. 34675 C.P. 11558 R.P. 23117	1136475/- 19.06.2020	01.04.2020	10.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	10.04.2020 से 31.05.2020	19649

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्री रतन लाल 1117749 (आर)	4138167 (आर) 24.02.2020	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 16.06.2020	01.05.2020	24.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	24.05.2020 से 31.05.2020	1492
			श्रीमती लीला 1119738 (आर)	4140352 (आर) 20.04.2020	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 08.09.2020	01.09.2019	20.07.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	20.07.2020 से 31.07.2020	2239
		सुमेरपुर	श्री गलबा राम मीणा 1117448 (आर)	4137817 (आर) 19.02.2020	O.P. 35550 C.P. 11850 R.P. 23700	1165187/- 21.09.2020	01.01.2020	19.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	19.05.2020 से 31.08.2020	40519
			श्री मनोहर सिंह 1118420 (आर)	4138904 (आर) 05.03.2020	O.P. 38950 C.P. 12983 R.P. 25967	1276592/- 24.09.2020	01.04.2020	05.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	05.06.2020 से 31.08.2020	37218
		रानी	श्री सोनी दान चारण 1118716 (आर)	4139242 (आर) 18.03.2020	O.P. 14117 C.P. 4705 R.P. 9412	462633/- 17.08.2020	01.04.2020	18.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	18.06.2020 से 30.06.2020	2039
			श्री मघा राम 1127960 (आर)	4148898 (आर) 24.08.2020	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 01.02.2021	01.07.2020	24.11.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	24.11.2020 से 30.11.2020	1310
			श्री देवा राम पारंगी 1092738 (आर)	4108584 (आर) 16.02.2019	O.P. 12179 C.P. 4059 R.P. 8120	399113/- 23.01.2020	01.09.2018	16.05.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	16.05.2019 से 31.12.2019	30508
			श्री लच्छा राम परिहार 1118717 (आर)	4130243 (आर) 17.03.2020	O.P. 14117 C.P. 4705 R.P. 9412	462633/- 25.08.2020	01.03.2020	17.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	17.06.2020 से 30.06.2020	2196
		बाली	श्री भीखा राम 1141554 (आर)	4163020 (आर) 25.02.2020	O.P. 37800 C.P. 12600 R.P. 25200	1238933/- 01.09.2021	01.04.2021	25.05.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	25.05.2021 से 31.07.2021	28045

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्री गज राज 1127953 (आर)	4148889 (आर) 21.08.2020	O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900	585052/- 18.12.2020	01.11.2020	21.11.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	21.11.2020 से 30.11.2020	1983
		देसूरी	श्री वेलाराम मेघवाल 1114317 (आर)	4134330 (आर) 03.01.2020	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 05.06.2020	01.04.2020	03.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	03.04.2020 से 31.05.2020	22974
		रायपुर	श्री मूल चंद 1097209 (आर)	4114566 (आर) 13.05.2019	O.P. 24750 C.P. 8250 R.P. 16500	811206/- 21.09.2019	01.08.2019	13.08.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	13.08.2019 से 31.08.2019	5056
			श्रीमती जोयस जोहन 1137424 (आर)	4158729 (आर) 28.12.2020	O.P. 25536 C.P. 8512 R.P. 17024	836968/- 07.06.2021	01.04.2021	01.04.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.04.2021 से 30.04.2021	8512
			श्री नाथु सिंह 1132337 (आर)	4153427 (आर) 07.10.2020	O.P. 18800 C.P. 6266 R.P. 12534	616123/- 22.03.2021	01.02.2021	01.02.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.02.2021 से 28.02.2021	6266
14	राजसमंद	भीम	श्री नारायण सिंह 1094956 (आर)	4111659 (आर) 03.04.2019	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 01.08.2019	01.06.2019	03.07.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	03.07.2019 से 31.07.2019	5254
			श्री हाल सिंह 1101108 (आर)	4119215 (आर) 25.06.2019	O.P. 25400 C.P. 8466 R.P. 16934	832445/- 03.03.2020	01.07.2019	25.09.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	25.09.2019 से 30.09.2019	1693
		कुम्भलगढ़	श्री बालू दास वैष्णव 1141060 (आर)	4162495 (आर) 11.02.2021	O.P. 25725 C.P. 8575 R.P. 17150	843163 /- 22.07.2021	01.05.2021	11.05.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	11.05.2021 से 30.06.2021	14384
			श्री रूप लाल भील 1109801 (आर)	4129266 (आर) 14.10.2019	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 07.07.2020	01.12.2019	14.01.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	14.01.2020 से 30.06.2020	31341

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
		नाथद्वारा	श्री मोहन लाल जतिया 1115763 (आर)	4135934 (आर) 23.01.2020	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 07.05.2020	01.03.2020	23.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	23.04.2020 से 30.04.2020	3262
15	टॉक	टॉक	श्री सैयद रशीद अली नकवी 1134357 (आर)	4155509 (आर) 29.10.2020	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 11.02.2021	01.02.2021	01.02.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.02.2021 से 10.02.2021	4369
			श्री सत्य नारायण अग्रवाल 1140329 (आर)	4161717 (आर) 04.02.2021	O.P. 42550 C.P. 14183 R.P. 28367	1394586/- 07.07.2021	01.04.2021	04.05.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	04.05.2021 से 06.07.2021	29739
			श्रीमती सुषमा नामा 1145575 (आर)	4167208 (आर) 13.05.2021	O.P. 31550 C.P. 10516 R.P. 21034	1034017/- 18.08.2021	01.07.2021	13.08.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	13.08.2021 से 17.08.2021	1696
		पीपलू	श्री राम प्रसाद जाट 1111679 (आर)	4131413 (आर) 19.11.2019	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 15.05.2020	01.03.2020	01.03.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.03.2020 से 31.03.2020	11883
16	उदयपुर ग्रामीण	उदयपुर ग्रामीण	श्रीमती अम्बा बाई नाई 1128985 (आर)	4149973 (आर) 25.08.2021	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	552210/- 23.07.2021	01.07.2021	25.11.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	25.11.2020 से 30.11.2020	1123
			वालूराम 1120962 (आर)	4141641 (आर) 28.05.2020	O.P. 17041 C.P. 5680 R.P. 11361	558503/- 13.11.2020	01.03.2021	28.08.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	28.08.2020 से 31.08.2020	733
			पारस राम तेली 1143887 (आर)	416480 (आर) 26.03.2021	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 11.08.2021	01.02.2021	26.06.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	26.06.2021 से 30.06.2021	964
			श्री लाक्ष्मन गमेती 1140167 (आर)	4161551 (आर) 29.01.2021	O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900	585052/- 29.06.2021	01.01.2021	29.04.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	29.04.2021 से 30.04.2021	397

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
		गोगुन्दा	श्री बसंत सिंह 1119721 (आर)	4140334 (आर) 20.04.2020	O.P. 12540 C.P. 4180 R.P. 8360	453446/- 09.09.2020	01.11.2019	20.07.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	20.07.2020 से 31.07.2020	1618
			श्री रतन लाल आमेटा 1085648 (आर)	4098640 (आर) 26.10.2018	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 13.06.2019	01.03.2019	01.03.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.03.2019 से 31.05.2019	35649
		झाड़ौल	श्री भीमराज मीना 1116771 (आर)	4137073 (आर) 06.02.2020	O.P. 22650 C.P. 7550 R.P. 15100	742376/- 19.06.2020	01.03.2020	06.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	06.05.2020 से 31.05.2020	6332
			श्री रामचन्द्र जैन 1127554 (आर)	4148487 (आर) 06.08.2020	O.P. 36600 C.P. 12200 R.P. 24400	1199602/- 22.03.2021	01.09.2020	06.11.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	06.11.2020 से 30.11.2020	10167
			श्री कन्हैया लाल 1129741 (आर)	4150757 (आर) 03.09.2020	O.P. 23050 C.P. 7683 R.P. 15367	755454/- 06.03.2021	01.12.2019	03.12.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	03.12.2020 से 31.12.2020	7187
		खैरवाड़ा	श्री थावर चंद मीना 1136139 (आर)	4157352 (आर) 27.11.2020	O.P. 35575 C.P. 11858 R.P. 23717	1165973/- 27.04.2021	01.01.2021	27.02.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	27.02.2021 से 28.02.2021	847
			श्री पूनम चंद मीना 1136196 (आर)	4157419 (आर) 27.11.2020	O.P. 19150 C.P. 6383 R.P. 12767	627628/- 13.08.2021	01.12.2020	27.02.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	27.02.2021 से 28.02.2021	456
		सलूमबर	श्री मान सिंह 1109256 (आर)	4128647 (आर) 04.10.2019	O.P. 8850 C.P. 2950 R.P. 5900	290068/- 21.07.2020	01.08.2019	04.01.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	04.01.2020 से 30.06.2020	17415
			श्री देगा राम मीणा 1118356 (आर)	4138837 (आर) 04.03.2020	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 30.07.2020	01.01.2020	04.06.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	04.06.2020 से 30.06.2020	5205

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्री अशोक कुमार जैन 1113494 (आर)	4133348 (आर) 13.12.2019	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 21.07.2020	01.04.2020	01.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.04.2020 से 31.05.2020	24466
		सराड़ा	श्री हूरजी मीना 1122711 (आर)	4143433 (आर) 17.06.2020	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 12.02.2021	01.10.2020	01.10.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.10.2020 से 31.12.2020	17349
			श्री देवी लाल पटेल 1079844 (आर)	4089162 (आर) 28.08.2018	O.P. 34600 C.P. 11533 R.P. 23067	1134017/- 27.12.2018	01.05.2018	28.11.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	28.11.2018 से 30.11.2018	1153
			श्री नरेन्द्र कुमार चौबीसा 1116502 (आर)	4136762 (आर) 04.02.2020	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 30.06.2020	01.04.2020	04.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	04.05.2020 से 31.05.2020	11049
			श्री भाना 1135797 (आर)	4157003 (आर) 20.01.2020	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568631/- 17.03.2021	01.02.2021	20.02.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	20.02.2021 से 28.02.2021	1859
			श्री किशन लाल गर्ग 1117950 (आर)	4138392 (आर) 26.02.2020	O.P. 22000 C.P. 7333 R.P. 14667	721039/- 30.06.2020	01.03.2020	26.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	26.05.2020 से 31.05.2020	1419
		मावली	श्री कन्हैया लाल बड़गुर्जर 1087299 (आर)	4101115 (आर) 22.11.2018	O.P. 26950 C.P. 8953 R.P. 17967	883280/- 06.03.2019	01.08.2018	22.02.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	22.02.2019 से 28.02.2019	2238
			श्री भीमराज गुर्जर 1114402 (आर)	4134425 (आर) 03.01.2020	O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900	535888/- 09.06.2020	01.05.2020	01.05.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.05.2020 से 31.05.2020	5450
			श्री दिनेश चंद जैन 1138675 (आर)	4160015 (आर) 07.01.2021	O.P. 32600 C.P. 10866 R.P. 21734	1068432/- 04.05.2021	01.04.2021	07.04.2021 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	07.04.2021 से 30.04.2021	8693

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
		वल्लभनगर	श्री लाभ शंकर जोशी 1114431 (आर)	4134454 (आर) 03.01.2020	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 15.06.2020	01.03.2020	03.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	03.04.2020 से 31.05.2020	23650
			श्री पेमा कीर 1092216 (आर)	4107855 (आर) 06.02.2019	O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900	535888/- 05.07.2019	01.06.2019	01.06.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.06.2019 से 30.06.2019	5450
			श्री राम लाल कुम्हार 1102019 (आर)	4120264 (आर) 09.07.2019	O.P. 24750 C.P. 8250 R.P. 16500	811206/- 20.12.2019	01.11.2019	01.11.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.11.2019 से 30.11.2019	8250
			श्री तेज सिंह पितालिया 1113966 (आर)	4133955 (आर) 23.12.2019	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 28.05.2019	01.04.2020	01.04.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.04.2020 से 30.04.2020	11883
			श्री उदय लाल गुर्जर 1098956 (आर)	4116728 (आर) 30.05.2019	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	1168432/- 19.10.2019	01.09.2019	01.09.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.09.2019 से 30.09.2019	11883
			श्रीमती बेबी जैन 1111105 (आर)	4130765 (आर) 07.11.2019	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 18.03.2020	01.02.2020	07.02.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	07.02.2020 से 29.02.2020	9702
			श्री दुर्गा शंकर मेनारिया 1111349 (आर)	4131063 (आर) 13.11.2019	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	1202846/- 16.03.2020	01.01.2020	13.02.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	13.02.2020 से 29.02.2020	7171
			श्री उदयनाथ चौहान 1101293 (आर)	4119448 (आर) 28.06.2019	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	568831/- 19.10.2019	01.08.2019	28.09.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	28.09.2019 से 30.09.2019	578
योग										2241419

परिशिष्ट संख्या - 14

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.5)

पेंशन एरियर राशि में से आयकर (TDS) की कटौती नहीं करने का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या	एरियर राशि ₹	वसूली योग्य आयकर राशि ₹	आयकर कटौती की गई राशि ₹	बकाया आयकर राशि ₹
1	बारां	छीपाबड़ौद	श्री मोहम्मद युसुफ	11108421 (आर)	687848	39073	0	39073
2	बांसवाड़ा	सज्जनगढ़	श्री चुन्नी लाल मईड़ा	1112868 (आर)	1028286	109883	0	109883
3	भरतपुर	रूपवास	श्री राम बाबू शर्मा	1090430 (आर)	884546	79985	59989	19996
4	चित्तौड़गढ़	बडीसादड़ी	श्री उदय दास	1110336 (आर)	682500	37960	0	37960
5	धौलपुर	बाड़ी	मांगी लाल जाटव	1137557 (R)	2343780	518059	243753	274306
6	श्रीगंगानगर	घड़साना	श्री हेमराज	1109469 (आर)	1335959	203620	156000	47620
		पदमपुर	श्री दयाराम नैण	1078697 (आर)	414424	3870	0	3870
7	जालौर	रानीवाड़ा	श्री रतन लाल सोलंकी	1068018 (आर)	787185	61220	59160	2060
8	जोधपुर ग्रामीण	बालेसर	श्री लाला राम भाटिया	1111208 (आर)	1228176	173111	127731	45380
9	जैसलमेर	पोकरण	श्री चिमना राम	1087801 (आर)	706098	44949	18517	26432
10	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	श्री सुरेश चन्द शर्मा	1131060 (आर)	667100	34757	0	34757
11	सवाई माधोपुर	गंगापुर सिटी	श्री कैलाश मीना	1140546 (आर)	980352	99913	34913	65000
योग ₹					11746254	1406400	700063	706337

परिशिष्ट संख्या-15

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.1)

निजी निक्षेप खाताधारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने का विवरण

क्र.स.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
1	अलवर	1	पंच निमाया शुल्क	5032
2	बारां	2	आयुक्त , लेबर केम्प एण्ड लेबर वेलफेयर कार्यालय, बारां	519
		3	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र अटरू	521
		4	राजकीय महाविद्यालय, केलवाड़ा	540
		5	उप निदेशक(बाल विकास) आई.सी.डी.एस.	1246
		6	प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, छबड़ा	6183
		7	प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अटरू	6721
		3	बूंदी	8
9	उप निदेशक, (आई.सी.डी.एस.) डी.डब्ल्यू.डी.ए. , बूंदी			5494
10	कृषि उपज मंडी समिति, बूंदी			5497
4	भरतपुर	11	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर	2220
		12	पुलिस भविष्य निधि भरतपुर	2225
		13	उप मुख्य वन्य जीव वार्डन , भरतपुर	2243
		14	सहायक निदेशक, बागवानी, भरतपुर	2246
		15	उप निदेशक (बाल विकास) महिला एवं बालविकास विभाग, भरतपुर	2249
		16	सिविल डिफेन्स भरतपुर	2286
		17	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी , भरतपुर	5650
		18	बृज विश्व विद्यालय , भरतपुर	5785
5	चित्तौड़गढ़	19	श्री काला जी वैदिक विश्वविद्यालय, निम्बाहेड़ा	6159
		20	श्री रविन्द्रनाथ टेगोर विश्वविद्यालय, कपासन	6171
6	चूरू	21	भारतीय जीवन बीमा निगम	471
		22	भवन निर्माण ऋण एच.डी.एफ.सी.	475
7	झुंजरपुर	23	अधीक्षक, आई.टी. आई., सागवाड़ा	2490
		24	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस.	2492
		25	जिला वन अधिकारी ,(DFO) झुंजरपुर	2493
		26	एफ.एफ.डी.ए. झुंजरपुर	2494
		27	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा	2513
		28	परियोजना निदेशक जिला महिला	2548
		29	वर्कमेन कम्पनसेशन	2550
		30	डिस्ट्रिक्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फण्ड, झुंजरपुर (DFMT)	6244
		31	स्वामी विवेकानन्द राज. मॉडल स्कूल, सागवाड़ा	6528
		32	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बिच्छीवाड़ा	6724
8	धौलपुर	33	उप निदेशक, कृषि विस्तार , धौलपुर	4943

क्र.स.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		34	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बाड़ी	4969
		35	सहायक अधीक्षण अभियंता, वाटरशेड डवलपमेंट एण्ड सोयल कन्जर्वेशन , धौलपुर	4972
		36	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी, धौलपुर	4989
		37	राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी	5847
		38	राजकीय महाविद्यालय, राजाखेड़ा	6182
		39	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण, सैंपड	6649
		40	राजकीय महाविद्यालय, बसेड़ी	6735
		41	प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, धौलपुर	18388
		42	अधीक्षण अभियंता, वाटरशेड डवलपमेंट एण्ड सोयल कन्जर्वेशन , धौलपुर	18650
		43	आरजीएचएस	18692
9	श्रीगंगानगर	44	बाबा हरद्वारी नाथ मेमोरियल ट्रस्ट, 2 एम.एल., श्रीगंगानगर	1290
		45	सिविल डिफेंस श्रीगंगानगर	1297
		46	बाबा मावसी नाथ मेमोरियल ट्रस्ट (नॉन आइ. बी.) एम.एल. श्रीगंगानगर	1863
		47	भूमि अधिग्रहण अधिकारी श्रीगंगानगर	2021
		48	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सूरतगढ़	2022
		49	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीकरनपुर	2040
10	हनुमानगढ़	50	भूमि आवाप्ति अधिकारी, हनुमानगढ़	3132
		51	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), हनुमानगढ़	6130
11	जयपुर (शहर)	52	सचिव, मुस्लिम वक्फ बोर्ड	548
		53	मुख्य अधिशाषी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, जयपुर	551
		54	अध्यक्ष ग्रामदान बोर्ड, जयपुर	558
		55	जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	559
		56	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	560
		57	राजस्थान पुलिस परि.	3483
		58	आई.टी. आई., जयपुर	3485
		59	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3488
		60	डी.एफ.ओ. ईस्ट, जयपुर	3499
		61	प्राचार्य, राजकीय दंत चिकित्सालय	3542
		62	रिपेमेंट ऑफ एच.ओ.	3634
		63	रिकवरी ऑफ एच.बी.	3637
		64	रिकवरी ऑफ एच.बी.	3638
		65	नागरिक सुरक्षा	3697
		66	ज्योति विद्यापीठ	3717
		67	महिला शिक्षा	3723
		68	महात्मा ज्योतिराव	3726
		69	रितनन्द बलदेव	3730

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		70	प्रताप यूनिवर्सिटी	4197
		71	देव यूनिवर्सिटी	4201
		72	रिजनल टेक्नी.	5517
		73	आई.सी.एफ.ए. यूनिवर्सिटी	5628
		74	वी.आई.टी. विश्वविद्यालय	5638
		75	राजस्थान भू अभिलेख जयपुर	5718
		76	डा. भीमराव अम्बेडकर, जयपुर	5776
		77	जे.ई. सी.आर.सी. यूनिवर्सिटी	5782
		78	अपेक्स विश्वविद्यालय	6379
		79	संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा	6453
		80	राजकीय बालिका महाविद्यालय किशनपोल, जयपुर	6862
		81	कृषक कल्याण कोष	6890
		82	बन्दी कल्याण कोष केन्द्री कारागृह जयपुर	6943
12	जयपुर (सचिवालय)	83	राजस्थान लाइव स्टॉक डवलपमेंट बोर्ड, जयपुर	3743
		84	स्टेट कॉर्पोरेटिव रिन्ड्युवल फण्ड	3748
		85	सहकारी सुदृढीकरण कोष	3749
		86	एशोशियसन फॉर ग्रामीण एडव. थूबोल एक्शन जयपुर	3761
		87	विजा वृद्धि एवं रिलेटेड फीस	3790
		88	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर	3796
		89	राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन	3805
		90	उप विकास आयुक्त, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग	3820
		91	रिको	3824
		92	राजस्थान राज्य एग्री इण्डस्ट्रीज निगम	3829
		93	राजस्थान अरबन इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट	3929
		94	खेतान पॉलो कॉलेज, जयपुर	3970
		95	संयुक्त निदेशक (जी.आई.ए.) कॉलेज शिक्षा	3974
		96	निदेशक, सूचना तकनीकी एवं कॉम्प्युनिकेशन विभाग, जयपुर	3976
		97	पी.डी. कोर, जयपुर	3981
		98	हूमन डवलपमेंट रिसर्च एण्ड कॉर्डिनेशन यूनिट	3982
		99	राजस्थान राज्य पशु पालक कल्याण बोर्ड, जयपुर	3989
		100	शिल्प एवं माटी कला बोर्ड	4021
		101	राजस्थान स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4209
		102	महाराज विनायक	5576
		103	राजस्थान आवास	5629
		104	डिविजनल सेन्स	5640
		105	पूर्णमा विश्वविद्यालय	5693
		106	स्टेट प्रोजेक्ट फेसिलिएशन यूनिट	5706
		107	राजस्थान वक्फ बोर्ड	5742
		108	ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय	5750

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		109	आई.आई.एच.एम.आर. यूनिवर्सिटी	5797
		110	विमुक्ति घुमंत	5818
		111	बाल कल्याण कोष	5926
		112	स्टेट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	5957
		113	निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर	6007
		114	सिविल डिफेन्स विभाग	6078
		115	मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभिया	6090
		116	सेन्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गर्वनेस, जयपुर	6096
		117	केश कला बोर्ड	6207
		118	वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन एकेडमी	6635
13	जयपुर(ग्रामीण)	119	जे.के. लक्ष्मी यूनिवर्सिटी, जयपुर	4211
		120	आई.टी.आई. सांभरलेक, जयपुर	4916
		121	आई.टी.आई. फागी, जयपुर	4923
		122	आई.टी.आई. चौमू, जयपुर	4926
		123	राजकीय संस्कृत, जयपुर	4930
		124	बियानी इन्टर्ड	5733
		125	महर्षि अरविन्द	5813
		126	राजकीय महाविद्यालय, फागी, जयपुर	6859
		127	राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़, जयपुर	6863
14	जोधपुर ग्रामीण	128	रजिस्ट्रार डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	4575
		129	राजकीय महाविद्यालय बालेसर	5870
		130	जोधपुर डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फॉउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड	6227
		131	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी शेखाला बालेसर	6290
		132	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल बिलाड़ा, जोधपुर	6550
		133	जी निजी महाविद्यालय लूनी, जोधपुर	6727
15	झालावाड़	134	सहायक निदेशक, उद्यान, झालावाड़	4610
		135	कृषि उपज मण्डी समिति अकलेरा, झालावाड़	4679
		136	जिला कारागार झालावाड़	4685
		137	अधीक्षक आई.टी.आई. खानपुर	4707
		138	प्राचार्य राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, झालावाड़	4714
		139	मिनि सचिवालय प्रबंधन कमेटी, झालावाड़	4715
		140	आर.यू.आई.डी.पी. झालावाड़ व झालरापाटन	6661
		141	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी झालावाड़	6980
16	करौली	142	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, करौली	6556
		143	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, सपोटरा	6557
		144	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सपोटरा	6833
		145	राजकीय महाविद्यालय, मण्डरायल	6875
		146	जिला माइनोरिटी अधिकारी, करौली	6983
		147	श्रम कल्याण अधिकारी, करौली	18492

क्र.स.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		148	अधीक्षण अभियंता, जल संग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण	18660
		149	उप निदेशक, ए.जी. जी.पी. करौली	18682
		150	आर.जी.एच.एस.	18692
		151	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नादौती	18695
		152	ए.डी.एच. करौली	18729
17	पाली	153	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रोहट	6732
18	राजसमंद	154	महिल विकास अधिकारिता विभाग , राजसमंद	5521
		155	श्रम कल्याण विभाग, राजसमंद	5564
19	सवाई माधोपुर	156	उप निदेशक (सी.डी.), महिला एवं बाल विकास विभाग , सवाई माधोपुर	1638
		157	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर	1639
		158	उप अधीक्षक, जिला जेल , गंगापुर सिटी	1716
		159	उप निदेशक, (सी.डी.) महिला एवं बालविकास विभाग, सवाई माधोपुर	1722
		160	जिला मिनेरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड (डीएमएफटी) , सवाई माधोपुर	6252
		161	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, बाँली	6878
		162	रूडिप, सवाई माधोपुर	6907
		163	जिला माइनोरिटी वेलफेयर ऑफिसर, सवाई माधोपुर	6990
		164	अधीक्षण अभियंता , जल संग्रहण एवं भू संरक्षण, सवाई माधोपुर	18665
		165	आर.जी.एच.एस.	18692
		166	ए.डी .एच. सवाई माधोपुर	18735
20	सिरोही	167	डी.आर.डी.ए., टी.ए.डी., सिरोही	4736
		168	नगर विकास न्यास, आबू	4813
		169	प्रोजेक्ट इमप्लीमेंटेशन यूनिट रूडिप, माउन्ट आबू	6659
21	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	170	बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति	6136

परिशिष्ट संख्या- 16

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.2)

निजी निक्षेप खातों व संस्था की पासबुक के आंकड़ों के मध्य अन्तर का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	खाता संख्या	संस्था का नाम	कोषालय के आंकड़े राशि ₹	संस्था के आंकड़े राशि ₹	धनात्मक अंतर राशि ₹	ऋणात्मक अंतर राशि ₹
1	बारां	531	कमांडेंट, होमगार्ड, बारां	4951597.00	4955017.00	0.00	3420.00
2	बाड़मेर	3340	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चौहटन	14172954.00	8226634.00	5946320.00	0.00
3	चूरू	2866	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चूरू	910250.00	910750.00	0.00	500.00
		2857	प्राचार्य राजकीय स्नातक महाविद्यालय, सुजानगढ़	1014374.00	1004202.00	10172.00	0.00
		5968	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, तारानगर	1487127.00	1482213.00	4914.00	0.00
		2856	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, चूरू	22696827.00	24510129.00	0.00	1813302.00
		2935	समादेष्टा गृहरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, चूरू	3615140.00	3621025.00	0.00	5885.00
		2917	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजगढ़	22535400.38	22535088.93	311.45	0.00
		2840	परि.प्र. अनु. जा. जन. वि. एवं वि.नि., चूरू	10453455.27	9925609.27	527846.00	0.00
		2903	प्राचार्य एस.बी.डी. राजकीय स्नातक महाविद्यालय, सरदारशहर	10500510.00	10555762.00	0.00	55252.00
		2918	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रतनगढ़	80938259.00	80848033.00	90226.00	0.00
		6692	परि.प्र.इ.रा.शा. आजीविका प्र. चूरू	7004205.00	6919205.00	85000.00	0.00
4	धौलपुर	4931	कार्यालय समादेष्टा गृहरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, धौलपुर	5073336.00	5062614.00	10722.00	0.00
		4938	कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर	2092383.48	2087876.48	4507.00	0.00
		4968	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर	19697171.42	19656425.42	40746.00	0.00
5	जयपुर(शहर)	543	देवस्थान विभाग	858284.64	861790.64	0.00	3506.00
		545	उप मुख्य वन संरक्षक	13867534.00	13223231.00	644303.00	0.00
		3499	उप वन संरक्षक पूर्व	5299813.99	5261813.99	38000.00	0.00
		3674	मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमेर विकास	213584105.00	213541072.00	43033.00	0.00
6	जोधपुर (ग्रामीण)	6017	पंचायत समिति देचू	26107825.99	21038320.99	5069505.00	0.00
7	कोटा	2306	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह कोटा	5102163.50	5099406.50	2757.00	0.00
		2328	उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा	1866124.70	264237.70	1601887.00	0.00

क्र.सं.	कोषालय	खाता संख्या	संस्था का नाम	कोषालय के आंकडे राशि ₹	संस्था के आंकडे राशि ₹	धनात्मक अंतर राशि ₹	ऋणात्मक अंतर राशि ₹
		2333	अनुसूचित जाति / जन जाति वित्त एवं विकास सहाकारी निगम लिमिटेड, कोटा	7871731.00	7880041.00	0.00	8310.00
8	जैसलमेर	4436	मुख्य उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सांकड़ा	29150151.00	40958532.00	0.00	11808381.00
		4427	कमांडेंट राजस्थान होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस वेलफेयर फण्ड जैसलमेर	11665928.00	11667326.00	0.00	1398.00
		4490	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पोकरण	125607.60	101607.60	24000.00	0.00
		4453	नगर परिषद पोकरण	21475328.53	21415328.53	60000.00	0.00
9	झालावाड़	4647	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, झालरापाटन	17223638.00	17260660.00	0.00	37022.00
		4680	प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़	42182355.00	42186825.00	0.00	4470.00
		4683	मत्स्य विकास अधिकारी झालावाड़	528043.25	428043.25	100000.00	0.00
		4684	उप वन संरक्षक, झालावाड़	48532253.85	48640459.85	0.00	108206.00
		4689	आचार्य, आई.टी.आई. झालावाड़	279525.00	305525.00	0.00	26000.00
		4713	कमांडेंट गृह रक्षा प्रशिक्षण झालावाड़	4724575.50	5218319.50	0.00	493744.00
10	प्रतापगढ़	3447	मुख्या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, धरियावद	75524084.30	44497458.26	31026626.04	0.00
योग				988883499.03	956995994.04	46324800.49	14437296.00

परिशिष्ट संख्या- 17

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.3)

निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद कियेजाने का अभाव

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता संख्या	खाता धारक संस्था का नाम	दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष राशि ₹
1	अजमेर	1	397	F.F.D.A	197913.00
		2	5157	SUPTD. I.T.I	571750.00
		3	5625	DIV.INSPECTOR S	5221.00
2	अलवर	4	5026	SUPDT. I.T.I. BHIWADI	274250.00
3	बाड़मेर	5	3374	DISTT COLLECTOR	9136.00
4	बारां	6	1246	DY. DIR. (CHILD DEV) C.D.S DWDA	221213.00
		7	6149	GOVT .ENGINEERING COLLEGE BARAN	00.00
5	बीकानेर	8	3284	DIPTY .DIR. DISTT. WOMEN DEVELOPMENT AGENCZ	490183.00
		9	723	FINANCE CONTROLLER VISESAADHIKARI BIKANER UNIVERCITY	1460000.00
6	भरतपुर	10	2246	ASST DIR HORTICULTURE	404932.50
		11	2249	DY DIR I.C.D.S (MAHILA&BAL VIKAS)	1128490.00
7	भीलवाड़ा	12	3201	F.F.D.A	800737.00
8	चित्तौड़गढ़	13	1130	ASST. DIR. FISHRIES DEVELOPMENT AGENCY	00.00
9	चुरू	14	2870	DY. CONSERVATOR FOREST(DFO)	39575.00
		15	5660	SAMBHAGIZA SANS	5594.00
10	डूंगरपुर	16	2494	ASSTT. DIR. F.F.D.A. DPR	124018.00
11	धौलपुर	17	4990	I.T.I BARI	197358.00
12	श्रीगंगानगर	18	2021	LAND ACQUISITION OFFICER (S.D.M.)	15397658.00
		19	474	H.B.A. S.B.B.J.	10448.00
13	जयपुर (शहर)	20	3493	SUPDT. I.T.I. MAHILA	528325.00
		21	3542	PRI. GOVT. DENTAL COLLEGE	2611079.66
		22	3634	REPAYMENT OF HOUSINGH LOAN UP TO 31.3.04	00.00
		23	3637	REPAYMENT OF H.B.A. FOR H.D.F.C	00.00
		24	3638	REPAZMENT OF H.B.A. FOR	00.00

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता संख्या	खाता धारक संस्था का नाम	दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष राशि ₹
				S.B.B.J	
		25	551	CHIEF EXECUTIVE OFFICER MATSFZA PALAK VIKAS ABHIKARAN	0.90
		26	559	PROJ DIR ZILA GRAMIN VAZASAIK TR. CENTRE	202764.00
		27	5776	DR. BHEM RAO AMB	26641.00
14	जयपुर (ग्रामीण)	28	4916	I.T.I SAMBHAR LAKE	182367.00
15	जयपुर (सचिवालय)	29	3981	P.D CORE	3800.00
		30	4022	RAJ. STATE ENERGY CONSERVATION FUND	95441604.00
		31	5629	RAJ.AVAS VIKAS LTD.	10187000.00
		32	5742	RAJ. WAQF	13670000.00
		33	5957	STATE SWASTHYA AND PARIWAR KALYAN SANSTHAN	2621267.00
16	जालौर	34	1393	PROJECT DIRECTOR DWDA	320131.00
17	जैसलमेर	35	4461	X.EN. P.W.D .DIV. -I,	6800193.99
		36	4483	X.EN WATER RESOURCES DIVISION,	181949.64
18	जोधपुर (शहर)	37	4023	X.EN IRRIGATION DIVISION/WATER RESO	1295978.00
		38	4071	DY. FOREST CONSERVATOR WILD LIFE,	260545.00
19	झालावाड़	39	4715	MINI .SECR TT .Y.MG . COMMITTEE	38155.00
		40	2093	PRI .AGR . SOIL CONSERVATION	559327.00
20	कोटा	41	2307	MANAGER L.I.C. FOREST CHHAVNI	00.00
		42	2324	ASSTT. DIR FISHRIES	69951.00
21	नागौर	43	2577	DISTT .COLLECTOR, NATIONAL SOCIAL ASSTANCEE	935449.00
22	सवाई माधोपुर	44	1636	PROJ . DIR. DIST. FISHRIES DEV .AUTH.	147745.00
		45	5811	NAGAR VIKAS NYA	608.00
23	सीकर	46	1314	K.U.M.S. NEEMKATHANA	10000.00
24	टोंक	47	4230	PROJ.DIR.DIST.(I.C.D.S.)WOMEN DEVELOP	17083.00

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता संख्या	खाता धारक संस्था का नाम	दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष राशि ₹
		48	4283	DIST COLLECTOR(SMAAL SAVING)	945.00
25	उदयपुर (शहर)	49	5767	RAJIV GANDHI TRIBLE UNIVERSITY	00.00
		50	999	DZ.CONSERVATION FOREST (SOUTH)	299061.00
26	उदयपुर (ग्रामीण)	51	476	REC.OF LOAN (M.C.A.-S.B.B.J.)	2600.00
		52	989	X.E.N. IRRIGATION DIVISION SALUMBER	5198017.00
योग					162951063.69

परिशिष्ट संख्या - 18

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.1)

निजी निक्षेप खाता सं. 473 जमा राशि का विवरण

क्र .सं .	कोषालय का नाम	दिनांक	राशि (पूर्णांक रूपये में)
1	अजमेर	31.03.2022	4131920
2	अलवर	31.03.2022	14324383
3	बांसबाडा	31.03.2022	24095120
4	बांरा	31.03.2022	6974114
5	बाडमेर	31.03.2022	2369089
6	भरतपुर	31.03.2022	7761632
7	भीलवाडा	31.03.2022	23395076
8	बीकानेर	31.03.2022	18722722
9	बूंदी	31.03.2022	6780513
10	चित्तौड़गढ	31.03.2022	35909740
11	चुरू	31.03.2022	13225394
12	दौसा	31.03.2022	15517821
13	धौलपुर	31.03.2022	21087659
14	डूंगरपुर	31.03.2022	31744539
15	गंगानगर	31.03.2022	6488912
16	हनुमानगढ	31.03.2022	9667891
17	जयपुर शहर	31.03.2022	7719276
18	जयपुर ग्रामीण	31.03.2022	11262548
19	जयपुर सचिवालय	31.03.2022	8521101

20	जैसलमेर	31.03.2022	7779841
21	जयपुर पेंशन	31.03.2022	6197553
22	जालौर	31.03.2022	1470788
23	झालावाड	31.03.2022	16449555
24	झुन्झुनु	31.03.2022	15207430
25	जोधपुर शहर	31.03.2022	5231786
26	जोधपुर ग्रामीण	31.03.2022	2528809
27	करोली	31.03.2022	23641123
28	कोटा	31.03.2022	5140098
29	नागौर	31.03.2022	2623149
30	पाली	31.03.2022	24531441
31	राजसमंद	31.03.2022	4102765
32	सवाई माधोपुर	31.03.2022	3156779
33	सीकर	31.03.2022	6526891
34	सीरोही	31.03.2022	5136579
35	टोंक	31.03.2022	17457474
36	प्रतापगढ़	31.03.2022	5182921
37	उदयपुर शहर	31.03.2022	17678780
38	उदयपुर ग्रामीण	31.03.2022	9758252
योग			449501464

© कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान, जयपुर

Website : agaerajasthan@cag.gov.in
